

Vol. 260
No. 10



Wednesday,
2nd August, 2023
11 Sravanaa, 1945 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION) (PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 - 20)

Statement of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs- *Laid on the table* (page 20)

Statements by Ministers - *Laid on the table*

Status of implementation of recommendations/observations contained in the 30th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development (page 20)

Status of implementation of recommendations/observations contained in the 301st and 317th Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture (pages 20 - 21)

Status of implementation of recommendations/observations contained in the 244th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs (page 21)

[P.T.O]

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Notices received under various Rules and other issues (pages 21 - 24)

Matters raised with Permission -

- Demand to grant autonomous status to Centre of Excellence for studies in Classical Kannada (pages 25 -26)
- Need to regulate OTT platform for obscene and vulgar content (pages 26 - 28)
- Need to open Repertory Units on "Prahallada Natak" and "Ghoomura Dance" in Districts of Ganjam and Kalahandi in Odisha (page 28)
- Need to use Hot Dip Galvanized TMT Bar in all infrastructure development projects (pages 29 - 30)
- Need for making provisions under Arms Act for License to businessmen dealing in gold, silver and diamond (pages 30 - 31)
- Need to provide Special Focus State status to Odisha (pages 31 - 32)
- Need to improve digital infrastructure and all-round connectivity in rural areas of Odisha (pages 32 - 33)

Special Mentions-

- Need for establishing a Centre of Excellence and Research Institutes on Millets in Odisha (pages 33 - 34)
- Impact of Climate Change in India (pages 34 -35)
- Setting up of e-filing Centres and Virtual Courts (pages 35 - 36)
- Vande Bharat train for Meerut, Uttar Pradesh (page 36)
- Opening of CGHS wellness Centre at Kolhapur (Maharashtra) (pages 36 - 37)
- Project on the Nucleus Breeding Centre (page 37)
- Establishment of paper mill in Mayurbhanj, Odisha (pagea 37-38)
- Unprecedented rains, which led to flash floods in many parts of Telangana (pages 38 - 39)
- Need for taking immediate decision on treating Kori-Koli caste as one and bringing them under SC category (page 39)
- Drinking water in Kuttanad (Kerala) (page 40)
- Demand for Reconsideration of G.A.T.E. scores for PSU Recruitment -*Laid on the Table* (pages 40 - 41)

Website: <http://rajyasabha.nic.in>
<http://parliamentofindia.nic.in>
E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

Oral Answers to Questions (pages 41 - 83)

[Answers to Starred and Unstarred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise>]

Statement by Minister correcting Answer to Question-*Laid on the Table* (page 83)

Government Bills - *Passed*

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023 - (pages 84 - 111)

The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 (pages 111 - 138)

The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023 (pages 138 - 169)

RAJYA SABHA

Wednesday, the 2nd August, 2023 / 11 Sravana, 1945 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (GENERAL (RETD.) V. K. SINGH): Sir, I lay on the Table :-

(i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways, under Section 10 of the National Highways Act, 1956:—

- (1) S.O. 1193, dated the 13th March, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Koilwar-Bhojpur Section of NH-922, in the State of Bihar.
- (2) S.O. 1194, dated the 13th March, 2023, levying user fee for the project of two lane with paved shoulders of Muzaffarpur-Sonbarsa Section of NH-77 (New NH-22), in the State of Bihar.
- (3) S.O. 1195, dated the 13th March, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Gopalganj-Kotwa Section of NH-28 (New NH-27), in the State of Bihar.
- (4) S.O. 1240, dated the 16th March, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of DND-Faridabad Bypass-Ballabhgarh Section of Highway, in the States of Delhi and Haryana.
- (5) S.O. 1241, dated the 16th March, 2023, levying user fee for the project of four and more lane Section of Verna Junction to Sada Junction of NH-17B (New NH-566), in the State of Goa.
- (6) S.O. 1259, dated the 17th March, 2023, levying user fee for the project of two lane with paved shoulders of Rayachoty to Angallu Section of NH-340, in the State of Andhra Pradesh.

- (7) S.O. 1260, dated the 17th March, 2023, levying user fee for the project of four lane of Kanpur-Lucknow Section of NH-25 (New NH-27), in the State of Uttar Pradesh.
- (8) S.O. 1440, dated the 28th March, 2023, levying user fee for the project of four and more lane for Tolling, Operation, Maintenance and Transfer (ToT mode) of Handia-Rajatalab Section of NH-19, in the State of Uttar Pradesh.
- (9) S.O. 1515, dated the 29th March, 2023, levying user fee for the project of two lane with paved shoulders of Wardha-Arvi Section of NH-647, in the State of Maharashtra.
- (10) S.O. 1516, dated the 29th March, 2023, levying user fee for the project of two lane with paved shoulders of Dornala T Junction-Penchalakona-Yerpedu Section of NH-565, in the State of Andhra Pradesh.
- (11) S.O. 1517, dated the 29th March, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Ausa-Chakur Section of NH-361, in the State of Maharashtra.
- (12) S.O. 1554, dated the 31st March, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Udampur-Ramban Section of NH-1A (New NH-44), in the UT of Jammu & Kashmir.
- (13) S.O. 1650, dated the 6th April, 2023, levying user fee for the project of two lane with paved shoulders of Amath-Bhawanipatna Section of NH-201 (New NH-26), in the State of Odisha.
- (14) S.O. 1825, dated the 21st April, 2023, levying user fee for the project of four and more lane Section of Ujjain-Jhalawar Section of NH-552(6), in the State of Madhya Pradesh.
- (15) S.O. 1827, dated the 21st April, 2023, levying user fee for the project of four and more lane Section of Madurai-Chettikulam-Natham-Thuvarankurichi Section of NH-785, in the State of Tamil Nadu.
- (16) S.O. 1861, dated the 24th April, 2023, levying user fee for the project of four and more lane Section of Thalassery-Mahe Bypass Section of NH-17 (New NH-66), in the State of Kerala.
- (17) S.O. 1862, dated the 24th April, 2023, levying user fee for the project of two lane with paved shoulders of Khutar-Lakhimpur Section of NH-730, in the State of Uttar Pradesh.
- (18) S.O. 2027, dated the 2nd May, 2023, levying user fee for the project of four and more lane Sections of NH-752D, as mentioned therein, in the State of Madhya Pradesh.

- (19) S.O. 2120, dated the 4th May, 2023, levying user fee for the project of two lane with paved shoulders of Asind-Mandal Section of NH-158, in the State of Rajasthan.
- (20) S.O. 2176, dated the 12th May, 2023, levying user fee for the project of four and more lane from End of Pandoh Bypass to Takoli Section and Takoli to Kullu Section of NH-21 (New NH-3), in the State of Himachal Pradesh.
- (21) S.O. 2186, dated the 16th May, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Forbesganj—Jogbani Section of NH-527 (old NH-57A), in the State of Bihar.
- (22) S.O. 2187, dated the 16th May, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Sitarganj-Bareilly Section of NH-7A (New NH-30), in the States of Uttar Pradesh and Uttarakhand.
- (23) S.O. 2215, dated the 17th May, 2023, levying user fee for the project of two lane with paved shoulders of Kiratpur to Nerchowk Section of NH-21, in the State of Himachal Pradesh.
- (24) S.O. 2388, dated the 1st June, 2023, levying user fee for the project of four lane Section of New NH-26 (old NH 43), in the State of Andhra Pradesh, as mentioned therein.
- (25) S.O. 2389, dated the 1st June, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Bakhtiyarpur-Rajauli of NH-20 (Old NH-31) Section, in the State of Bihar.
- (26) S.O. 2391, dated the 2nd June, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Chakeri-Allahabad Section, on Hybrid Annuity Mode under Bharatmala Pariyojna of NH-2, in the State of Uttar Pradesh.
- (27) S.O. 2567, dated the 12th June, 2023, levying user fee for the project of four lane with paved shoulders of Pathrapali-Katghora Section of NH-111 (New NH-130), in the State of Chhattisgarh.
- (28) S.O. 2580, dated the 13th June, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Nidagatta- Mysore Section of NH-275, in the State of Karnataka.
- (29) S.O. 2677, dated the 19th June, 2023, levying user fee for the project of four lane of Chakur-Loha Section of NH-361, in the State of Maharashtra.
- (30) S.O. 2678, dated the 19th March, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Garhwa Bypass Section of NH-39 (Old NH-75), in the State of Jharkhand.
- (31) S.O. 2679, dated the 19th June, 2023, levying user fee for the project of two

lane with paved shoulders of Kalyandurg to Molakalmuru Section of NH-544DD, in the State of Andhra Pradesh.

- (32) S.O. 2753, dated the 22nd June, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Gwalior to Shivpuri Section of NH-3 (New NH-46), in the State of Madhya Pradesh.
- (33) S.O. 2754, dated the 22nd June, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Itarsi to Betul Section of NH-46 (Old NH-69), in the State of Madhya Pradesh.
- (34) S.O. 2764, dated the 23rd June, 2023, levying user fee for the project of four and more lane Section of Kiratpur - Nerchowk-Manali Section of NH-21, in the State of Himachal Pradesh.
- (35) S.O. 2871, dated the 3rd July, 2023, levying user fee for the project of four and more lane of Belgaum-Khanapur Section of NH-748 (Old NH-4A), in the State of Karnataka.
- (36) S.O. 2972, dated the 5th July, 2023, amending the Schedule to the Notification No. S.O. 2032 (E), dated the 28th April, 2022, by substituting certain entries, as mentioned therein, in that Notification.

[Placed in Library. For (1) to (36) See No. L.T. 9861/17/23]

- (37) S.O. 1305 (E), dated the 20th March, 2023, entrusting certain stretches of NH-37 (New NH-17), in the State of Assam, to the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited.
- (38) S.O. 1306 (E), dated the 20th March, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, by substituting certain entries, as mentioned therein, in that Notification.
- (39) S.O. 1308 (E), dated the 20th March, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, by substituting certain entries, as mentioned therein, in that Notification.
- (40) S.O. 1309 (E), dated the 20th March, 2023, entrusting certain stretches of New NH-913, in the State of Arunachal Pradesh, to the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited.
- (41) S.O. 1310 (E), dated the 20th March, 2023, entrusting certain stretches of New NH-913, in the State of Arunachal Pradesh, to the Border Roads Organization.
- (42) S.O. 1311 (E), dated the 20th March, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, by substituting certain entries, as mentioned therein, in that Notification.

- (43) S.O. 1634 (E), dated the 5th April, 2023, entrusting certain stretches of NH 62 (New NH - 217) and New NH-127B, in the States of Assam and Meghalaya, to the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited.
- (44) S.O. 1635 (E), dated the 5th April, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, by substituting certain entries, as mentioned therein, in that Notification.
- (45) S.O. 2134 (E), dated the 9th May, 2023, declaring NH-NE 1A, in the State of Gujarat, as a new National Highways and entering its description in the Schedule to the said Act.
- (46) S.O. 2254 (E), dated the 23rd May, 2023, declaring NH-848R, in the State of Karnataka, as a new National Highways and entering its description in the Schedule to the said Act.
- (47) S.O. 2326 (E), dated the 26th May, 2023, entrusting certain stretches of NH-155 (New NH- 202), New NH-202K and New NH-702, in the States of Nagaland and Manipur, to the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited.
- (48) S.O. 2327 (E), dated the 26th May, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 4149 (E), dated the 23rd September, 2016, by substituting certain entries, as mentioned therein, in that Notification.
- (49) S.O. 2328 (E), dated the 26th May, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, by substituting certain entries, as mentioned therein, in that Notification.
- (50) S.O. 2757 (E), dated the 23rd June, 2023, declaring NH- 319B, in the State of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal, as a new National Highways and entering its description in the Schedule to the said Act.
- (51) S.O. 2798 (E), dated the 28th June, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, by substituting certain entries, as mentioned therein, in that Notification.
- (52) S.O. 2934 (E), dated the 4th July, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, by substituting certain entries, as mentioned therein, in that Notification.

[Placed in Library.For (37) to (52) See No. L.T. 9860/17/23]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988:-

- (1) S.O. 1307 (E), dated the 20th March, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1018 (E), dated the 28th March, 2017, by substituting certain entries, as mentioned therein, in that Notification.
- (2) S.O. 1424 (E), dated the 24th March, 2023, entrusting certain stretches of NH 109D, in the State of Uttarakhand, to the National Highways Authority of India.
- (3) S.O. 2797 (E), dated the 28th June, 2023, entrusting certain stretches of NH-30 (Old NH-43), in the State of Chhattisgarh, to the National Highways Authority of India.
- (4) S.O. 2933 (E), dated the 4th July, 2023, entrusting certain stretches of NH-114A, in the State of Jharkhand, to the National Highways Authority of India.

[Placed in Library. For (1) to (4) See No. L.T. 9860/17/23]

I. Notification of the Ministry of Home Affairs

II. Report and Accounts (2021-22) of the Rashtriya Raksha University, Gandhinagar and related papers

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs Notification No. 1/Home/7/DNH&DD/PSARA/Rule2020/20-21/285, dated the 13th May, 2022, publishing the Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Private Security Agencies Rules, 2021, under sub-section (4) of Section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 along with a Delay Statement.

[Placed in Library. See No. L.T. 9826/17/23]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 34 of the Rashtriya Raksha University Act, 2020:—

- (a) Annual Report of the Rashtriya Raksha University, Gandhinagar, Gujarat, for the year 2021-22.
- (b) Annual Accounts of the Rashtriya Raksha University, Gandhinagar, Gujarat, for the year 2021-22 and the Audit Report thereon.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9827/17/23]

Reports (2020-21 and 2021-22) of Samagra Shiksha Abhiyan and STARS scheme for various States and related papers

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (i) (a) Annual Report of the, Samagra Shiksha Abhiyan, Manipur, for the year 2021-22.
- (b) Review by Government on the working of the above Programme.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9780/17/23]

- (ii) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha Abhiyan, Arunachal Pradesh, for the year 2021-22.
- (b) Review by Government on the working of the above Programme.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9779/17/23]

- (iii) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha Abhiyan, Chhattisgarh, for the year 2021-22.
- (b) Review by Government on the working of the above Programme.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9905/17/23]

- (iv) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha Abhiyan, Maharashtra, for the year 2020-21.
- (b) Review by Government on the working of the above Programme.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9903/17/23]

- (v) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha Abhiyan, Himachal Pradesh, for the year 2021-22.
- (b) Review by Government on the working of the above Programme.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9904/17/23]

- (vi) (a) Annual Report of the Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) Scheme, Odisha, for the years 2020-21 & 2021-22.
- (b) Review by Government on the working of the above Programme.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9902/17/23]

- (vii) (a) Annual Report of the Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) Scheme, Rajasthan, for the years 2020-21 & 2021-22.
- (b) Review by Government on the working of the above Programme.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9901/17/23]

- (viii) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha, Uttar Pradesh, for the year 2021-22.
- (b) Review by Government on the working of the above Programme.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9774/17/23]

- (ix) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha Abhiyan, Sikkim, for the year 2021-22.
- (b) Review by Government on the working of the above Programme.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9777/17/23]

- (x) (a) Annual Report of the, Samagra Shiksha Abhiyan, Mizoram, for the year

2021-22.

- (b) Review by Government on the working of the above Programme.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9778/17/23]

- (xi) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha Abhiyan, Tripura, for the year 2021-22.
- (b) Review by Government on the working of the above Programme.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9776/17/23]

Report and Accounts (2021-22) of NSFDC, Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI A. NARAYANASWAMY): Sir, I lay on the Table :-

(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (a) Thirty-third Annual Report and Accounts of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9835/17/23]

Notification of the the Ministry of Cooperation

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) : महोदय, मैं बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 की धारा 116 की उप धारा (2) के अधीन उक्त अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में कतिपय प्रविष्टियों के अन्तःस्थापन/लोप द्वारा, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है,

उस अनुसूची का संशोधन करने वाली सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1396 (अ), दिनांक 23 मार्च, 2023 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No. L.T. 9836/17/23]

I. Notification of the Ministry of Education

II. Reports and Accounts (2020-21 and 2021-22) of various Universities, IIMs, IITs, IIITs, etc. and related papers

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष सरकार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Education (Department of Higher Education) Notification No. 1-18/2021 (CPP-II), dated the 3rd April, 2023, publishing the University Grants Commission (Conferment of Autonomous Status upon Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Autonomous Colleges) Regulations, 2023, under Section 28 of the University Grants Commission Act, 1956.

[Placed in Library. See No. L.T. 9815/17/23]

II. (A) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of the Section 30 and sub-section (4) of Section 31 the Central Universities Act, 2009:—

- (i) (a) Annual Report of the Central University of South Bihar, Gaya, for the year 2020-21.
- (b) Annual Accounts of the Central University of South Bihar, Gaya, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above University.

[Placed in Library. See No. L.T. 9805/17/23]

- (ii) (a) Annual Report of the Central University of South Bihar, Gaya, for the year 2021-22.
- (b) Annual Accounts of the Central University of South Bihar, Gaya, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above University.

[Placed in Library. See No. L.T. 9805/17/23]

- (iii) (a) Thirteenth Annual Report of the Central University of Kerala, for the year

2021-22.

- (b) Thirteenth Annual Accounts of the Central University of Kerala, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above University.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) & (b) (ii) (a) & (b) and (iii) (a) & (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9799/17/23]

(B) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 31 of the Central Universities Act, 2009:-

- (a) Annual Accounts of the Mahatma Gandhi Central University, Bihar, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.
- (b) Annual Accounts of the Mahatma Gandhi Central University, Bihar, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9817/17/23]

(C) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (2) of section 30 and sub-section (4) of Section 31 of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Act, 1996:—

- (a) Annual Report of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, Maharashtra, for the year 2021-22.
- (b) Annual Account of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, Maharashtra, for the year 2021-22 and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Vishwavidyalaya.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9802/17/23]

(D) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 33 and sub-section (4) of Section 34 of the Rajiv Gandhi University Act, 2006:—

- (a) Annual Reports of the Rajiv Gandhi University, Doimukh, Arunachal Pradesh, for the year 2021-22.
- (b) Annual Accounts of the Rajiv Gandhi University, Doimukh, Arunachal Pradesh, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by the Government on working of the above University.

(2) Statements giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9810/17/23]

(E) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 33 and sub-section (4) of Section 34 of the Tripura University Act, 2006:—

- (a) Annual Report of the Tripura University, Suryamaninagar, Tripura, for the year 2021-22.
- (b) Annual Accounts of the Tripura University, Suryamaninagar, Tripura, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above University.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9812/17/23]

(F) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 22 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007:—

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology, Meghalaya, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9797/17/23]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology, Warangal, Telangana for the year 2021-22, together with the Auditor's

Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9796/17/23]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) to (iii) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9806/17/23]

(G) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (5) of Section 28 and sub-section (3) of Section 37 of the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017:—

- (i) (a) Annual Report of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Bhagalpur, Bihar for the year 2020-21.
 (b) Annual Accounts of the Indian Institute of Technology Information (IIIT), Bhagalpur, Bihar for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.
 (c) Review by Government on the working of the above Institute.
- (ii) (a) Annual Report of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Bhagalpur, Bihar for the year 2021-22.
 (b) Annual Accounts of the Indian Institute of Technology Information (IIIT), Bhagalpur, Bihar for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
 (c) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. For (i) and (ii) See No. L.T. 9801/17/23]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Tiruchirappalli, Tamil Nadu, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9798/17/23]

- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Ranchi, Jharkhand, for the year 2021-22, together

with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9800/17/23]

- (v) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Lucknow, Uttar Pradesh, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) & (b), (ii) (a) & (b), (iii) (a) to (v) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9807/17/23]

(H) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (3) of Section 28 and sub-section (4) of Section 29 of the University of Hyderabad Act, 1974 :—

- (i) (a) Forty-Seventh Annual Report of the University of Hyderabad, for the year 2021-22.
- (b) Annual Accounts of the University of Hyderabad, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above University.
- (d) Annual Accounts of the University of Hyderabad, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.

(2) Statements giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a), (b) and (d) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9804/17/23]

(I) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 29 and sub-section (4) of Section 30 of the Pondicherry Universities Act, 1985:-

- (i) (a) Thirty-fifth Annual Report of the Pondicherry University, Kalapet, Puducherry, for the year 2020-21.
- (b) Annual Accounts of the Pondicherry University, Kalapet, Puducherry, for the year 2020-21 and the Audit Report thereon.

- (c) Review by Government on the working of the above University.
- (ii) (a) Annual Accounts of the Pondicherry University, Kalapet, Puducherry, for the year 2021-22 and the Audit Report thereon.
- (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) & (b) and (ii) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9808/17/23]

(J) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 28 and sub-section (5) of Section 23 of the Indian Institute of Management Act, 2017:—

- (i) (a) Sixtieth Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad, Gujarat, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T.10011/17/23]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Jammu, UT of Jammu & Kashmir, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9792/17/23]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Shillong, Meghalaya, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9789/17/23]

- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Raipur, Chhattisgarh, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9787/17/23]

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Kozhikode, Kerala, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9790/17/23]

(vi) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Indore, Madhya Pradesh, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9788/17/23]

(vii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Rohtak, Haryana, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9793/17/23]

(viii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Ranchi, Jharkhand, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9794/17/23]

(ix) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Sirmour, Himachal Pradesh, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9791/17/23]

(x) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Kashipur, Uttarakhand, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the

papers mentioned at (1) (i)(a) to (x)(a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9795/17/23]

(K) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 29 of the Central Universities Laws (Amendment) Act, 2008:—

- (a) Annual Accounts of the North-Eastern Hill University (NEHU), Shillong, Meghalaya, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
- (b) Statement giving reasons for the delay in laying the paper mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9803/17/23]

(L) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 31 and sub-section (4) of Section 32 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020:—

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Central University of Andhra Pradesh, Ananthapuramu, Andhra Pradesh, for the year 2018-19, together with the Audit Report thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above University.
- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Central University of Andhra Pradesh, Ananthapuramu, Andhra Pradesh, for the year 2019-20, together with the Audit Report thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above University.
- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Central University of Andhra Pradesh, Ananthapuramu, Andhra Pradesh, for the year 2020-21, together with the Audit Report thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above University.
- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the Central University of Andhra Pradesh, Ananthapuramu, Andhra Pradesh, for the year 2021-22, together with the Audit Report thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above University.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) to (iv) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9785/17/23]

(M) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 19 and sub-section (2) of Section 20 of the Jawaharlal Nehru University Act, 1966:—

- (a) Fifty-second Annual Report of the Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, for the year 2021-22.
- (b) Annual Accounts of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above University.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) & (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 10012/17/23]

(N) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (5) of Section 28 and sub-section (3) of Section 37 of the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017:—

- (i) (a) Annual Report of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Pune, Maharashtra, for the year 2021-22.
- (b) Annual Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Pune, Maharashtra, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 9781/17/23]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Una, Himanchal Pradesh, for the year 2021-22, together with the Audit Report thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 10012A/17/23]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Kalyani, West Bengal, for the year 2021-22, together with the Audit Report thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) & (b), (ii) (a) and (iii) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9783/17/23]

(O) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (5) of Section 30 and sub-section (3) of Section 39 of the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014:—

- (a) Annual Reports of the Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur, for the year 2021-22.
- (b) Annual Accounts of the Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) & (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9784/17/23]

(P) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (i) (a) Annual Accounts of the Manipur University, Canchipur, Imphal, for the year 2021-22 and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of Section 34 of the Manipur University Act, 2005.
- (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 9809/17/23]

- (ii) (a) Annual Accounts of the English and Foreign Languages University (EFLU), Hyderabad, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of Section 33 of the English and Foreign Languages University Act, 2006.
- (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.
- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Council of Historical Research (ICHR), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's

Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Council.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. For (ii) and (iii) See No. L.T. 10013/17/23]

STATEMENT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Statement showing action taken by the Government on the observations/Recommendations contained in the Nineteenth Report of the Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in its Twelfth Report on 'Demand for Grants of the Ministry of External Affairs for the Year 2022-23'.

STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of recommendations/observations contained in the 30th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते) : महोदय, मैं भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मार्गों (2023-24) के संबंध में विभाग संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

Status of implementation of recommendations/observations contained in the 301st and 317th Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(GENERAL (RETD.) V. K. SINGH): Sir, I make the following statements regarding:-

- (a) Status of implementation of recommendations/observations contained in the 301st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways.
- (b) Status of implementation of recommendations/observations contained in the 317st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways.

Status of implementation of recommendations/observations contained in the 244th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : महोदय, मैं "पुलिस-प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार" के संबंध में विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 237वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

NOTICES RECEIVED UNDER VARIOUS RULES AND OTHER ISSUES

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, I have received 58 notices under Rule 267. In all these notices, there is demand for discussion on the ongoing situation of violence and unrest in Manipur. Shri Sanjeev Arora has also demanded discussion on passage of Women's Reservation Bill.

Hon'ble Members, before I reflect on this, I need to indicate that there is an impression in certain sections of the media that the time that was allocated at my end for discussion under Rule 176 was limited to two-and-a-half hours. Hon'ble Members are fully aware that I had indicated to this august House that there is no time-limit for discussion on Manipur issues under Rule 176, and that all segments of the House will have their full say. So, that impression which has been generated in the media is not factually correct.

As regards these notices, Hon'ble Members, I had, on 20th of July, 2023, already imparted a ruling and had agreed for acceptance of notice under Rule 176. The Government also agreed for the discussion. That was listed as well. Unfortunately, it could not fructify. Coming to the present notices, since 20th July, every day, a number of notices on the same issue are being received. I leave it to your wisdom, I leave it to your introspection, whether such an approach is right, after being told in categorical and firm terms and after I have taken a call that the notices are not in order and are not accepted. Now, if we continue on every day, with numbers rising or sometimes declining, that, according to me, does not impart a very wholesome impression about our working. Ruling imparted by the Chair, after thoughtful consideration, I am sure, should be respected by all. ...*(Interruptions)*... In this situation, I am unable to persuade myself and the notices received today are not agreed to by me. ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सर, माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*...

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I had given notice... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Hon'ble Members, I will give the floor to the Hon'ble Leader of the Opposition, but before that, I will say one thing. I would urge every Member, particularly those who have experience, and ask them why they should rise in their seats and plead for the LoP to be given time. ...*(Interruptions)*... Those of the Hon'ble Members who are indicating to the Chair that a distinguished part of this House, Leader of the Opposition, be given time are doing injustice on two grave counts; one, they are doing grave injustice to the stature of the LoP. The LoP, in his own right, has a position and, as the Chair, I have to take note of it. Secondly, they are doing injustice to the Chair also. ...*(Interruptions)*... There can be no intermediary between me and any Member. The thing has to be between the Chair and the Member concerned. And the LoP has an elevated position. ...*(Interruptions)*... Again, habits die hard. Habits die hard but we need to contain them. ...*(Interruptions)*... I would urge Shri Jairam Ramesh to arrest his trend, control his habit and leave it to the wisdom of the Chair and the Hon'ble Leader of the Opposition. ...*(Interruptions)*... Please maintain silence. ...*(Interruptions)*...

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : सर, मैंने रूल 267 के तहत नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, the Leader of the Opposition is holding the floor and I am sure the Leader of the Opposition would indicate the issue on which he wants to address this House. Please go ahead.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I have already given notice under Rule 267 and you have explained saying "In the notices, it is not written exactly what they want. They have not substantiated the issue." I will tell you... *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Please raise the issue.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I have stated nearly eight points why the Manipur issue should be discussed, why the Prime Minister should come and give the statement. I have explained everything. * *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now. *...(Interruptions)...* Hon'ble Members *...(Interruptions)...* Nothing will go on record. *...(Interruptions)...* Hon'ble Members, the Leader of the Opposition *...(Interruptions)...* Please take your seats. *...(Interruptions)...* Nothing will go on record. *...(Interruptions)...* I am constrained to observe that I had given floor to the Hon'ble Leader of the Opposition and that floor has not been wholesomely utilised. *...(Interruptions)...* I have taken a view on both the issues. *...(Interruptions)...* Please take your seat for a minute. *...(Interruptions)...* Hon'ble Members, take your seats. *...(Interruptions)...* Nothing will go on record. *...(Interruptions)...* Hon'ble Members, I had, in categorical terms, indicated very firmly on a proper constitutional premise and precedent that from this Chair I will be violating my oath if I impart a directive for the presence of the Hon'ble Prime Minister. That has never been done. It is surprising to me that the Hon'ble Leader of the Opposition *...(Interruptions)...* Hon'ble Members, I cannot make up for ignorance of the statute and Constitution. If the Hon'ble Prime Minister wants to come like everyone, as it is his prerogative, a directive of this nature, from the Chair, which has never been issued, will not be issued. I do not appreciate the Leader of the Opposition taking these instances. You are not being well advised. *...(Interruptions)...* You have legal luminaries on your side. Find out from them. They will help you out that under the Constitution and prescription there under, I cannot give that direction. I shall not. *...(Interruptions)...*

* Not recorded.

Hon'ble Members, I have received four notices under Rule 176 for Short Duration Discussion. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. There is notice given by Shri Sushil Kumar Gupta on 'Concern over deteriorating law and order situation in the State of Uttar Pradesh'. ...*(Interruptions)*... Another notice is given by Shri C.Ve. Shanmugam on 'Concern over acquisition of 25,000 acres of farm land by M/s. Neyveli Lignite Corporation India Limited'. ...*(Interruptions)*... Then, Dr. K. Laxman has given notice on 'Concern over hardships being faced by people of Hyderabad city and other parts of Telangana due to incessant rains and floods'. ...*(Interruptions)*... Ms. Saroj Pandey has given notice on 'Concern over atrocities against women and girls in the State of Kerala'. ...*(Interruptions)*... Hon'ble Members, the same are under my consideration. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, we are walking out. ...*(Interruptions)*...

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up the matters to be raised with the permission of the Chair. ...*(Interruptions)*... Shri M. Shanmugam, not present. Shri Iranna Kadadi...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, we are walking out. ...*(Interruptions)*...

(At this stage, some Hon'ble Members left the Chamber)

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्नाटक): सर, मैं इस सदन के समक्ष ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Just a minute. While the Hon'ble Member was indicating his walking-out, he was not walking out from the House; he was walking out from his constitutional obligations; he was walking out from performance of his duties for the people. This is a platform to serve the people at large as per rule of law. ...*(Interruptions)*... Such a failure, the people have to judge by themselves. ...*(Interruptions)*... Sitting in this Chair, I, surely, cannot appreciate such a conduct by the Hon'ble Members. ...*(Interruptions)*... Hon'ble Members...*(Interruptions)*... Madam Jaya Bachchan...*(Interruptions)*... Hon'ble Members, I would have to name

some of the Members for their indecorous conduct. I urge the Hon'ble Members to maintain decorum. Please, let us not create this. Already, we are not indicating well to the public. ...*(Interruptions)*... Madam, this is not the way. I am so sorry. Not this way; take recourse to rules. ...*(Interruptions)*... Hon'ble Member, Shri Iranna Kadadi, to continue. ...*(Interruptions)*... I would urge every Member in the House to optimally utilise his time to serve the people at large. I have indicated on global fora also that we are witnessing a time when our rise is unstoppable and the whole world is in recognition of it. So, make contributions from that perspective. Hon'ble Member, please continue.

Demand to grant autonomous status to Centre of Excellence for studies in Classical Kannada

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्नाटक): महोदय, आज मैं इस सदन के समक्ष कर्नाटक और हमारी गौरवशाली कन्नड़ भाषा के विकास के विषय को उठाना चाहता हूँ। मैं इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी बात कन्नड़ में कहना चाहूँगा। *Sir, the Kannada language has a glorious history of about 3,000 years. Kannada language is spoken by more than six crore people as their mother tongue; it is one of the Classical Languages of India.

Literary works in the Kannada language have received eight Jnanapitha Awards. Acharya Vinoba Bhave had called Kannada script the queen of all the scripts in the world. In 2008, the Kannada language was recognized as a Classical Language.

Sir, Centre of Excellence for Studies in Classical Kannada was established in Center of Indian Languages at Mysore in 2011 for the development of Kannada language and to encourage research work in it.

The Karnataka Government had allotted land, and the Centre of Excellence for Studies in Classical Kannada was established. However, the Centre of Excellence for Studies in Classical Kannada has not received the autonomy it deserves. The Karnataka Government has been focusing on this issue since 2020.

I would like to apprise you of the cultural and historical importance of Kannada language and would like to request the Government, through you, to accord it the recognition in parity with the recognition being given to Tamil language. The Central Government should allocate funds for the development of Kannada language, thereby inspiring the students to undertake studies and conduct research in this language. I

*English translation of the original speech delivered in Kannada.

humbly request the Government and the Education Ministry to do the needful in this regard.

Sir, by according autonomy to the Centre of Excellence for Studies in Classical Kannada, there will be multi-fold development and an increase in the number of books and literary activities in Kannada language. Thank you."

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

SHRI DHANANJAY BHIMRAO MAHADIK (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

MR. CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan; not present. Shri Sushil Kumar Modi.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA) *in the Chair.*]

Need to regulate OTT platform for obscene and vulgar content

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : महोदया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो obscene content दिखाया जाता है, मैं उस पर पाबंदी लगाने से संबंधित विषय पर शून्य काल में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, ओटीटी (Over the top) प्लेटफॉर्म, जैसे Netflix, Amazon, Disney, Viacom-18, Apple TV, Reliance broadcast, Hotstar, Prime Video, ऐसे करीब 40 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, इनमें से अधिकांश प्लेटफॉर्म पर सीरियल्स का जो प्रदर्शन किया जाता है, उनमें हिंसा, vulgarity, obscenity, गाली-गलौज वाली भाषा, killings और drugs को glorify करने के साथ-साथ इनमें इतनी अभद्रता और अश्लीलता है कि इन्हें परिवार के साथ बैठकर देखना कठिन है। रोजमर्रा की जिन्दगी में हम जिस प्रकार की गाली का प्रयोग नहीं करते, वैसी गालियां इन प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले सीरियल्स के अंदर दी जाती हैं। अब देश के बड़े-बड़े कलाकार Netflix और Amazon के live-streaming सीरियल्स में शामिल होते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, इनका बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है और यह वर्ष 2027 तक 7 बिलियन डॉलर तक होने की संभावना है। सर, age की रेटिंग भी वे स्वयं करते हैं, जबकि यह काम किसी expert panel के द्वारा किया जाना चाहिए। महोदया, जिस प्रकार फिल्म के लिए censorship है, वैसे मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए किसी प्रकार के प्रतिबंध के

पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जैसे फिल्मों के लिए रेगुलेशन बना हुआ है और हम सबको याद है कि Central Board of Film Certification जो Cinematograph Act, 1952 के तहत बना है, उसके द्वारा फिल्मों के प्रदर्शन के पूर्व उनकी समीक्षा की जाती है। उसी प्रकार टेलीविज़न पर telecast हेतु Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 बना हुआ है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कुछ दिखाया जाता है, उसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से यह आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटर बनाना चाहिए। अभी यह self-regulation है। उन्होंने रेगुलेट करने का अपना एक रेगुलेशन बनाया है, लेकिन सरकार की ओर से उसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये केवल हिंसा और बाकी अन्य चीज़ें ही नहीं, बल्कि मनोरंजन के नाम पर soft-porn दिखाते हैं। इसका परिणाम है कि बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों के सामने घरों में इनका प्रदर्शन किया जा रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर vulgarity, obscenity, violence and drugs-trafficking आदि को glorify करने से रोकने के लिए तथा इन चीज़ों को regulate करने के लिए कोई सिस्टम बनाना चाहिये।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Madam, I associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

SHRI PABITRA MARGHERITA (Assam): Madam, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला (गुजरात) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

SHRI DHANANJAY BHIMRAO MAHADIK (Maharashtra): Madam, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Madam, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Madam, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Thank you. Now, Shri Manas Ranjan Mangaraj.

Need to open Repertory Units on "Prahallada Natak" and "Ghoomura Dance" in Districts of Ganjam and Kalahandi in Odisha

SHRI MANAS RANJAN MANGARAJ (Odisha): Madam Vice-Chairperson, thank you for giving me this opportunity. Odisha is a culturally rich State and folk art as well as folk dance is an integral part of its ancient culture. But due to negligence on the part of the Government and fading popularity after the advent of electronic media, folk dance forms such as Ghumura Dance of Kalahandi district and Prahallada Nataka of Ganjam district are on the verge of extinction and the plight of the artists of the above folk art forms are becoming worse day by day. Unless the Government takes necessary steps to restore the heritage of Kalahandi and Ganjam districts by saving and nurturing the above art and artists, the future will be grim. Hence, it is my humble request to set up repertoire units for the above mentioned art forms in Kalahandi and Ganjam districts so that they could be saved and artists could be nurtured and promoted. Thank you.

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

SHRIMATI MAMATA MOHANTA (Odisha): I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

Need to use Hot Dip Galvanized TMT Bar in all infrastructure development projects

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जीरो ऑवर में जंग निरोधक थर्मो मेकैनिकल ट्रीटमेंट किये हुए कंटीन्यूअस galvanized बार के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कन्स्ट्रक्शन में उपयोग के बारे में कहना चाहता हूं। महोदय, शासकीय रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष भारत दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान मूलभूत सुविधा में उपयोग किये गये लोहे को लगने वाले जंग से सहन करता है। लोहे का जो बार होता है, उसका नैसर्गिक स्वभाव जंग खाना है। जंग कभी रिपेयर नहीं हो सकता और एक बार शुरू होने के बाद उसे रोक भी नहीं सकते। जंग शुरू होने के बाद लकड़ी में लगे हुए टरमाईट जैसा काम करता है। लोहे की सलाई जंग की वजह से तीन गुना एक्सपेंड होती है। उसकी वजह से कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं और कंक्रीट कोलैप्स हो जाता है। कंक्रीट के स्वभाव तथा तापमान में बदलाव की वजह से कंक्रीट में हेयरलाइन क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से लोहा, पानी और आर्द्रता लोहे के जंग की शुरुआत करते हैं। लोहा खुले गोदाम में रखने के बाद भी जंग खाता है। लोहे के जंग की वजह से पुलिया रोड कमजोर होती है। जंग रोकने के लिए कैमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने भी इसका मुआयना किया है और वह इस पर विचार कर रही है। जंग रोकने वाले उपायों में स्टेनलेस स्टील, एपॉक्सी कोटिंग और स्टील को galvanize करना, ये तीन उपाय सुझाये गये हैं। स्टेनलेस स्टील की कॉस्ट galvanized से तीन गुना ज्यादा होती है। एपॉक्सी कोटिंग उतनी प्रभावकारी नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी क्रैक्स होते हैं और जंग लगना शुरू हो जाता है।

इसलिए हॉट डिप galvanized टीएमटी बार जंग को रोकने के लिए कामयाब है। गेलवनाइजिंग एक मेटालॉजिकल रिएक्शन है, जो 460 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। उसकी वजह से स्किल और जिंक का एलॉय बनता है और इससे तीन से पांच गुना लोहे की आयु बढ़ती है। Galvanized टीएमटी बार ओपन वेयरहाउस में सालों तक रखने के बाद भी जंग नहीं खाता। इसलिये galvanized टीएमटी बार सस्टेनेबल और इकोनोमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट और लोगों के लिये देता है। जिंक का कोरोज़न रेट एक शतांश स्टील से है और उसकी वजह से इस अमृत काल में हमारे यहां बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। यह सस्टेनेबल रहे, इसलिए सभी टीएमटी बार्स को galvanize करना जरूरी है। उसकी लागत 16 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा नहीं होती। That is a certified green product. Galvanized टीएमटी की ब्लैक टीएमटी बार से ज्यादा strength रहेगी। उसे बेंड, वेल्डिंग और कट करना उसके लिए आसान होता है। किसी भी वेदर कंडीशन में या खुले वातावरण में भी वह टिकाऊ रहता है और उसकी वजह से स्टेनलेस स्टील और एपॉक्सी कोटिंग के comparison में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए हॉट डिप galvanized टीएमटी बार का यूटिलाइजेशन करना देश के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मेरी सरकार से विनती है कि वह इस पर ध्यान दे।

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला (गुजरात) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Shri Sanjeev Arora; absent. Shri Aneel Prasad Hegde; absent. Shri V. Vijayasai Reddy; absent. Shri Kailash Soni.

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति विशिष्ट विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि पूरे सदन को भी ज्ञात है, हिंदुस्तान के इतिहास में स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Your subject is different. Kindly see the subject. Your subject is, 'Demand for Making Provisions under Arms Act for License to Businessmen Dealing in Gold, Silver and Diamond.'

Need for making provisions under Arms Act for License to businessmen dealing in gold, silver and diamond

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा विषय पूरे हिंदुस्तान में सोने-चांदी के सारे विक्रेताओं और हीरे के विक्रेताओं के साथ आए दिन होने वाली लूट, चोरी, राहजनी की घटनाओं के बारे में है। कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता, जब किसी न किसी सराफा व्यवसायी की हत्या न हुई हो। कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता, जब किसी न किसी सराफा व्यवसायी के साथ दिन-दहाड़े राहजनी की घटना न हुई हो। हिंदुस्तान के सारे प्रांतों में इनके साथ ऐसी वारदातें हो रही हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि इनके जीवन और इनके माल की सुरक्षा के लिए आर्म्स एक्ट में यह प्रावधान किया जाए कि इन्हें समय-सीमा में उदारतापूर्वक आर्म्स लाइसेंस दिया जाए। ...**(समय की घंटी)**...

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

डा. सस्मित पात्रा (ओडिशा) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Madam, I also associate myself with the mention made by the Hon'ble Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Shri Binoy Viswam. He is absent. Dr. Sasmit Patra.

DR. SASMIT PATRA: Madam, may I know the subject? Because I think there are two notices.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Your subject is, 'Demand for providing Special Focus State Status to Odisha.'

Need to provide Special Focus State status to Odisha

डा. सस्मित पात्रा (ओडिशा) : ऑनरेबल वाइस-चेयरपर्सन मैडम, ओडिशा राज्य हमेशा से नेचुरल डिज़ास्टर का एन्काउंटर करता आया है। पिछले 100 सालों में हम लगभग 99 साइक्लोनस झेल चुके हैं। चाहे वह फानी हो, हुदहुद हो या 1999 का सुपर साइक्लोन हो - ऐसे कई नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए हैं, जिनकी वजह से हमारे राज्य, ओडिशा को बहुत क्षति पहुंची है। उस वजह से लाइवस्टॉक और इन्फ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज होता है, उसकी भरपाई करने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए हमारे नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने यह रिक्वेस्ट और डिमांड बार-बार की है कि ओडिशा और ओडिशा जैसे अन्य राज्य जो कि स्पेशल फोकस स्टेट्स के हकदार हैं, जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में नेचुरल डिज़ास्टर्स को फेस करते हैं, उनको स्पेशल फोकस स्टेट का दर्जा दिया जाए। मैडम, यह स्पेशल फोकस स्टेट होता क्या है? आप जानती हैं कि कोई भी प्रोग्राम का जो सेन्टर-स्टेट शेयरिंग पैटर्न होता है, वह 60:40 या 50:50 का होता है। लेकिन जब कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, माननीय मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने यह रिक्वेस्ट की है कि जब से नेशनल डिज़ास्टर आये, तीन साल की अवधि तक आप शेयरिंग फैक्टर 60:40 की जगह पर 90:10 के रेश्यो पर करें, जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए आप प्रोवाइड करते हैं। हम यह जानते हैं कि सरकार स्पेशल कैटेगरी स्टेट अभी देना नहीं चाहती है, उन्होंने यह स्पष्ट किया है। परंतु जब स्पेशल फोकस स्टेट के बारे में हम कहते हैं तो इसकी एक निर्धारित समय सीमा सिर्फ तीन साल के लिए है और इस तीन साल में क्या होता है कि ओडिशा जैसा राज्य है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, तमिलनाडु है या और भी राज्य हैं, जिनके यहां पर नेचुरल डिज़ास्टर के कारण क्षति पहुंचती है, whether it is cyclone or whether there are floods or whether there are other issues तो उनके लिए इन तीन साल में

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सफिशिएंट नहीं होता, 10 हजार करोड़, 15 हजार करोड़, 20 हजार करोड़ का जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए अगर यह सेंटर-स्टेट का sharing pattern 60:40 की जगह पर 90:10 का रेश्यो आ जाये, 90 प्रतिशत तीन साल के लिए केंद्र दे और 10 प्रतिशत राज्य सरकार दे और तीन साल बाद, sharing pattern को revoke कर ले, तो राज्य को अपने आपको रिकवर करने के लिए समय मिलेगा और केंद्र सरकार पर भी कोई एडिशनल असिस्टेंस देने के लिए प्रेशर नहीं होगा। इस तरह की सोच हम रखते हैं और हमारे नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने कई बार, जब आपकी स्टेट मीटिंग्स रहती हैं, उनमें इसका उल्लेख किया है। मैं आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार इस बारे में गौर करेगी। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने नीति आयोग में भी डिस्कस किया है, उस पर डिमांड्स रखी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ओडिशा और जो बाकी राज्य हैं, जो इसी तरह से सफर करते हैं, उनके लिए स्पेशल फोकस स्टेट एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाना चाहिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

Need to improve digital infrastructure and all-round connectivity in rural areas of Odisha

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Madam, there are four critical areas where infrastructural intervention is required for development of any region. First is roads; second is Railways; third is banking services; and fourth is digital services. As we know, in the latest report of MDPI, which was released recently by the Government of India, Odisha has exhibited one of the sharpest falls in poverty levels from about 29.43 per cent to about 15 per cent. This has been achieved despite severe shortcomings by the Central Government in these four areas of intervention. Now, let me talk about roads and highways first. As far as highways are concerned, 32 National Highway projects are lagging in completion by anywhere between one and six years. The Hon'ble Minister had promised to get all this completed by mid-2023 but not much progress has yet been made. Thirty-seven new expansion projects were supposed to be completed by 2021, but, in 34 out of 37, even work order has not been issued. No State road has been converted into National Highways in the last five years. Fourteen new State roads, which were already declared in principle, to be converted into

National Highways, have also not been announced. Madam, one particular road is NH-55. This particular road, which is the lifeline between the Eastern part of Odisha and the Western part of Odisha and the economic corridor, has had three revisions. There have been 1,315 accidents and 603 deaths but still it is not completed. Therefore, Madam, this is an area where the Government of India is requested to make interventions. The Hon'ble Chief Minister of Odisha has made repeated demands on this. Repeated letters have been written requesting the Government of India to immediately look into this.

The second aspect is about Railways. In Railways, in the last nine years, not a single new line has been announced by the Government of India. There are several projects which are lagging. The Paradip-Haridaspur railway is still not completed even after, I think, more than two decades. As far as banking is concerned, similar problem is there with 70 per cent Gram Panchayats not having brick and mortar branch; as far as digital connectivity is concerned, it is only 34.5 per cent in rural Odisha and it is less than the national average by any stretch of imagination. People have to climb up to trees to get connectivity over there. So, it requires the Government of India's intervention. I urge them to look into this because people of Odisha deserve much better connectivity. The tribals of Odisha deserve much better connectivity and the rural people of Odisha deserve much better connectivity. Thank you, Madam.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Madam, I associate myself with the matter raised by the Hon'ble Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Shri Ram Chander Jangra - Demand to provide houses to 'Gadia Lohars' under Pradhan Mantri Awas Yojana and take steps to uplift the social status of this Nomadic Community. He is not present. Now, Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Need for establishing a Centre of Excellence and Research Institutes on Millets in Odisha

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Madam, this is to draw your attention to the

pertinent issue that there are no research institutes and Centre of Excellence on Millets in Odisha despite the fact that the State records a 14-fold increase in the area of millet production within the last five years, from 3,340 hectares in 2017-18 to 52,230 hectares in the year 2021-22. The State of Odisha is home to seven of the total 11 millet varieties, namely, Pearl, Barnyard, Sorghum Foxtail, Little, Kodo and Proso; and out of 30 districts, 15 of them grow millets. This growth is credited to the State's emphasis on millet production through the Odisha Millets Mission, which was launched in 2017 and has been commended by the Niti Aayog in the 'Health and Nutrition Practice Insights' Report. Today, while we discuss, India, along with the world, is celebrating the International Year of Millets. The Hon'ble Finance Minister also highlighted the aspiration to make India the global center for millets which apart from various health benefits like prevention of diabetes and preserving cardiovascular health, is suitable for farmers on account of being drought resistant, climate resilient and can be grown without use of pesticides and fertilizers, even in poor soil. I am glad that Hon'ble Finance Minister is here in the House. Since Odisha is both millet rich and millet diverse State, I request the Government to set up a Centre of Excellence in Odisha and Research Institutes on Millets especially in Western part of Odisha to boost millet research and production for country's food security and to ensure farmer welfare. Thank you, Madam.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Madam, I associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

Impact of Climate Change in India

SHRI NARESH BANSAL (Uttarakhand): Madam, India's monsoons have always arrived with fury, and the loss of life and destruction playing out in the country is yet another reminder of the urgency of climate change, experts say. A warming climate means extreme rainfall in many parts of the world, scientists have said. Indian floods are a series of floods that affected all States of India. Somewhere there is flood, some parts suffer drought. Uttarakhand State in the Himalayan range is badly hit by heavy rainfall which triggered flash floods and landslides, affecting the whole State. The rainfall washed out public infrastructure, blocked roads, damaged bridges, submerged houses, damaged agricultural fields and stranded hundreds of people in several parts of the State. In the last few months, India, a nation of 1.4 billion people,

has experienced powerful cyclones and deadly floods in the Himalayas. It has also suffered through extreme temperatures, including a heat wave. Scientists have warned that extreme weather is likely to become more common and more intense in the coming decades as sea levels rise and the Indian Ocean becomes warmer. In the absence of rapid, informed and far-reaching mitigation and adaptation measures, the effects of climate change are likely to pose profound challenges to sustaining the country's rapid economic growth. India's agrarian economy depends heavily on monsoon rain. Too little means a drought and too much can cause catastrophic flooding. Extreme rainfall washes away fertile topsoil, while droughts deplete groundwater reserves that have been declining rapidly in many parts.

I urge the Government to take necessary steps in the matter. Thank you.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Madam, I associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

Setting up of e-filing Centres and Virtual Courts

डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरा विषय न्याय मंत्रालय द्वारा जनपदों में 4,400 ई-फाइलिंग सेंटर्स और कुछ न्यायालयों में वर्चुअल कोर्ट्स की स्थापना के निर्णय को लागू करने के संबंध में है। न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के सभी जनपदों में सस्ता व सुलभ न्याय और वादकारी का हित सर्वोच्च के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए जनपदों में ई-फाइलिंग सेंटर्स स्थापित करने का निर्णय किया था तथा इसके लिए 2023-24 के बजट में 7,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा भी स्वीकृत है। इन ई-फाइलिंग सेंटर्स से वादकारी जनपद में ही अपना वाद दायर कर सकते हैं, जमानत प्राप्त कर सकते हैं और अंतिम सुनवाई व निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार के माननीय न्याय मंत्री ने दिनांक 9.3.2023 को सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिख कर उनकी सहमति माँगी थी। कर्णाटक, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व सिक्किम राज्यों की सहमति प्राप्त भी हो गई है, शेष प्रतीक्षित है। प्रश्न यह है कि यदि माननीय मुख्य न्यायाधीशों की सहमति नहीं मिली या इसमें विलंब होता है, तो सरकार को कोई और पद्धति अपनानी चाहिए। ओडिशा में वर्चुअल कोर्ट स्थापित हो गया है। दिल्ली, तेलंगाना, झारखंड व ओडिशा में ई-फाइलिंग सेंटर्स चल रहे हैं।

अतः सरकार से मेरी माँग है कि ऐसी व्यवस्था, जिससे सामान्य जनता को न्याय उसके दरवाजे पर मिले, इस हेतु सभी माननीय मुख्य न्यायाधीशों को समयबद्ध अनुस्मारक भेज कर अथवा उनके साथ या हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ बैठक करके इस समस्या का हल शीघ्रातिशीघ्र निकाला जाना चाहिए, धन्यवाद।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Madam, I also associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

Vande Bharat train for Meerut, Uttar Pradesh

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आती हूँ। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है। मेरठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ भारतीय सेना की एक छावनी भी है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में से एक है।

महोदया, वंदे भारत एक्सप्रेस एक भारतीय अर्ध-हाई स्पीड ट्रेन है और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन भी है। रेल मंत्रालय ने अगले दो वर्षों के लिए 200 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में टाटा स्टील के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कंपनी देश की सबसे तेज और सुविधा संपन्न वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेनों का निर्माण करेगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, उसके द्वारा मेरठ रूट को भी कवर किया जाना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके।

Opening of CGHS wellness centre at Kolhapur (Maharashtra)

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदया, पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने पर केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण ध्यान दे रही है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और वित्तीय बाधाओं के कारण असंख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में पुणे में पर्याप्त सीजीएचएस सुविधाएँ और वेलनेस सेंटर्स उपलब्ध हैं, लेकिन कोल्हापुर के कर्मचारी और पेंशनभोगी आर्थिक और शारीरिक कठिनाइयों के कारण शायद ही इसका लाभ उठा पाते हैं। इसलिए कोल्हापुर में एक सीजीएचएस वेलनेस सेंटर की सख्त जरूरत है, जो कोल्हापुर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 11 तहसीलों को कवर करेगा और केंद्र सरकार के लगभग एक लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह कोल्हापुर में एक सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खोले।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Madam, I associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P. T. USHA): Shri Binoy Viswam; not present. Shri M. Mohamed Abdulla; not present. Lt. Gen. (Dr.) D.P. Vats (Retd.); not present. Shri A.D. Singh; not present. Shri Masthan Rao Beeda on 'Concern over project on Nucleus Breeding Centre'.

Project on the Nucleus Breeding Centre

SHRI MASTHAN RAO BEEDA (Andhra Pradesh): Madam, project on the Nucleus Breeding Centre for Indian Tiger Shrimp was established more than a decade ago in Andaman under the supervision of Marine Products Export Development Authority (MPEDA). So far, no Specific Pathogen Free (SPF) brood stock has been made available to the hatchery operators. It is necessary to supply indigenous brood stock of Tiger Shrimp immediately by MPEDA to bring sustainability of aquaculture in the country instead of depending on the imported brood stock.

It is learnt that a foreign company has been permitted to establish Broodstock Multiplication Centre (BMC) in India along with the Indian hatchery operator causing monopolistic situation which is not desirable.

I urge the Government of India to direct MPEDA to expedite the arrangements for supplying Black Tiger Brood Stock from its Andaman Project to the hatchery operators. Thank you.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Madam, I associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Madam, I too associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P. T. USHA): Shrimati Mamata Mohanta.

Establishment of paper mill in Mayurbhanj, Odisha

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा) : उपसभाध्यक्ष महोदया, ओडिशा का मयूरभंज जिला एक पहाड़ी एवं जंगली इलाका है। यहां पर ज्यादातर आदिवासी लोग निवास करते हैं। यहां बड़े पैमाने पर बांस की खेती होती है, लेकिन कोई बैबू क्लस्टर या पेपर मिल नहीं होने के कारण यहां के लोग बांस को उचित मूल्य पर नहीं बेच पाते हैं।

मयूरभंज के सुलियापदा, मोरडा, रसगोविंदपुर, बेतनोटी इत्यादि इलाकों में बांस प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन कोई पेपर मिल या बैबू प्लांट न होने के कारण दूसरे राज्यों के व्यापारी यहां का कच्चा माल कम कीमत पर खरीद लेते हैं।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि मयूरभंज जिले में एक पेपर मिल स्थापित की जाए, जिससे यहां के किसानों को बांस का उचित मूल्य मिलने के साथ-साथ रोजगार भी मिल सके।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Madam, I associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Madam, I too associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Madam, I too associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P. T. USHA): Dr. K. Laxman.

Unprecedented rains, which led to flash floods in many parts of Telangana

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Madam, the unprecedented rains, which led to flash floods in many parts of the State of Telangana, wreaked havoc, severely impacting lives and livelihoods. Although the entire State of Telangana was affected by incessant rains during the last ten days, four regions of the State, namely, Warangal, Mulugu, Hyderabad, and Bhadrachalam, got severely hit. In Mulugu district itself, there have been 16 deaths and the total number of deaths in the State is still unknown. As a consequence of the flash floods, one village, Morampally in Bhoopalpally district, faced the threat of complete submergence, but the timely intervention of the NDRF and Army, actually, saved the village. Several colonies in the tri-cities of Hanumankonda, Kazipet and Warangal are inundated, paralysing civic life. The same is the case in the city of Hyderabad. Over 1200 roads, including many stretches of the national highways, were breached, affecting transportation. The situation in the temple town of Bhadrachalam is very dangerous, as the river Godavari is flowing above the danger line. The overall situation in the State is indeed alarming. The farmers in the State are in distress, as crops in several thousands of hectares are severely damaged by the inundation of water and deposits of sand. So, I urge upon

the Union Government to expedite the relief for affected people of Telangana. Thank you, Sir.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Madam, I associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Madam, I also associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

Need for taking immediate decision on treating Kori-Koli caste as one and bringing them under SC category

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश) : महोदया, उत्तर प्रदेश में 'कोरी' अनुसूचित जाति में आते हैं और इनका पेशा कपड़ा बुनना रहा है। औरंगजेब के समय में इन्हें अपना कपड़ा बुनने का पेशा छोड़ने या धर्मांतरण कर इस्लाम धर्म स्वीकारने का विकल्प दिया गया। जो लोग 'कोरी' जाति से धर्मांतरित हुए, उन्हें 'जुलाहा' कहा गया, जो अब अपने को 'अंसारी' कहते हैं और इनके पास अब भी कपड़े का व्यवसाय है। 'कोरी' जाति के लोगों के पास अब न कपड़ा बुनने का पेशा रहा, न ही खेती की जमीन।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल में 'कोरी' जाति के लोगों को 'हिन्दू जुलाहा' कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में 23-24 वर्ष पहले इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देना बंद कर दिया गया था। उसका कारण बताया गया कि सरकार की अधिसूचना में केवल 'कोली' अंकित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में इस जाति के लोग अपने को 'कोरी' के अलावा 'कोली' भी लिखते हैं और उन राज्यों की अधिसूचना में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपनी कैबिनेट से पास करा कर 19 मार्च, 2021 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा है कि 'कोरी', 'कोली' और 'हिन्दू जुलाहा' एक ही हैं, इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पर शीघ्र निर्णय लेकर 'कोली' और 'हिन्दू जुलाहा' को भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाए।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Madam, I associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P. T. USHA): Shri Ram Nath Thakur; not present. Now, Dr. Radha Mohan Das Agrawal.

Drinking water in Kuttanad (Kerala)

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : महोदया, केरल के कुट्टुनाड क्षेत्र में 20 लाख नागरिक रहते हैं। धान की खेती में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होने से और नागरिकों के कैनाल के पानी में नहाने से तथा खाने पीने के लिये उसका प्रयोग करने से कैंसर की बहुत अधिक बीमारी हो रही है। वेलियानाडु ब्लॉक के रामनकेरी, केरिनकेरी, मुन्नार सहित दसियों गाँवों में पाइप से जलापूर्ति पूरे केरल में सबसे कम है। नागरिकों को पीने का पानी भी पानी की बोतल खरीदकर पीना पड़ता है। भारत सरकार ने देश के हर घर में पाइप लाइन से पीने का शुद्ध पानी पहुँचाने की अति महत्वाकांक्षी योजना 2019 में शुरू की थी। पूरे देश में भारत सरकार ने 11.66 करोड़ घरों तथा 58 करोड़ लोगों को पिछले 4 सालों में शुद्ध पानी पहुँचा दिया, लेकिन केरल के 67.15 लाख घरों में से सिर्फ 21.55 लाख घरों में जलापूर्ति की गई और पिछले 4 सालों में केरल की इस मामले में उपलब्धि सबसे कम रही। केरल में भी कुट्टुनाड, वेलियानाडु जैसे क्षेत्रों के जहरीले पानी पीने वाले घरों में योजना शुरू होने के पहले भी शुद्ध पानी की उपलब्धता बहुत कम थी और चार साल बाद भी केरल के अन्य क्षेत्रों में पाइप लाइन से शुद्ध पानी की आपूर्ति सिर्फ 20% है।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

जल जीवन मिशन का एक्शन प्लान राज्य सरकारें बनाती हैं। आम नागरिक कैंसर के कारण मर रहे हैं, इसलिए मेरा जल शक्ति मंत्री से निवेदन है कि वे केरल सरकार को अपना एक्शन प्लान फिर से बनाने और प्राथमिकता पर पहले सभी गाँवों को शुद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the Hon'ble Member.

MR. CHAIRMAN: The Special Mentions are permitted to be laid on the Table of the House.

*Demand for Reconsideration of G.A.T.E. scores for PSU Recruitment

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, the Public Sector Undertaking companies like NLCIL, IOC etc., consider GATE scores for recruitment of Graduate

* Laid on the Table

Engineer Trainee (GET) posts. Candidates willing to appear in the PSU interview have to qualify the GATE 2023 cutoff for PSU. This will be a big burden on students from rural areas who studied under various State Boards. Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu had requested the Union Government to refrain from the decision to adopt GATE scores for the recruitment of GET in PSUs.

This is a deviation from past practice. Earlier priority was being accorded, while recruiting for various positions, including GET, to the eligible candidates from amongst those families who provided lands for the PSUs that have considerable requirement of lands. While acquiring land, there arises a very justifiable demand amongst the local people that job opportunities should be provided to those families whose lands were acquired by PSUs.

The local communities, especially those who have given up their lands and houses for the development of PSUs, should be accorded priority in the process of recruitment to various positions in PSUs. Furthermore, the present sudden shift in the recruitment process to consider GATE marks for appointment would deprive the candidates from poor and rural backgrounds who are not in a position to clear the GATE exam.

Therefore, I urge the Union Government to refrain from the decision to adopt GATE scores for recruitment to GET in PSUs and to accord priority to those candidates whose families have given their lands for the development of PSUs.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Question Hour.

12.00 P.M.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Q. No. 136. Shri Akhilesh Prasad Singh; not present.

**136. [The questioner was absent.]*

Tenements in Kashmir

*136. SHRI AKHILESH PRASAD SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether in 2004, 5,242 Two-Room Tenements (TRTs) were built across several locations in Jammu including Jagti, Purkhu, Muthi and Nagrota under the Prime Minister Package of the previous Government for the Return and Rehabilitation of Kashmiri Migrants;
- (b) whether any new tenements have been built in the last three years; and
- (c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI): (a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) In 2004, no Two Room Tenements (TRTs) were built. However, the tenements were constructed in Jammu region (Purkhu, Muthi, Nagrota and Jagti) to accommodate the people who had migrated due to terrorism in the year 1989-1990 from their ancestral places of residence in Kashmir valley to Jammu. 5,248 Tenements were constructed in two phases till the year 2011.

(b) and (c) No new tenements for above purpose have been built in the last 3 years. However, due to improved security scenario in Kashmir Valley, the Government has taken up the project of construction of 6,000 Transit Accommodations for the Kashmiri Migrant Employees returning to Kashmir Valley. 880 flats have been constructed in the last 3 years.

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। अगर अनुमति है, तो मैं और विस्तृत रूप से कुछ बता देता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 137.

Carbon neutral panchayat

†*137. SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: Will the Minister of PANCHAYATI RAJ be pleased to state:

† Original notice of the question was received in Hindi.

- (a) whether it is a fact that country's first carbon neutral panchayat has been announced, if so, the details thereof;
- (b) whether feasibility studies are being conducted for other panchayats to assess the possibility of making them carbon neutral;
- (c) if so, the details thereof;
- (d) whether steps have been taken to ensure carbon neutrality of Panchayats under the 'Gram Urja Swaraj' programme; and
- (e) if so, the schemes currently being implemented under this programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ (SHRI KAPIL MORESHWAR PATIL): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) and (c) In collaboration with Unnat Bharat Abhiyan and Ministry of Panchayati Raj a local climate action plan for Palli Gram Panchayat, Samba District, Jammu has been prepared by the Union Territory of Jammu & Kashmir.

For exemplary work towards achieving net-zero carbon emissions, Ministry of Panchayati Raj conferred "Carbon Neutral Gram Panchayat Award" under the National Panchayat Awards 2023 to three Gram Panchayats namely, Meenangadi (Sulthan Bathery Block, Wayanad District, Kerala), Kanha (Nandigama Block, Rangareddi District, Telangana) and Bonaigarh (Bonaigarh Block, Sundargarh District, Odisha) in the rank first, second and third, respectively. These awards were conferred on 17th April, 2023 in the event graced by Hon'ble President on India.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत निर्माण के लिए 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे सीओपी-26 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जो कमिटमेंट्स किए गए थे, उन सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है?

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने ग्लासगो के सीओपी-26 सम्मेलन में अपने बहु-प्रशंसित संबोधन में पंचामृत के रूप में एक कार्य योजना को विश्व के सम्मुख रखा, जो भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की अवस्था तक पहुंचाएगी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश में लगभग 2,60,000 पंचायतों को भी प्रयास करने की आवश्यकता है और उन्हें भागीदारी लेने की भी आवश्यकता है। पंचायतों में अक्षय सूत्रों से उत्पन्न की हुई बिजली को वितरण कंपनियों के ग्रिड से जोड़कर मुद्रीकृत भी किया जा सकता है। इसी तरह से परिवहन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। वर्ष 2022 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर जम्मू-कश्मीर की पल्ली ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल होने के रूप में घोषित किया था। हमारे मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में तकनीकी रूप से कार्बन न्यूट्रैलिटी के कार्य को आगे बढ़ाया और इस वर्ष पल्ली की जलवायु और कार्य-योजना की विभिन्न गतिविधियों को जम्मू-कश्मीर से संबंधित लाइनों को विभाग की योजनाओं में सम्मिलित कर लिया है। हमारे मंत्रालय ने सभी पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल करने की ओर जागृत करने के लिए सभी राज्य सरकारों के माध्यम से पंचायतों को एक अवधारणा नोट भी साझा किया है। पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या योजना बनानी है, वित्त की व्यवस्था कहाँ से करनी है और किस तरह के उपाय करने हैं, आदि के बारे में यह नोट विस्तृत रूप से जानकारी देता है। इसी तरह से, हमारे मंत्रालय ने ग्राम ऊर्जा स्वराज डैशबोर्ड का भी निर्माण किया है। पिछले साल ही इसकी लॉन्चिंग हुई थी। इस डैशबोर्ड में देश भर की लगभग 4,900 पंचायतें, जो कार्बन न्यूट्रल परियोजनाओं में रुचि रखती हैं, अपनी सूचनाओं को अपलोड किया है। मंत्रालय ने राज्यों के साथ जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय संयंत्रों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए एक ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष समिति भी गठित की है। यह समिति आज तक दस राज्यों से बात कर चुकी है।

MR. CHAIRMAN: Please be brief.

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : जो पंचायतें ग्राम ऊर्जा स्वराज डैशबोर्ड से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ विचार-विमर्श करके, उन्हें कैपेक्स में जाना है या ओपेक्स में जाना है, इसकी जानकारी भी मंत्रालय के माध्यम से दी जाती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कार्बन न्यूट्रल पंचायतों के निर्माण से आय और रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं? यदि हाँ, तो इसकी डिटेल्स क्या हैं?

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कार्बन न्यूट्रल पंचायतों के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्थानीय उद्यमी समूह गतिविधि के रूप में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एलईडी बल्ब का उत्पादन

भी किया जा रहा है। धूम्ररहित चूल्हों की आपूर्ति से रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो रहे हैं। जैविक खेती और विपणन एक अन्य क्षेत्र है, जहाँ पंचायतें अपना ध्यान केन्द्रित कर रही हैं। सर, मैं यहाँ तमिलनाडु के ओडंथुरई का एक उदाहरण देना चाहूँगा। इस ग्राम पंचायत ने कर्ज लेकर विंडमिल स्थापित किया था, ताकि उससे बिजली पैदा की जा सके। फिर, उन्होंने उस बिजली को ग्रिड को भेजकर उसका कर्ज चुकाया, वहाँ पर रोजगार पैदा हुए और उससे पंचायत की आय भी बढ़ी। सर, मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में भी हाल ही में 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक वित्तीय मॉडल बनाने के लिए अनुरोध किया गया है। मैं महाराष्ट्र के जिस ठाणे जिले से आता हूँ, वहाँ 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना' के अंतर्गत जो 121 गाँव सम्मिलित हैं, उन सारे गाँवों को कार्बन न्यूट्रल करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं और उनका डीपीआर बनाने का कार्यक्रम अभी चल रहा है।

MR. CHAIRMAN: Q.No. 138, Shrimati Shanta Chhetri, not present. Hon'ble Minister.

*138. [*The questioner was absent.*]

Pm-Daksh Yojana

*138. SHRIMATI SHANTA CHHETRI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-

- (a) details of Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojana beneficiaries and funds allotted for the same; and
- (b) the details of implementation of the yojana in each of the States with special reference to West Bengal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI A. NARAYANASWAMY): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

TARGET GROUP

(a) and (b) Under the scheme of 'Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi' (PM-DAKSH) skill development training to the youth of age between 18-45

years belonging to Scheduled Castes, Other Backward Classes/Economically Backward Classes/De-notified Tribes and Safaikaramcharis including Waste pickers is imparted through online registration at PM-DAKSH portal on pan India basis.

The funds allotted under the Scheme are given below :

Sl. No	Financial Year	Beneficiaries	Funds allotted (Rs. in crore)
1.	2020-21 to 2022-23	107156	213.83

The details of the implementation of the Yojana in each of the States with specific reference to West Bengal is enclosed at **Annexure-A.**

Annexure

Sl. No.	Name of the State/UTs	2020-21		2021-22		2022-23	
		Physical (No. of Trainees)	Financial (Total training cost) (Rs. In Cr.)	Physical (No. of Trainees)	Financial (Total training cost) (Rs. In Cr.)	Physical (No. of Trainees)	Financial (Total Training cost) (Rs. In Cr.)
1	Andhra Pradesh	870	1.0584	2167	2.4435	1969	2.6768
2	Assam	1183	1.3889	2070	2.6679	1357	3.38
3	Bihar	2596	2.6884	3032	4.25	2040	3.8371
4	Chandigarh	0	0	0	0.3345	110	0.17
5	Chhattisgarh	694	0.8236	999	1.2928	641	0.8412
6	Delhi	487	0.706	337	0.51	327	1.2
7	Goa	0	0	0	0.1217	125	0.24
8	Gujarat	1199	1.75	1783	1.99	910	1.6851
9	Haryana	1137	1.5466	964	1.8578	1470	1.7086
10	Himachal Pradesh	319	0.3454	898	0.79	739	1.5
11	J&K	664	0.961	765	1.38	1292	2.0949
12	Laddakh	60	0.12	50	0.549	0	0
13	Jharkhand	370	0.3778	1277	1.28	790	1.2238
14	Karnataka	781	1.0167	1351	2.01	790	1.2307
15	Kerala	763	1.74	859	2.1424	353	1.03
16	Madhya	2764	5.2276	3260	5.7655	4222	7.7222

	Pradesh						
17	Maharashtra	2567	2.7565	1963	3.51	1261	1.8256
18	Manipur	241	0.5	516	1.2	343	1.07
19	Meghalaya	60	0.03	30	0.06	140	0.29
20	Mizoram	0	0	0	0.0594	0	0
21	Odisha	736	0.9472	1017	2.1479	1304	1.2847
22	Pondicherry	31	0.03	51	0.9342	0	0
23	Punjab	1509	1.6874	2377	3.03	2884	4.8207
24	Rajasthan	1890	2.1517	1927	3.42	1383	2.9337
25	Sikkim	160	0.25	155	0.24	25	0.04
26	Tamil Nadu	1032	1.35	1137	2.17	1011	0.9475
27	Telangana	430	0.63	720	0.99	866	0.6158
28	Tripura	92	0.0686	509	2.0009	470	0.9407
29	Uttar Pradesh	6659	7.5798	7798	12.2704	4167	6.7291
30	Uttarakhand	1090	1.1684	679	1.0445	512	1
31	West Bengal	1713	1.5752	3347	3.5745	1520	2.0129
	Total	32097	40.4752	42038	66.0369	33021	55.0511

MR. CHAIRMAN: Q.No. 139, Dr. V. Sivadasan, not present.

**139. [The questioner was absent.]*

Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratishthan and Board

*139. DR. V. SIVADASAN: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:-

- the amount of money allocated for Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratishthan (MSRVVP) and Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Board (MSRVVB) by Government, year-wise during last three years;
- the social composition (SC/ST/OBC/Gen) and the number of students and teachers in Rashtriya Adarsh Veda Vidyalayas (RAVV)-wise details thereof;
- the social composition (SC/ST/OBC/Gen) and the number of students and teachers in Affiliated institutions under the Guru Shishya Parampara Scheme and the Pathashala Scheme; and
- the total number of institutions affiliated to or functioning under MSRVVB in the country, State-wise details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The amount of money allocated to Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratisthan (MSRSVVP) by the Government of India in the last three years is given at Annexure-I. Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Sanskrit Shiksha Board (MSRVSSB) was set up on 8th August, 2022. The expenditure of the Board is met out of the money allocated to Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratisthan (MSRVVP).

(b) The details of the students and teachers in Rashtriya Adarsh Ved Vidyalaya's are given at Annexure-II.

(c) The details of students and teachers in affiliated institutions under the Pathashala scheme and Guru Shishya Parampara (GSP) scheme are given at Annexure III and Annexure IV respectively.

(d) The details of institutions affiliated to or functioning under Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Sanskrit Shiksha Board (MSRVSSB) are given at Annexure-V.

Annexure-I

Year	Amount (Rs. In Crores)
2020-21	45.99
2021-22	37.62
2022-23	84.05
Total	167.66

Annexure-II

S. No.	Name of State	Name of Rashtriya Adarsh Veda Vidyalaya	No. of Students						No. of Teachers				
			S C	S T	OBC	GEN	Total		S C	S T	OBC	GEN	Total
1	Madhya Pradesh	Rashtriya Adarsh Veda Vidyalaya, Ujjain, Madhya Pradesh	0	0	1	280	281		0	0	1	17	18
2	Odisha	Shri Jagannath Rashtriya Adarsh Veda Vidyalaya, Puri, Odisha	0	0	0	60	60		0	0	0	5	5
3	Gujarat	Rashtriya Adarsh Veda Vidyalaya, Dwaraka, Gujarat	0	0	0	25	25		0	0	0	2	2
4	Assam	Rashtriya Adarsh Veda Vidyalaya, Guwahati, Assam	0	0	0	20	20		0	0	0	2	2
5	Karnataka	Rashtriya Adarsh Veda Vidyalaya, Karnataka	Admission of students and selection of teachers are under process.						Admission of students and selection of teachers are under process.				
6	Uttarakhand	Rashtriya Adarsh Veda Vidyalaya, Uttarakhand	Admission of students and selection of teachers are under process.						Admission of students and selection of teachers are under process.				

Annexure-III

Sl. No.	Name of State	No. of Pathashala	No. of Students					No. of Teachers				
			SC	ST	OBC	GEN	Total	SC	ST	OBC	GEN	Total
1	Andhra Pradesh	3	0	0	0	50	50	0	0	0	0	6

Sl. No.	Name of State	No. of Pathashala	No. of Students					No. of Teachers				
			SC	ST	OBC	GEN	Total	SC	ST	OBC	GEN	Total
2	Bihar	1	0	0	2	85	87	0	0	2	6	8
3	Chattishgarh	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0
4	Delhi	3	5	5	25	95	130	0	0	0	13	13
5	Gujarat	6	0	0	5	190	195	0	0	2	20	22
6	Goa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Himachal Pradesh	1	0	0	0	60	60	0	0	0	5	5
8	Harayana	1	0	0	0	25	25	0	0	0	2	2
9	Jammu & Kashmir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jharkhand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Karnataka	7	0	0	0	0	142	0	0	0	0	28
12	Kerala	4	0	0	0	0	56	0	0	0	0	15
13	Maharashtra	11	0	0	0	350	350	0	0	1	48	49
14	Madhya Pradesh	11	0	0	55	372	427	0	0	2	47	49
15	Punjab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pudduchery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Odisha	11	0	0	7	390	397	0	0	4	53	57
18	Rajasthan	12	0	0	5	645	650	0	0	7	77	84
19	Tamil Nadu	8	0	0	0	0	217	0	0	0	0	33
20	Telangana	3	0	0	0	0	68	0	0	0	0	6
21	Uttar Pradesh	25	0	0	0	1100	1100	0	0	8	168	176

Sl. No.	Name of State	No. of Pathashala	No. of Students					No. of Teachers				
			SC	ST	OBC	GEN	Total	SC	ST	OBC	GEN	Total
22	Uttarakhand	3	0	0	0	70	70	0	0	0	11	11
23	West Bengal	6	0	0	0	210	210	0	0	3	25	28
24	Assam	3	6	10	15	155	186	0	0	2	19	22
25	Manipur	2	0	0	10	40	50	0	0	0	10	10
26	Sikkim	1	0	0	2	19	21	0	0	0	4	4
27	Tripura	1	2	4	6	10	22	0	0	1	3	4
	Total	123	13	19	132	3866	4600	0	0	32	511	632

Annexure-IV

Sl.No.	Name of State	No. of GSP Unit	No. of Students					No. of Teachers				
			SC	ST	OBC	GEN	Total	SC	ST	OBC	GEN	Total
1	Andhra Pradesh	1	0	0	0	9	9	0	0	0	1	1
2	Bihar	12	0	0	0	110	110	0	0	0	12	12
3	Chattishgarh	1	0	0	0	4	4	0	0	0	1	1
4	Delhi	1	0	0	0	8	8	0	0	0	1	1
5	Gujarat	4	0	0	0	40	40	0	0	0	4	4
6	Goa	3	0	0	0	18	18	0	0	0	3	3
7	Himachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Harayana	2	0	0	0	18	18	0	0	0	2	2
9	Jammu & Kashmir	2	0	0	0	20	20	0	0	0	2	2

10	Jharkhand	1	0	0	0	5	5	0	0	0	1	1
11	Karnataka	17	0	0	0	140	140	0	0	0	17	17
12	Kerala	2	0	0	0	12	12	0	0	0	2	2
13	Maharashtra	45	0	0	0	305	305	0	0	0	45	45
14	Madhya Pradesh	27	0	0	0	254	254	0	0	0	27	27
15	Punjab	2	0	0	0	18	18	0	0	0	2	2
16	Puducherry	1	0	0	0	10	10	0	0	0	1	1
17	Odisha	19	0	0	0	172	172	0	0	0	191	191
18	Rajasthan	13	0	0	0	153	153	0	0	0	13	13
19	Tamil Nadu	7	0	0	0	50	50	0	0	0	7	7
20	Telangana	5	0	0	0	40	40	0	0	0	5	5
21	Uttar Pradesh	63	0	0	8	552	560	0	0	1	62	63
22	Uttarakhand	8	0	0	0	85	85	0	0	0	8	8
23	West Bengal	3	0	0	0	17	17	0	0	0	3	3
24	Assam	15	0	0	0	146	146	0	0	0	15	15
25	Manipur	1	0	0	0	12	12	0	0	0	1	1
26	Sikkim	3	0	0	0	34	34	0	0	0	3	3
27	Tripura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		258	0	0	8	2232	2240	0	0	1	429	430

Annexure-V

Sl. No.	Name of State	No. of Pathashalas	No. of Guru Shishya Paramapara Units
1	Andhra Pradesh	3	1
2	Bihar	1	12
3	Chattishgarh	0	1
4	Delhi	3	1
5	Gujarat	6	4
6	Goa	0	3
7	Himachal Pradesh	1	0
8	Harayana	1	2
9	Jammu & Kashmir	0	2
10	Jharkhand	0	1
11	Karnataka	7	17
12	Kerala	4	2
13	Maharashtra	11	45
14	Madhya Pradesh	11	27
15	Punjab	0	2
16	Pudduchery	0	1
17	Odisha	11	19
18	Rajasthan	12	13
19	Tamil Nadu	8	7
20	Telangana	3	5
21	Uttar Pradesh	25	63
22	Uttarakhand	3	8
23	West Bengal	6	3
24	Assam	3	15
25	Manipur	2	1
26	Sikkim	1	3
27	Tripura	1	0
	Total	123	258

MR. CHAIRMAN: Supplementary by Dr. Anil Bonde.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 'महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान' तथा 'महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या बोर्ड' में

विद्यार्थियों और शिक्षकों में ओबीसी, एससी, एसटी का परिमाण नगण्य है। संदीपनी ऋषि ने श्रीकृष्ण जी को भी पढ़ाया था। एससी, एसटी और ओबीसी का परिमाण बढ़ाने के लिए और उनको वेद विद्या का पठन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य ने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण 'महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान' को पिछले साल एक बोर्ड के रूप में मान्यता पहली बार दी गई। महोदय, देश में हमारी विद्या का जो मूल भंडार है, वह वेद है। आधुनिक समाज में अभी तक वेदों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने तथा उसकी परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था नहीं थी। हमारी सरकार ने इसके ऊपर एक पहल की है।

आदरणीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा पहलू यह है कि क्या उस प्रतिष्ठान में समाज के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चे नगण्य रूप में पढ़ रहे हैं? महोदय, अभी उनकी पढ़ने की जो व्यवस्था है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं, वही वहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत चुनिंदा बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं। वे बच्चे एक प्रकार से पारिवारिक संस्कार के कारण ऋषि परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए, समर्पण परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पढ़ने आते हैं। सरकार की ओर से इन सारी चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने उसको बोर्ड भी बनाया। उसमें अभी तक आरक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि समाज के सभी वर्ग संस्कृत भी पढ़ रहे हैं और वे वेद भी पढ़ेंगे, यह व्यवस्था इस सरकार की प्राथमिकता में है।

डा. अशोक बाजपेयी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि देश में कितने 'महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान' संचालित हैं? विशेषकर, उत्तर प्रदेश में 'महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठानों' की संख्या कितनी है, उनमें कितने छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वहाँ कितने शिक्षक कार्यरत हैं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का पहला केन्द्र उज्जैन में था। अभी एक विशेषज्ञ कमिटी ने परामर्श दिया है, उसको उज्जैन के अलावा हमारे चार धाम में तथा पूर्वोत्तर में जो हमारी अत्यंत श्रद्धा की पीठ, माँ कामाख्या देवी की पीठ है, वहाँ पर इसके उप-केन्द्र बनाए जाएं यानी ऐसे पांच उप-केन्द्र बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दो और व्यवस्थाएं हैं, एक पाठशाला व्यवस्था है। देश में आज वेद पाठशाला, जिसमें सरकार विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए कुछ अनुदान देती है, उसकी संख्या 123 है। उत्तर प्रदेश में उसकी संख्या 25 है। उसमें लगभग 1,100 विद्यार्थी पढ़ते हैं और गुरु-शिष्य परम्परा के अंतर्गत देश में 258 गुरुओं के द्वारा 2,240 शिष्यों को पढ़ाने की व्यवस्था है, उसमें उत्तर प्रदेश में 63 गुरुओं के द्वारा 560 शिष्यों को वेद पढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है। यह नम्बर देश में सबसे ज्यादा है।

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Sir, on what basis, is the Ministry selecting States for constituting Rashtriya Adarsh Veda Vidyalayas? Does the Ministry have any plans to constitute RAVVs in Andhra Pradesh?

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, the ground reality is that those pockets, those who are continuing with this sacred tradition of teaching and learning process of Adi Granth Ved, the Government is encouraging those who are coming. It is a very voluntary movement. Till now, there is one centre at Ujjain. Our Government, envisioned by Prime Minister Modiji's long term plan, we have put up five more points. One in *Dakshin*; one in North, in Haridwar; one at Guwahati; one at Puri, and one at Dwarka; in all the five dhams. These are the main centres apart from Ujjain. If the Hon'ble Member can suggest any point of Andhra, with due diligence, we can go through it and we can cooperate with them.

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister, it will be greatly appreciated if you make available to the Hon'ble Members of Parliament a set of Vedas.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, हम निश्चित रूप में आपके आदेश का पालन करेंगे। राज्य सभा के सभी सदस्यों को वेद की एक-एक पुस्तिका उपलब्ध कराएंगे। आपने एक अच्छा सुझाव दिया है। हम आपके आदेश का पालन करेंगे।

SHRI SUSHIL KUMAR MODI: Will it be in Hindi or English? ...*(interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Sushil Modiji, trust on the wisdom of the Hon'ble Minister. He will be highly impactful.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) : महोदय, अभी एक टेक्नोलॉजी आई है। ऐसी तीन किताबें प्रकाशित भी हुई हैं, तुकाराम की गाथा, ज्ञानेश्वरी और गीता भी आई है। आप अगर उसमें पेन अंग्रेजी के ऊपर रखें तो अंग्रेजी में अनुवाद आएगा, तमिल पर रखेंगे तो तमिल में अनुवाद आएगा। आप जिस भाषा के ऊपर पेन रखेंगे, उस भाषा में अनुवाद आएगा। यह ओरिजिनल संस्कृत में हो और फिर सब भाषाओं में अनुवाद हो, यह ज्यादा कठिन नहीं है, यह संभव है। वह होगा तो जिस भाषा में आपको चाहिए, उस भाषा में आप सुन सकेंगे। यह होगा तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सभापति : यह बहुत अच्छा सुझाव है और माननीय मंत्री, धर्मेन्द्र प्रधान जी हर कठिन मामले को आसान करने में बड़े सक्षम हैं। मैं मानकर चलता हूँ कि इनका प्रयास प्रभावी रहेगा और सार्थक भी

रहेगा। मैंने ऐसी बात क्यों कही? Wherever I go, to universities and institutes, I ask the students to raise their hands to say if they have seen Vedas. Not many raise their hands. So, it is time that Members of Parliament catalyse an ecosystem so that they become an epicentre to disseminate this knowledge. Once you would present it to the Members of Parliament, I will request the Hon'ble Members of Parliament themselves to distribute, say, hundred, like I made a plea to all you to plant, at least, 100 trees in a year, and we will put it on Sansad TV because that will inspire and motivate a lot many people. Now, next Question.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, आज आपने एक बहुत ही पवित्र काम का मार्गदर्शन किया। अभी कुछ क्षण के लिए एक लहर उठी हिन्दी, इंग्लिश और तमिल। अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं आपके सामने उसका वर्णन करना चाहूंगा। अभी हम लोगों ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ मनाई। जो नवनिर्मित 'भारत मंडपम्' हुआ, उस 'भारत मंडपम्' में कार्यक्रम आयोजित किया गया। केरल की कुछ सिस्टर्स के द्वारा, जो चर्च से जुड़ी होती हैं, उनके द्वारा त्रिचूर में कॉलेज चलता है, उस कार्यक्रम में वे मुझे आग्रह करके अपने स्टॉल पर लेकर गईं। वे सभी क्रिश्चियन धर्म की बहनें थीं और उन्होंने हमें एक चीज दिखाई। सर, इस पवित्र गृह में इसकी आवश्यकता है, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं। 14वीं सदी के भारत के गणित शास्त्र के विद्वान माधवाचार्य के बारे में, जो पाम लिपि में लिखी गई, उनके कामों को एक टेक्नोलॉजी डेवलेप करके आधुनिक पुस्तक तैयार करते हैं। सर, उस माधवाचार्य की जो मैंने पाम लिपि देखी, मैं डा. मु. तंबी दुरै जी से निवेदन करना चाहता हूं - मैंने उन नर्स बहनों से पूछा कि इसमें किस भाषा और लिपि में लिखा गया है। सर, 14वीं सदी में मलयालम लिपि थी और भाषा संस्कृत थी। तंबी दुरै जी, प्रधान मंत्री जी मानते हैं कि तमिल भाषा इस सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा है। इसलिए हमने 'काशी तमिल संगमम्' किया। इस पवित्र गृह में, इस विवाद में न जाएं कि कौन सी भाषा में है-सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। आज जैसे आदरणीय नितिन जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, सभी को सभी भाषाओं में पढ़ने की, समझने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। चाहे वह मलयालम हो, तमिल हो, पंजाबी हो, असमिया हो, गुजराती हो या मराठी हो, इसलिए आज इस विवाद से ऊपर उठकर निश्चित रूप में 2 अगस्त को एक नए दिवस के रूप में माना जाएगा। राज्य सभा के आदरणीय सभापति जी ने वेद के बारे में जो रुचि दिखाई, वह इस देश में अनेक ज्ञानियों को आनन्द देगी।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 140.

KVS school in Tumakuru, Karnataka

*140. SHRI JAGGESH: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

- (a) whether Government has received any proposal from Government of Karnataka for opening of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) School near new helicopter factory at Gubbi, Tumakuru district, Karnataka;
- (b) if so, the status of the application and steps initiated by Government for establishing it; and
- (c) the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Opening of new Kendriya Vidyalayas (KVs) is a continuous process. KVs are opened primarily to cater to the educational needs of the wards of transferable Central Government Employees including Defence & Para-military personnel, Central Autonomous Bodies, Central Public Sector Undertakings (PSUs) and Central Institute of Higher Learning (IHL) by providing a common programme of education throughout the country. Proposals for opening of new KVs may be sponsored by Ministries or Departments of the Government of India / State Governments / Union Territories (UTs) Administrations, with commitment to provide requisite resources including land and temporary accommodation for setting up a new KV as per norms. The proposals are subject to approval of the competent authority.

As per information received from Kendriya Vidyalaya Sangathan, no proposal for opening of a new KV near new helicopter factory at Gubbi, District Tumakuru, Karnataka has been received from the State Government of Karnataka. At present, 52 KVs are functioning in the State of Karnataka including 01 KV at Tumakuru.

SHRI JAGGESH: Sir, before taking up my question, I wish to say one thing.

MR. CHAIRMAN: No. Only your question.

SHRI JAGGESH: Sir, our Hon'ble Prime Minister has inaugurated Asia's biggest helicopter manufacturing company on 6th February, 2023. We, Kannadigas, thank the Hon'ble Prime Minister for this great gift. More than 500 families are staying there. But, KV has been given to Tumakuru. The distance between Tumakuru and

Gubbi is almost 30 kms. We would be very grateful if one more KV is opened here for the Government employees working there.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, opening up of Kendriya Vidyalayas is a continuous process. There are two conditions. I had gone through the question. The Gubbi helicopter manufacturing factory is the Central Government PSU of HAL. If they apply for KV through proper channel, certainly, Kendriya Vidyalaya Sangathan will look into the issue. As on today, there is a Central School, as rightly mentioned by the Hon'ble Member, at Tumakuru district headquarters. It is a newly developed area. As on today, there is no application pending before the KVS to open a KV at Gubbi.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary. Shri Jaggesh.

SHRI JAGGESH: No, Sir. Thank you.

श्री धनंजय भीमराव महादिक : सभापति जी, केन्द्रीय विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता साबित की है, इसलिए केन्द्रीय विद्यालयों की बहुत सारी डिमांड्स हैं। मैं पिछली बार जब लोक सभा में था, तब से मैं अपने क्षेत्र कोल्हापुर के लिए केन्द्रीय विद्यालयों की मांग कर रहा हूँ। सर, कोल्हापुर में एक लाख से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारी हैं। आर्मी का एक छोटा यूनिट कोल्हापुर में स्थित है, लेकिन हमारा जो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय है, वह बैलगांव में है, जो 125 किलोमीटर दूर है और दूसरा पुणे में है, जो 250 किलोमीटर दूर है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप कोल्हापुर में केन्द्रीय विद्यालय की शुरुआत करेंगे?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : केन्द्रीय विद्यालय की गुणवत्ता के प्रति सभी का आदर है। उसकी गुणवत्ता को लेकर एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर हमारे सामने प्रक्रियायुक्त प्रस्ताव आएंगे, तो उसके बारे में केन्द्रीय विद्यालय संगठन उचित निर्णय करेगा।

डा. अनिल जैन : सभापति महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को लगातार उच्च स्तर पर लाने का प्रयास कर रही है और नई शिक्षा नीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं माननीय मंत्री जी से इसी क्रम में पूछना चाहता हूँ कि पिछले नौ साल के कार्यकाल में कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं और उन पर कितना धन खर्च हुआ है? खासकर उत्तर प्रदेश में कितने केन्द्रीय विद्यालय खोलने की योजना है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, आज का प्रश्न कर्नाटक के तुमकुरु जिले के गुब्बी से संबंधित है। आदरणीय सदस्य ने जो पूछा है, वह तथ्य अभी मेरे सम्मुख नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में

और हमारे सरकार के पिछले नौ साल के कार्यकाल में जो उपलब्धि हुई है, उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत करा दूंगा।

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य के साथ चाय पर चर्चा कीजिए, तो नतीजा निश्चित रूप से निकलेगा।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : जी, सभापति जी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : चेयरमैन सर, केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा बहुत ही अच्छी होती है। अगर एक बार किसी को एडमिशन मिल जाए, तो उसको पूरी और अच्छी शिक्षा मिलती है। पहले केंद्रीय विद्यालय में मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का कोटा होता था। हमारे पास बहुत लोग आते थे और अभी भी आते हैं, इसलिए मैं माननीय धर्मेन्द्र प्रधान जी को निवेदन करता हूँ कि वे दोबारा मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का कोटा चालू करने के बारे में विचार करें।

MR. CHAIRMAN: Before the Hon'ble Minister responds, I would like to mention here that I had some privileges of discretion as the Vice-President of India and I officially renounced them. And, they were taken note of by the Government.

Now, the Hon'ble Minister on this point.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सर, आपकी इस परंपरा को सबको समझना चाहिए और सीखना भी चाहिए, आपने संकेत में कह भी दिया है। आदरणीय सदस्य, जो अभी मंत्री हैं, उनके प्रश्न का आज के मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। मैं उनके साथ अलग से चाय पर चर्चा कर लूंगा।

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Sir, last year, the Hon'ble Union Minister of State for Education had stated that proposals for setting up of four Kendriya Vidyalayas were being considered by the Challenge Method Committee. These KVS were proposed at Anakapalle in Vishakhapatnam district; Nandigram in Krishna district; Macheria and Rompicherla in Guntur district; and, also at Amalapuram in Dr. B.R. Ambedkar Konaseema district. What is the current status of these proposals?

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, it is a very continuous process. Most humbly, I can repeat that. Due diligence is in process. I am expecting a positive outcome very soon. I will convey the same to the Hon'ble Member.

श्री सभापति : क्वेश्चन नम्बर 141.

People affected by natural disaster

*141. SHRI NARESH BANSAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether hundreds of people got effected due to Biparjoy and different cyclones, thunderstorms and floods in the country in recent months;
- (b) if so, the details thereof along with the number of people killed/injured and property damaged, State-wise;
- (c) whether Government announced compensation to the victims or to kins of the victims;
- (d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;
- (e) whether Government had made any preparedness to minimize losses due to these; and
- (f) if so, the details thereof and how much loss was saved due to these preparedness?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per information received from the States, details of losses and damages due to hydro-meteorological disasters, including cyclones, floods during the year 2023-24 (as on 26.07.2023) are given in Annexure.

(c) and (d) The Scheme of financing the relief expenditure under State Disaster Response Fund (SDRF) and National Disaster Response Fund (NDRF) is based on the recommendations of the successive Finance Commissions. The State Governments provide financial relief to the affected people in the event of notified natural disasters, from the SDRF, already placed at their disposal, in accordance with approved items and norms of the Government of India (GOI). However, in the event of disaster of a severe nature, additional financial assistance is extended from the NDRF, as per the laid down procedure, which includes an assessment based on the visit of an Inter-Ministerial Central Team (IMCT).

The financial assistance under the SDRF and the NDRF in the wake of notified natural disasters is given by way of relief and not for compensation of loss as suffered/claimed. In the case of loss of human lives, the extant norm provides ex-gratia payment to the families of deceased persons @ Rs. 4.00 lakh per deceased. Information on the compensation given to the victims or to kins of the victims is not maintained centrally by this Ministry, since the execution of relief activities on the ground is the responsibility of the State concerned.

(e) and (f) There are well established institutional mechanisms at the national, state & district levels in the country for taking appropriate preparedness and prompt response measures for effective management of the natural disasters. Central Government has established a robust early warning system and has significantly enhanced the accuracy of weather forecasts. Mock exercises and community awareness programmes are being regularly conducted to create awareness among people. The measures taken by the Central and State Governments have significantly improved the disaster management practices, preparedness, prevention and response mechanisms resulting in the significant reduction in casualties during natural calamities, including cyclone, in the country. Further, strengthening of the disaster management is a continuing and evolving process of governance.

Annexure

Statement showing details of losses as reported by the State Governments due to hydro-meteorological disasters during the year 2023-24

(Provisional) (As on 26.07.2023)

Sl. No.	State	Human lives lost (No.)	Cattle lost (No.)	Houses/ huts damaged (No.)	Crops area affected (in ha.)
1	2	3	4	5	6
1	Andhra Pradesh	36	--	--	--
2	Arunachal Pradesh	5	14	55	1.54
3	Assam	36	1513	2729	28,386
4	Bihar	502	--	--	--
5	Chhattisgarh	28	130	525	--

6	Goa	--	--	214	--
7	Gujarat	94	4654	20541	1,33,129
8	Haryana	32	2958	4183	2,06,990
9	Himachal Pradesh	88	2914	6208	--
10	Karnataka	78	539	4910	10,396
11	Kerala	21	--	1945	--
12	Madhya Pradesh	97	246	1169	--
13	Maharashtra	66	119	210	--
14	Meghalaya	07	27	1876	82
15	Mizoram	--	--	03	--
16	Nagaland	04	01	1322	24
17	Odisha	--	08	158	--
18	Punjab	38	10444	1142	25,530
19	Rajasthan	32	997	6493	--
20	Sikkim	05	185	460	138
21	Tripura	13	--	6024	--
22	Uttar Pradesh	03	358	105	--
23	Uttarakhand	29	441	835	--
24	Dadar & Nagar Haveli	03	--	--	--
25	Delhi	04	10	09	--
26	J & K	02	--	10	--
27	Puducherry	01	--	10	--
	Total	1,224	25,558	61,136	4,04,676.54

श्री नरेश बंसल : सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड राज्य में जोशीमठ सहित अन्य प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत व पुनर्वास हेतु राहत पैकेज जारी किए गए हैं, उनकी क्या स्थिति है?

श्री नित्यानन्द राय : सभापति जी, किसी भी आपदा के लिए, जो उत्तराखंड के लिए भी लागू होता है, पहले ही केंद्र सरकार एसडीआरएफ से फंड राज्यों को उपलब्ध करा देती है। उस एसडीआरएफ फंड का उपयोग राज्य सरकार आपदा के समय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकती है। उसके अतिरिक्त अगर राज्य सरकार के यहां से कोई मांग आती है, तो उस पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन एक बड़ा संशोधन हुआ है कि बिना राज्य सरकार के आवेदन के ही अब केंद्र सरकार आईएमसीटी की टीम भेजती है, जो उसकी जांच-पड़ताल कर, उसका मुआयना कर,

रिपोर्ट भेजती है, उसके आधार पर हम यहां से कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड में पहले से ही काफी पैसा एसडीआरएफ फंड में दिया गया था और उस समय उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलकर आपदा से संबंधित जो भी विषय था, उस पर बड़ी तत्परता के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से और गृह मंत्री जी के निर्देशन में हमने वहां काम किया है। उसका भी एक डेटा है कि किस मद में कितनी राशि गई है और उसको कितने लोगों तक पहुंचाया गया है, वह मैं माननीय सदस्य को प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री नरेश बंसल : मान्यवर, उत्तराखंड के नए पहाड़ हैं, कच्चे पहाड़ हैं, जो निरंतर दरकते रहते हैं। क्या उनकी स्थायी रूप से रोकथाम के लिए सरकार की कोई योजना है और क्या उस पर योजनाबद्ध ढंग से कोई कार्य हो रहा है?

श्री नित्यानन्द राय : सभापति महोदय, इसके संबंध में कई स्तर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए - और आगे से सावधानी बरती जाये, इसके लिए कई एक्सपर्ट्स की टीमें बनी हैं। पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपदा की संभावना बनती है, तो उसके लिए पहले जो आपदा आई है, उससे जो अनुभव मिलता है, उसके आधार पर बड़ा अध्ययन किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।

MR. CHAIRMAN: Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Thank you, Chairman, Sir. Has the Government considered establishing a specific fund to assist the coastal States which are regularly affected by annual cyclonic situations? How often are the disaster response plans, specific to cyclones, updated and do they adequately address evacuation procedures, relief, distribution, medical assistance and inter-agency coordination?

श्री नित्यानन्द राय : सभापति महोदय, मैं आवंटन की बात से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा, चूंकि उन्होंने विशेष आवंटन की बात, निधि की बात कही है, व्यवस्था की बात कही है, तो वर्ष 2021 से 2026 के बीच 1,60,153 करोड़ रुपये का प्रावधान SDRMF के लिए किया गया है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का अलग से 68,463 करोड़ का प्रावधान किया है। सर, जब हम इसको देखते हैं तो वर्ष 2020 से पहले का जो आवंटन था, उस आवंटन से यह कई गुना बढ़ा है। पहले इसमें लगभग 60,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था, लगभग दो-ढाई गुना के आसपास इसमें बढ़ोतरी हुई है। तटीय इलाकों में जो भी चक्रवात आते हैं, उसके लिए एक कोआर्डिनेशन की व्यवस्था अपने यहां पर है, IMD से, फिर CWC से और फिर NDRF को एलर्ट करते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य टेक्नोलॉजी का सहयोग लेते हैं, स्टेट की जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनसे सम्पर्क में रहकर हम तटीय चक्रवात के समय व्यवस्था करते हैं और इसमें राज्यों का सहयोग भी मिलता है। महोदय, इसमें अलग-अलग व्यवस्थाएं बनी हैं, मैं उनका भी थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा।

कि जो आवंटन है, उस आवंटन को हमने जो 12 सेक्टर तैयार किए हैं - हमने राज्यों को कुछ अधिकार भी दिए हैं कि वे उस SDR फंड का अपने हिसाब से आपदा के समय में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हर स्तर पर टेक्नोलॉजी से, कोआर्डिनेशन से, स्टेट्स के साथ और सभी एजेंसियों के साथ राशि के बढ़ाये गये आवंटन के स्रोतों से तथा आगे इसके लिए जो अनुभव प्राप्त हुए, उनके आधार पर हम सब मिलकर हर प्रकार की आपदाओं से निपटने का काम करते हैं।

श्री विजय पाल सिंह तोमर : माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं में किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान के लिए वर्तमान सरकार ने, जो पिछली सरकार में 50 परसेंट नुकसान पर मुआवजा मिलता था, वह 33 परसेंट नुकसान पर, उसका दो गुना देना शुरू किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी इस साल जो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है, वहां पर कितना मुआवजा देने का काम सरकार ने किया है?

श्री नित्यानन्द राय : माननीय सभापति जी, यह कृषि से संबंधित प्रश्न है। आपदा के समय कृषि के नुकसान को केंद्र सरकार ने अलग दृष्टिकोण से देखा है और उसको राष्ट्रीय फसल बीमा योजना से लेकर कई चीजों में आवंटित किया गया है। जो सरकार की सूची है, उसमें कृषि के लिए अलग से प्रावधान है। फिर भी, 33 परसेंट से ज्यादा जो नुकसान होता है, उस पर राज्य सरकार SDRF से सहायता देती है।

MR. CHAIRMAN: Dr. Sasmit Patra.

DR. SASMIT PATRA: Hon'ble Chairman, Sir, I come from the State of Odisha. In 2019, we faced the cyclone *fani*. After that, our Hon'ble Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, had requested the Centre to provide for long-term measures on the coast of Odisha and for similar States which are actually more cyclone prone. Hon'ble Chairman, Sir, in the last 100 years, Odisha has faced almost 99 cyclones, and we lose a lot of infrastructure as well as precious lives. Therefore, my specific question to the Hon'ble Minister would be this: Apart from early warning systems, would the Hon'ble Minister consider putting in place disaster mitigation and adaptation structures on the coastline of Odisha and in similar States like Andhra Pradesh and Tamil Nadu, so that apart from early warning systems, green corridors through vegetation and long-term disaster relief measures can be ensured on such long coastlines?

श्री नित्यानन्द राय: सभापति महोदय, आपदा एक ऐसा विषय है, जिसे रोकना कठिन है, लेकिन उसके न्यूनीकरण के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने दस सूत्रीय एजेंडा दिया है और उस दस सूत्रीय एजेंडा पर काम करके भारत आपदाओं से होने वाले नुकसान में काफी कमी लाया है। यदि

आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, तो पाएंगे कि उसी ओडिशा में एक तूफान आया था, जिसमें लगभग 10 हजार लोगों की मौत हो गई थी। महोदय, लगभग उसी स्वभाव का एक और तूफान आया था - मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। ..(व्यवधान)..उस तूफान में कुशल प्रबंधन के कारण काफी कम नुकसान हुआ था। उसमें मानव नुकसान भी काफी कम हुआ था और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कम नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा से ज्यादा कमी कैसे लाई जाए - यह मुख्य उद्देश्य था।

सर, हमारा जो एसडीआरएफ फंड है, उस फंड के अलावा आपदा के न्यूनीकरण के लिए हमने इसमें अलग से एक फिक्स राशि का प्रावधान किया है। ओडिशा सरकार इस पर बहुत अच्छा काम करती है। ओडिशा सरकार के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, लेकिन जिस प्रकार से अभी पूर्व सूचना प्रणाली को दुरुस्त किया गया है और हम कई प्रकार की सूचनाएं पहले से देते हैं, अलर्ट करते हैं, उसके कारण भी कम नुकसान हुआ है। जब भी पूर्वानुमान होता है, हम एनडीआरएफ की टीम को बड़ी तत्परता के साथ उन राज्यों में, उन स्थानों पर भेजते हैं। जब हम पहले से ही रिस्की चीजों से लेकर बाकी सारी चीजों पर राज्यों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो कई प्रभावी कदम उठाकर नुकसान को काफी कम करते हैं।

15वें वित्त आयोग ने तटीय इलाके के लिए 15 सौ करोड़ रुपये का अलग से आवंटन किया है। यह एक बड़ी राशि है। इसका उपयोग तटीय नुकसान के लिए होता है और हम इसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। तटीय इलाकों में कई प्रकार से, जैसे तकनीक के माध्यम से, जन सहयोग से, राज्यों के कोऑर्डिनेशन से, एनडीआरएफ का उपयोग करके, सेना का उपयोग करके, CWD और IMD से, सभी प्रकार से चुस्त-दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। सर, बिपरजॉय इसका एक बड़ा उदाहरण है। अभी गुजरात में बिपरजॉय तूफान आया है और इसका स्वभाव विचित्र था। महोदय, दुनिया की काफी एजेंसियों ने अनुमान लगाया था, लेकिन भारत की एजेंसी IMD ने जो अनुमान लगाया था, उसका कितना असर पड़ा? महोदय, उस स्वभाव का तूफान, जो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदल रहा था, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उनकी सजगता से, राज्य सरकार के सहयोग से - नुकसान के बड़े अनुमान हो रहे थे, लेकिन उस नुकसान में एक भी जान-माल की हानि यानी एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। हम सब मिलकर उस ओर काम कर रहे हैं और जब हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो आगे और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अपने आपदा प्रबंधन की और माननीय प्रधान मंत्री जी के दस सूत्रीय एजेंडे की अब दुनिया वाहवाही करने लगी है और उसको स्वीकार भी करने लगी है। हम सभी मिलकर आपदा के क्षेत्र में उसके न्यूनीकरण के लिए अच्छा काम कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, while I was Governor of the State of West Bengal for three years, the State was visited with cyclones of severe intensity. I can indicate to the Hon'ble Members because of the synergetic response from the State Government, Central Government, very accurate IMD predictions and all the agencies coming on the same floor, there has been no mortality. So, we have reached a level

that is being globally appreciated and that is indicative of our technological advancement.

MR. CHAIRMAN: Q.No. 142; Dr. Amar Patnaik.

Inclusion of Tribal Languages in the Eighth Schedule

*142. DR. AMAR PATNAIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) what is the criteria for including a language under the Eighth Schedule;
- (b) the reason for not including the three crucial tribal languages of Odisha namely Ho, Mundari and Bhumij in the Eighth Schedule despite repeated requests from the State;
- (c) whether Government has data on the change in the number of tribal languages spoken in Odisha from 1971 to the current year, and has noticed decline in it; and
- (d) what measures Government has taken to preserve the linguistic culture of the tribes, especially those classified as Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) There have been demands from time to time for inclusion of several Indian languages in the Eighth Schedule to the Constitution including Ho, Mundari and Bhumij. However, there are no fixed criteria for consideration of any language for inclusion in the Eighth Schedule to the Constitution. The attempt to fix such criteria through Pahwa and Sitakant Mohapatra Committees have remained inconclusive. As the evolution of dialects and languages is a dynamic process, influenced by socio-cultural, economic and political developments, it is difficult to fix any criterion for languages for inclusion in the Eighth Schedule to the Constitution. The Government is conscious of the sentiments and requirements for inclusion of other languages in the Eighth Schedule. Such requests have to be considered keeping in mind these sentiments, and the other relevant considerations.

As per data published in the Census of India, total number of speakers of Bhumij, Ho and Mundari in Odisha is as under:-

Census Decade	Number of Speakers of Bhumij, Ho and Mundari Languages in Odisha		
	Bhumij	Ho	Mundari
1971	28,208	2,13,871	1,17,802
1981	34,594	2,52,688	1,08,898
1991	27,669	2,92,619	1,45,097
2001	31,510	2,53,235	1,19,573
2011	5,912	4,11,724	1,23,488

(d) The Central Institute of Indian Languages, Ministry of Education works towards the promotion of all Indian languages, including the languages spoken by the tribal population. The Institute has published several works on all of these three languages, grammar, phonetic reader, dictionaries etc. The Bharatavani project also promotes 121 languages of India and digitizes knowledge content available in these languages. The Institute also has plans to bring out online learning courses in all the languages of India, including these three, in the near future. The Institute also has a project named Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages (SPPEL) wherein vulnerable languages, having a speaker strength of less than 10,000, are taken up for promotion and revitalization.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, I had raised this question and a reply has been given. But I completely disagree with the reply simply because my question was about the reason for not including three crucial tribal languages of Odisha, namely, Ho, Mundari and Bhumij, in the Eighth Schedule of the Constitution. सर, जो रिप्लाई रखा गया है, वह कॉमन, जनरल रिप्लाई है कि उसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं हो सकता है और यह रिलेवेंट कंसिडरेशंस की वजह से किया जाता है, लेकिन यह क्यों नहीं हुआ है, यह पता नहीं है। This is a particular demand of the Odisha Government raised by the Hon'ble Chief Minister several times repeatedly for the last so many years. So, the reason why this has not been included may please be furnished.

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, इसकी एक प्रक्रिया है और अभी माननीय धर्मेंद्र जी ने भी अपने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में इसके बारे में बताया था। अब केन्द्र सरकार ने एक नीति बनाई है और जिन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं भी किया गया है, उनको भी संरक्षित करने के लिए और उनके विकास के लिए केन्द्र सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण

है कि अब भारत की नई शिक्षा पद्धति में स्थानीय भाषाओं में भी पढ़ाई होगी और उच्च शिक्षा की पढ़ाई भी होगी। ये सभी भाषाएँ संपोषित रहें, संरक्षित रहें, इसके लिए स्थानीय स्तर पर एकेडमीज़ से भी और राज्य सरकारों से भी बात की जा रही है। केन्द्र सरकार अपने संस्थानों के माध्यम से भी ऐसी सारी भाषाओं को सिर्फ संपोषित ही नहीं कर रही है, बल्कि उनका पूर्ण संवर्धन भी कर रही है। इसलिए अब भारतीय भाषाओं का इतना बड़ा महत्व बना है। जिस राज्य या स्थान की जो भाषा है, अब वह न छिपी है और न ही विलुप्त होने वाली है।

DR. AMAR PATNAIK: To my question at (d), "What measures Government has taken to preserve the linguistic cultures of tribes, especially those classified as Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)", the reply has been given and that a lot of action has been taken. But in the reply itself, if you look at Bhumij, the number of speakers has come down from 28,208 in 1971 to 5,912 in 2011. That means that these measures are not working. Are there not sufficient teachers? Is this programme not being evaluated?

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, भाषाओं को ...

MR. CHAIRMAN: I think, on this point, which is very important and stressed by the Hon'ble Prime Minister on a number of occasions, the Hon'ble Member and the Hon'ble Minister may interact extensively so that there is wholesome outcome. Now, Question No. 143; Shri Ajay Pratap Singh.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : सर, इस प्रश्न के ऊपर सप्लीमेंटरी बाकी है। ...**(व्यवधान)**... सर, अभी बहुत समय है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: I am aware. I have to take note of totality of the situation so that we manage to traverse as much Business as possible impactfully. You will get an opportunity.

MR. CHAIRMAN: Question No. 143.

NH 39-Sidhi-Singrauli route

[†]*143. SHRI AJAY PRATAP SINGH: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

[†]Original notice of the question was received in Hindi.

- (a) when was sanction accorded to NH 39-Sidhi-Singrauli route, along with the date of tendering and deadline for its completions;
- (b) whether this route has been completed, if not, the reasons therefor and by when it would be completed; and
- (c) the reasons behind non-availability of the details about the tenders and their terms and conditions for all the roads being constructed in Madhya Pradesh by the Central Government and also reasons for not displaying the information board in any of under progress projects?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The stretch of Sidhi -Singrauli was entrusted to state Govt of Madhya Pradesh vide Gazzette notification S.O.796(E) dated 01.04.2008 and thereafter responsibility for its development was handed over to Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd. (MPRDCL) vide MORTH letter dated 08.09.2009.

The balance work of Rehabilitation and Upgradation of Sidhi-Singrauli from km 82.400 to km 187.993 of NH 39 in the State of Madhya Pradesh was sanctioned on 22.12.2020. Bids were invited on 25.11.2020 through open competitive bidding on e-procurement portal with last date for submission of bids on 09.01.2021(5.30PM). The aforesaid work was awarded to the Contractor on 28.06.2021 and agreement was signed on 30.07.2021. The appointed date was declared on 08.10.2021 with schedule date of completion as 01.04.2023.

As per the information provided by MPRDCL, the physical progress of the work is 27 % and work is behind scheduled due to delay in land acquisition, covid pandemic and slow progress by the contractor. Out of total project length of 105 km, four laning in 45 km up to Dense Bituminous Macadam (DBM) level have been completed. The work is now scheduled to be completed by 31.12.2023.

All National Highway works which are at implementation stage in Madhya Pradesh were awarded to the Contractors through open competitive bidding on e-procurement portal which is in public domain. As per the information provided, project information boards have been erected on either sides of NH project site as per MoRTH guidelines. The field officers are also directed to strictly ensure that

information boards are placed in all on-going NH works as per contract agreements and as per MoRTH guidelines.

श्री अजय प्रताप सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 39, सीधी-सिंगरौली के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि यह कार्य वर्ष 2008 में स्वीकृत हुआ था और अभी 2023 तक पूरा नहीं हुआ है, इसके 15 वर्ष हो चुके हैं। इसमें भू-अधिग्रहण में देरी को कारण बताया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किस-किस तहसील के किस-किस गाँव में अभी तक भू-अधिग्रहण शेष है? इसके साथ ही, भू-अधिग्रहण में जो विलंब हुआ है, क्या उसके लिए माननीय मंत्री महोदय राज्य सरकार के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए राज्य सरकार को लिखेंगे?

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय सभापति महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि यह प्रोजेक्ट 19.9.2013 को बीओटी बेसिस पर गैमन इंडिया को दिया गया था। उस समय काफी समस्याएँ आईं, बाद में यह कंपनी काम नहीं कर सकी और उसको टर्मिनेट किया गया। फिर से नया टेंडर निकाल कर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इसकी लेंथ 105.59 किलोमीटर है। इसकी कीमत 530 करोड़ रुपये है और 28.06.2021 को यह प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ। इस साल दिसम्बर तक इसको किसी भी स्थिति में पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वहां के एमपीज़ और आदरणीय सदस्य, सभी की तरफ से इसका फॉलो अप होता है। इसमें जो अड़चनें हैं, उनको लेकर मध्य प्रदेश की MPRDC की 33.11 करोड़ रुपये की फाइल आई है। हम उसको तुरंत मंजूर करके, उनके लिए पैसे की व्यवस्था करेंगे। यह जो नया कॉन्ट्रैक्टर आया है, वह भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है।

महोदय, हमारे यहां जो टेंडर प्रोसेस होता है, वह ई-टेंडर होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक मुझे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिला, जिनमें करीब 50 लाख करोड़ रुपये के टेंडर्स हुए। इनमें एक भी टेंडर ऐसा नहीं था, जो ई-टेंडर न हुआ हो और अभी तक एक भी प्रश्न पर किसी करप्शन का कोई सवाल नहीं उठा है। हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, we are aspirant, time-bound, result-oriented and corruption-free. एक तो यह प्रोजेक्ट है और एक दूसरा प्रोजेक्ट है, देश में ऐसे दो ही प्रोजेक्ट्स हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह प्रोजेक्ट भी उनमें से एक है। मैं खुद इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहा हूँ और शायद दिसम्बर से पहले इसका काम पूरा हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन से पहले वहां की मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी मेरे चैम्बर में आई थीं। कल ब्रीफिंग के समय भी मैंने सबसे बात की थी और आज भी की है। उनकी व्यथा बिल्कुल सही है, इसलिए यह काम जल्द ही पूरा होगा। अभी 1.8 किलो मीटर मेन हाईवे और 4.85 किलो मीटर सर्विस रोड से एन्क्रोचमेंट निकालना बाकी है। एन्क्रोचमेंट निकालने का काम तो कलेक्टर का है। बाद में इसमें जो लैंड एक्विजिशन वर्क है, वह मेन हाईवे में 800 मीटर और 254 मीटर and 546 metre in service road, इसका काम बाकी है। यह 2013 का प्रोजेक्ट है और आज हम 2023 में हैं, इन 10 सालों में भी land acquisition का काम नहीं हुआ। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप वहां के कलेक्टर साहब से बात करके, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो काम होता है,

उसमें आप थोड़ा सा भी फॉलो-अप करिए। वह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और निश्चित रूप से दिसम्बर से पहले यह काम पूरा हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है और आपको बहुत तकलीफ होती है, यह भी मुझे पता है, क्योंकि 5-7 बार मैं इसकी मीटिंग ले चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम दिसम्बर तक इसको पूरा कर लेंगे।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Ajay Pratap Singh.

श्री अजय प्रताप सिंह : माननीय सभापति महोदय, हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी की पूरे देश में प्रतिष्ठा है और उन्होंने सड़क परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया है। यद्यपि उन्होंने हमारे सीधी-सिंगरौली सड़क के संदर्भ में काफी विस्तार से हर पहलू पर जानकारी दी है और मैं उनकी बातों से संतुष्ट हूँ। लेकिन एक बिन्दु की ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ, माननीय गडकरी साहब की पूरे देश में इतनी प्रशंसा होती है, इतनी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हमारे सीधी-सिंगरौली के लोग हमसे पूछते हैं कि सीधी-सिंगरौली में आ कर क्या हो जाता है? इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम भविष्य में यह प्रश्न खड़ा न हो।

MR. CHAIRMAN: Now, the Hon'ble Minister to respond, but before that, I can say that this praise is not limited to this country alone. I have been abroad thrice, and I can share it with you. Now, the Hon'ble Minister.

श्री नितिन जयराम गडकरी : सर, मैं आपका आभारी हूँ।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही है। मुझे भी इसका जवाब देते समय बड़ा guilty conscious महसूस होता है। हमारे देश में, एक तो मुम्बई-गोवा और दूसरा, सीधी-सिंगरौली, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर किताब लिखी जा सकती है। पहले एक मामला आया था, जो BOT में अटका था, तो Coal India से पैसे मांग कर रोड को पूरा करने की बात आई। उसके बाद Coal India से प्रस्ताव आया।

सर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसकी पहली पार्टी फेल हो गई, जो NCLT में चली गई। जब उसको टर्मिनेट किया, तो वह कोर्ट में गई और कोर्ट ने स्टे दिया, तो वह अवार्ड नहीं हो पाया, फिर जब अवार्ड किया तो दूसरी पार्टी आई, लेकिन वह भी अच्छी नहीं निकली। अब प्रोसीजर यह है कि कानून के हिसाब से अगर वह काम नहीं करती है, तो उसको नोटिस देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, फिर अगर वह कोर्ट में जाता है, तो आर्बिट्रेशन, कांसिलिएशन-ये सारा प्रोसीजर है। उसको किए बिना हम कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, जिसको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि इनको बहुत तकलीफ होती है। वहां पर WCL की माइन है, हेवी ट्रक जाते हैं, पॉल्यूशन होता है। हमने उनको कंक्रीट रोड बनाने के बारे में भी कहा था, उस कांटेक्टर से मैंने कल बात की है। मुझे लगता है कि अब उसको हम ये 33 करोड़ रुपये देंगे, जिससे उसकी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपने इतने दिन हिम्मत से इसका मुकाबला किया है, दिसम्बर तक 99% यह रोड पूरी हो जाएगी।

श्री अरुण सिंह : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि करीब 6 साल पहले, प्रयागराज से होते हुए मिर्जापुर-सिंगरौली के एक नेशनल हाईवे की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ है। वह कब शुरू होगा और कब पूरा होगा, क्योंकि इसके माध्यम से दूरी भी कम होगी और सैकड़ों गाँवों के लोगों को राहत भी मिलेगी।

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय सभापति महोदय, अभी जो नेशनल हाईवे को नम्बर मिला है, उसी के ऊपर हम काम कर सकते हैं। वह खर्चा काफी बड़ा है। 'भारत माला-2' का भी अप्रूवल अभी वेटिंग में है। जब तक हम इस रोड को नम्बर नहीं दे पाएँगे, तब तक इस पर खर्चा नहीं कर पाएँगे। इसमें थोड़ी सी समस्या है, जिसके कारण हम लोग आज तक इसके ऊपर कोई मार्ग निकाल नहीं सके। जब भी हमें कोई अवसर मिलेगा, तो इस रोड को हम प्रधानता से करने की कोशिश करेंगे।

श्री गुलाम अली : सर, जम्मू-कश्मीर में नेशनल हाईवे, 4 लेन, 6 लेन सड़कों, टनल्स आदि से जम्मू और कश्मीर में दूरी कम हो रही है। हमारे पास एप्रिसिएशन के लिए अल्फाज कम हैं। एक छोटी सी बात है कि कश्मीर और जम्मू के बीच में एक खिन्ता है, उसको 'दरिया-ए-चिनाब' बोलते हैं, उसके आसपास accident crash barriers होते हैं। इसमें ऐसा है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा ट्रक हो, अगर एक बार वह रोड से स्लिप हो गया, वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से लेक बनी हुई है, तो न तो डेड बॉडी मिलती है और न ही वह ट्रक मिलता है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यह कहूँगा कि जो नेशनल हाईवे डोडा से किश्तवाड़ और ऊधमपुर से श्रीनगर की तरफ, बनिहाल की तरफ है, इसमें accident crash barriers अगर हों, तो वहाँ जो हादसे होते हैं, वे थोड़े कम किये जा सकते हैं।

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय चेयरमैन महोदय, ऐसी बहुत ही कठिन जगहें हैं, जहाँ पहाड़ियों से होकर रास्ता जाता है। हम जम्मू से श्रीनगर के बीच में 18 टनल्स बना रहे हैं। उनमें से 14 टनल्स पूरी हो चुकी हैं। सही में मुझे खुशी होती है कि पहले हम भाषण में 'कश्मीर से कन्याकुमारी' बोलते थे - कल ही मैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में था, जब हम मनाली से रोहतांग पास जाते हैं, तो वहाँ जाने के लिए पहले हमें साढ़े तीन घंटे लगते थे, लेकिन अब 'अटल टनल' बन गई है, तो 8 मिनट में ही आ जाते हैं। उससे बाहर आने के बाद, हम लद्दाख-लेह तक 5 टनल्स बना रहे हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा - लोक सभा के माननीय स्पीकर जाने वाले थे। हमारी कमेटी में मैं राज्य सभा को भी आमंत्रित करता हूँ। हम कारगिल में एशिया की एक सबसे बड़ी टनल बना रहे हैं। वहाँ माइनस 8 डिग्री में काम हो रहा है। उस टनल में एस्टिमेटेड कॉस्ट से पाँच हजार करोड़ रुपये बचाए गए हैं। उसका करीब 70 परसेंट काम पूरा हुआ है। वह टनल स्टेट ऑफ आर्ट है और एशिया की सबसे बड़ी, 11 किलोमीटर लम्बी है। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि एक ज़ेड मोड़ टनल बन गई है, वहाँ से श्रीनगर आते हैं। श्रीनगर के बाद जम्मू आते समय दिल्ली के लिए कटरा एक्सप्रेस हाईवे लगता है। तो कटरा से दिल्ली 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में और

दिल्ली से, दिल्ली-मुम्बई हाईवे से सूरत तक और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से शोलापुर, शोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और कन्याकुमारी तक जाएँगे। इस प्रकार, 'कश्मीर से कन्याकुमारी' के लिए इसमें कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है।

इन्होंने जो बात कही है, यह भी सच है कि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। पहले क्रैश बैरियर्स लोहे के लगते थे। मुझे बताते हुए खुशी है, मैंने इसी सभागृह में जवाब दिया था कि अब बैम्बू के क्रैश बैरियर्स बन गये हैं। असम का जो बैम्बू है, उससे हम अनेक जगहों पर ईको फ्रेंडली बैम्बू क्रैश बैरियर्स बना रहे हैं, जिसमें आदिवासियों और किसानों को काम मिलेगा।

आपने जो तीसरी बात कही है, वह बिल्कुल सही है कि ट्रक्स बिल्कुल नीचे चले जाते थे। अब एक नयी टेक्नोलॉजी आई है कि कंक्रीट में प्लास्टिक की गोल-गोल चीजें लगी होती हैं। उनके ऊपर वह ट्रक कितनी भी स्पीड से आए, उनसे वह एकदम पीछे आता है, नीचे नहीं जाता है। उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। इस प्रकार की कठिनाई वाली जगहों पर, जैसे-उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश आदि जो पहाड़ी प्रदेश हैं, जो पर्वतीय प्रदेश हैं, वहाँ गाड़ियाँ जो नीचे जा रही हैं, उसके लिए हमने कुछ जगहों पर इस प्रकार का प्रयोग किया है। आपने अभी जो स्पॉट बताया है, उस स्पॉट पर प्रयोग करके हम कोशिश करेंगे कि इसमें किस प्रकार से एक्सीडेंट्स कम हों और हम लोगों की जान बचाएँ।

श्रीमती ममता मोहंता: सभापति महोदय, बहरागोड़ा से मुम्बई तक जाने वाले एनएच-49 के मयूरभंज जिले के बॉम्बे चक एरिया में एक ओवरब्रिज आधा बनाकर छोड़ा दिया गया है। इसे दो साल से ज्यादा हो गए हैं। वहाँ पर रोज एक्सीडेंट होते हैं और वे भी ऐसे कि ओवर ब्रिज से ट्रक आकर नीचे गिर जाता है। इसके अभी तक कंप्लीट नहीं होने से ये एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँती हूँ कि एनएच-49 का यह ओवरब्रिज और एनएच का काम कब तक कंप्लीट होगा?

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय चेयरमैन सर, यह सीधी-सिंगरौली का ही प्रश्न था। माननीय सदस्य ने यह पूछा है, लेकिन मेरे पास अभी इसकी जानकारी नहीं है। मैं तुरंत जाकर इसे वेरिफाई करूँगा। माननीय सदस्य, आप भी मेरे ऑफिस में आइए। मुंबई से कोलकाता रोड काफी जगह पर फोर लेन हुआ है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में फोरेस्ट का एक प्रश्न था, वह भी सॉल्व हुआ है। केवल मेरे एरिया नागपुर में ही यह रोड फोर लेन होना बाकी रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी की प्रशंसा तो बहुत हुई है, पर इन्होंने मुझे संकट में डाल दिया है। इतनी सप्लीमेंटरीज़ हैं कि मैंने पूरा exhaust करके, लिमिट को बढ़ाकर बाकी को पीछे भेज दिया है। I will consider the Hon'ble Member's request next time more indulgently.

श्री राकेश सिन्हा : सभापति महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है, जिसकी चर्चा आपने भी की है और पूरे सदन ने भी की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि शाम्हो-मटिहानी पुल, जो बिहार के बेगूसराय में है और जिसके बनने से बिहार-पश्चिमी बंगाल, बिहार-ओडिशा और बिहार-झारखंड के बीच की दूरी 75 से 79 किलोमीटर कम हो जाएगी, इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। मंत्री जी ने पुल बनाना स्वीकार किया था। वह एनएचए में शामिल हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका टेंडर पूरा होकर कब तक काम शुरू हो जाएगा?

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय सभापति महोदय, यह तीन हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमने एनुअल प्लान में लेने को लेकर निर्णय भी किया है। आदरणीय सदस्य मुझसे हर बार इसका फोलो-अप लेते हैं और हमारे गिरिराज जी हैं, वे भी इसका फोलो-अप लेते हैं। निश्चित रूप से, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इसका लैंड acquisition शुरू हो गया है। इसमें आप भी सहयोग करिए। कलेक्टर से यह लैंड एक्विजिशन कराइए। हम बिड बुलाएंगे और इसी फाइनेंशियल ईयर में उसे शुरू करने की कोशिश करेंगे। हमें बिहार की, यानी आपकी राज्य सरकार से केवल लैंड एक्विजिशन मिलना चाहिए। आप केवल इतनी मदद करिए। यह जरूर होगा।

MR. CHAIRMAN: Question No. 144, Shrimati Vandana Chavan; not present. Hon'ble Minister.

**144. [The questioner was absent]*

PoSH Act and its implementation

***144. SHRIMATI VANDANA CHAVAN:** Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) whether according to the report titled "Changed Awareness of PoSH in Workplace" published by National Human Resource Development, only 8 per cent of women in the workplace are aware of the provisions of the PoSH Act, if so, steps being taken by Government in this respect;
- (b) the system to monitor and whether Government organisations have complied with requirements of the Act, details regarding number of organisation and their compliance as per the legislation; and
- (c) whether 16 out of 30 National Sports Federations in the country have not constituted Internal Complaints Committee (ICC), if so, action Government plans to take in this respect?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (DR. MUNJAPARA MAHENDRABHAI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Government has enacted “the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013” (SH Act) to provide protection to women against sexual harassment at workplace and for the prevention and redressal of complaints related to it. The Act covers all women, irrespective of their age, employment status or nature of work whether working in public or private, organised or unorganised, formal or informal sectors. The Act casts an obligation upon employers of all workplaces, public or private, to provide a safe and secure working environment free from sexual harassment, whereby every employer is mandated to constitute an Internal Committee (IC) wherever the number of employees/ workers is more than 10. Similarly, the Appropriate Government is authorised to constitute Local Committee (LC) in every district to receive complaints from organisations having less than ten workers or if the complaint is against the employer himself.

The responsibility of constituting Internal Committees (ICs) as per provisions of the Act, with reference to the workplaces falling within their respective jurisdiction, rests with the appropriate Governments i.e. the concerned Ministries/ Departments/ Offices of the Central Government. Similarly, in relation to the work places in a State/ UT, the responsibility lies with State Governments/ UT administrations. They are also responsible for monitoring the implementation of the Act and maintaining data on the number of cases filed and disposed of. The details of number of cases of sexual harassment filed and resolved are not maintained centrally. In so far as, the Ministry of Women and Child Development is concerned, the Internal Committee (IC) are constituted in the main secretariat of the Ministry as well as in its associated organisations such as National Commission for Women (NCW), National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), Central Adoption Resource Authority (CARA), National Institute for Public Cooperation and Child Development (NIPCCD), Rashtriya Mahila Kosh (RMK) and Central Social Welfare Board (CSWB).

Further, being the Nodal Ministry, the Ministry of Women and Child Development (MWCD) issues advisories to all Central Ministries/ Departments and State Governments/ UTs from time to time to ensure proper implementation of the Act including for setting up of IC and LC for all workplaces and to organise workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitising the employees. In so far as the report titled "Changed Awareness of PoSH in Workplace" published by 'National Human Resource Development' is concerned, the Government is neither aware of the methodology of the study nor its findings, hence it cannot endorse the authenticity of the report.

The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) (POSH) Act, 2013 are applicable to the National Sports Federations (NSFs), which are autonomous bodies, as also to those sports governing bodies which are under Central Government and the State Governments/ UT Administrations, as applicable to any entity defined in the Act. These bodies are bound to take action, including formation of the Internal Complaints Committee (ICC), in terms of the extent legal provisions in cases of sexual harassment reported to them. Details of the NSFs with duly constituted ICC are given at **Annexure-I**.

Annexure-I

Names of recognized NSFs which have formed Internal Complaints Committees

	All India Tennis Association
	Indian Pancak Silat Federation
	Yogasan Bharat
	Squash Rackets Federation of India
	Archery Association of India
	Sepaktakraw Federation of India
	Amateur Soft Tennis Federation of India
	Kudo International Federation of India
	Wushu Association of India
	Indian Weightlifting Federation
	Rowing Federation of India
	Athletics Federation of India
	Cycling Federation of India
	Amateur kabaddi Federation of India

	Kho Kho Federation of India
	Indian Golf Union
	Gymnastics Federation of India
	Paralympic Committee of India
	Equestrian Federation of India
	Boxing Federation of India
	Hockey India
	Cerebral Palsy Sports Federation of India
	All India Football Federation of India
	School Games Federation of India
	Ju-Jitsu Association
	All India Chess Federation
	WAKO India Kickboxing Federation
	National Rifle Association of India
	Shooting Ball Federation of India
	Roller Skating federation of India
	Swimming Federation of India
	Basketball Federation of India
	Fencing Association of India
	All India Sports Council of Deaf
	Special Olympic Bharat
	Bridge Federation of India
	Billiards & Snooker Federation of India
	Netball Federation of india
	Badminton Association of India
	Tenpin Bowling Federation (India)
	Yachting Association of India
	Indian Kayaking & Canoeing Association
	Indian Polo Association
	Indian Triathlon Federation
	Table Tennis Federation of India
	Roll Ball Federation of India
	AtyaPatya Federation of India
	Tennis Ball Cricket Federation of India

	Indian Rugby Football Union
	Cycle Polo Federation of India
	Softball Federation of India
	Taekwondo Federation of India
	Wrestling Federation of India *

*At present the affairs of Wrestling Federation of India are being managed by the Ad hoc Committee appointed by Indian Olympic Association.

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कितनी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस ने महिला स्पोर्ट्स की मदद के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी की स्थापना की है? माननीय मंत्री जी इसका ब्यौरा दें।

डा. मुंजापारा महेन्द्रभाई : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आज की भारत की बेटियाँ स्पोर्ट्स में काफी अच्छा काम कर रही हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माननीय सदस्य, पी. टी. उषा जी हैं, जो आज इस सदन में हमारे साथ बैठी हैं। चाहे नेशनल गेम्स हों, चारे एशियाड हों, कॉमनवेल्थ हों या ओलंपिक्स हों...

श्री सभापति : चाहे यह चेयर हो, her performance from this Chair has been remarkably excellent, very confident.

डा. मुंजापारा महेन्द्रभाई : महोदय, हमारी बेटियाँ सभी जगहों पर empower होकर बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद स्पोर्ट्स में काफी तरक्की हुई है। लास्ट ओलंपिक्स में इंडिया को हाईस्ट मेडल मिले। हमारी बेटियाँ जहाँ भी प्रेक्टिस कर रही है, चाहे ग्राउंड में कर रही हैं, वहाँ उनके साथ कोई हैरेसमेंट न हो, इसके लिए Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 का प्रोविजन किया गया है। उसमें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी सम्मिलित किया गया है। जहाँ 10 से ज्यादा खिलाड़ी काम करते हैं, वहाँ एक इंटरनल कमिटी की स्थापना की जाती है और जहाँ 10 से कम खिलाड़ी काम करते हैं, वहाँ एक लोकल कमिटी की स्थापना की जाती है। उसमें अभी तक 53 रेकग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस ने इंटरनल कमिटीज़ की रचना कर दी है और वे बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं।

MR. CHAIRMAN: Q.No.145. Shrimati Sangeeta Yadav.

Mechanism to inspect jails or remand homes for women

*145. SHRIMATI SANGEETA YADAV: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) whether there exists any mechanism to inspect jails or remand home for women prisoners by the Ministry/ National Commission for Women (NCW);
- (b) if so, the details thereof, if not, the reasons therefor;
- (c) whether any surprise inspection to check the condition of women prisoners is being carried out by Ministry/NCW;
- (d) if so, the details of such inspections carried out during the last three years along with the findings thereof, if not, the reasons therefor; and
- (e) the follow up action, if any, taken to improve the living conditions of women inmates in the prisons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (DR. MUNJAPARA MAHENDRABHAI): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) Prisons’/ ‘persons detained therein’ is a “State List” subject under Entry 4 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India. Administration and management of prisons is the responsibility of respective State Governments. However, agencies of central government inspect prisons from time to time to know the condition of prisoners and prisons. The Ministry of Women and Child Development undertook a study on the Status of Women in Prisons in India and published a report titled ‘Women in Prisons, 2018’ which contained recommendations such as improving mental health of inmates, improved access to legal aid, after-care programmes for reintegration and taking care of children of women inmates, special provision for pregnant women and better accommodation for new mothers etc. Ministry of Home Affairs (MHA) circulated the report to the Home/ Prison Department of all States and Union Territories for their careful perusal and implementation of the suggestions made in the report for the welfare of women prison inmates.

The Ministry of Home Affairs (MHA) has taken several initiatives to address the issue of overcrowding in prisons. Section 436A was inserted in the Code of Criminal Procedure (CrPC), which provides for release of an under-trial prisoner on bail on undergoing detention for a period extending up to one half of the maximum period of imprisonment specified for an offence under any law. The concept of plea bargaining was also introduced by inserting a new “Chapter XXIA” on “Plea Bargaining” (Sections 265A to 265L of CrPC) which enables pre-trial negotiation between the defendant and the prosecution. E-prisons Software, which is a Prison Management Application

integrated with Interoperable Criminal Justice System provides facility to State Jail authorities to access the data of inmates and helps them in identifying inmates whose cases are due for consideration by the Under Trial Review Committee. State Legal Services Authorities have established Legal Service Clinics in Jails and have deployed Para Legal Volunteers to provide free legal assistance to persons in need. The Model Prison Manual 2016, prepared and circulated to States and UTs by MHA, has a dedicated Chapter on “Legal Aid” which provides guidance in the matter of under trial prisoners. MHA has also issued various advisories to the States & UTs for adopting appropriate measures to address the issue of overcrowding in prisons. These advisories are available on MHA’s website.

Further, as per the National Commission for Women Act, 1990 (Act no20 of 1990), NCW inspects various jails/ other custodial homes in the country as part of functions entrusted to it under Section 10(1)(k). The inspections are carried out in association with the representatives of the State Women Commissions, DLSA and NGOs working in related areas. The emphasis of such inspections is on identifying deficiencies in terms of parameters that are considered necessary for ensuring that reasonable facilities in keeping with human dignity are provided to women in custodial homes. This is also done to set in motion a process of improvement in custodial homes, so that women housed in these places are not denied the basic minimum requirements in terms of adequate and balanced diet, water, accommodation, bedding, clothing, lighting heating, ventilation and open space. This also encompasses provision of adequate health care facilities, hygiene, sanitation and facilities for improving their outlook towards life empowering them through education and skill development so that the inmates can eventually be integrated in the society and they can earn their livelihood with dignity after release from the prison.

During inspections of the Prisons and analysis of the information, the Commission noted prolonged incarceration of women inmates as under trials, with their period of detention ranging from 2 years to 10 years and in some cases even beyond. The Commission has taken up the matter with the National Legal Services Authority / State Legal Services Authority to ensure that legal assistance made available to the female inmates need to be more effective to expedite the trials within a reasonable time and take legal recourse to obtain bail to the women under-trials within a reasonable time by invoking the special dispensation available to them under Section 437 (1) (ii) of the CrPC. The Commission held an interactive session with Member Secretaries of SLSA on 15th October, 2019, and impressed upon them to ensure availability of quality legal aid to the women prisoners particularly in view of

their poor socio-economic and educational background. Representatives / Secretaries of several SLSA participated in this interactive session.

During the COVID-19 pandemic period also, the Commission conducted online meeting/ video conferences with the stakeholders of Prisons and Psychiatric Homes, State Director General / Inspector General for Prisons to discuss the action taken by them on various recommendations by the Commission for improving the living conditions of women inmates in the wards / barracks of the prisons.

The details of the inspections of jails carried out by NCW during the year 2019, 2022 and 2023 are at **Annexure**.

Annexure

Details of the inspections of jails carried out by NCW during the year 2019, 2022 and 2023:

Sr. No	Name of the Jail visited by NCW	Date of Inspection
1	Circle Jail Cuttack, Odisha	29.06.2019
2	District Jail, Kanpur Nagar Uttar Pradesh	10.07.2019
3	Central Jail Patna Beur, Bihar Circle	18.07.2019
4	Circle Jail Mysuru, Karnataka	19.07.2019
5	Central Jail, Bengluru Karnataka	27.07.2019
6	District Jail, Gorakhpur U.P.	14.08.2019
7	District Jail Maharjanj, U.P	16.08.2019
8	Udaipur Central Jail	29.05. 2022
9	Bhopal Central Jail	12.09.2022
10	Byculle Women Jail, Mumbai	21.11.2022
11	District Jail, Jowai	31.03.2022
12	District Jail — Shillong East Khasi Hills District	03.04.2023
13	District Jail — Shillong West Khasi Hills District	04.04.2023
14	District Jail- Mawsyntai- Marngar Ribhoi District	06.04.2023
15	Birsa Munda Central Jail, Ranchi Jharkhand	03.05.2023
16	District Jail- Tura, West Garo Hills District	10.05.2023
17	District Jail, North Garo Hills District	11.05.2023
18	District Jail- Dimapur Nagaland	17.05.2023
19	District Jail, Munger, Bihar	17.05.2023

20	Bhagalpur Central Jail, Bihar	19.05.2023
21	District Jail, perel, Nagaland	19.05.2023
22	District Jail, Mokochung, Nagaland	23.05.2023
23	Tihar Jail No- 06 for Women, Delhi	07.06.2023
24	District Jail, Pakud Jharkhand	26.06.2023
25	New Central Jail, Srinagar Jammu and Kashmir	28.06.2023
26	District Jail Sahebganj, Jharkhand	28.06.2023
27	Godda District Jail, Jharkhand	30.06.2023
28	Koriya District Jail, Chhattisgarh	05.07.2023

श्रीमती संगीता यादव : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जेलों में बंद महिलाओं की दशा पर जो इंस्पेक्शन या औचक निरीक्षण होता है, उसकी रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी जाती है, आज तक उनमें से कितने पर ऐक्शन हुआ है और उनमें से अभी कितनी पेंडिंग हैं?

DR. MUNJAPARA MAHENDRABHAI: Sir, 'prisons/persons detained therein' is a State List subject under Entry 4 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India. मैंने अभी हाल ही में गुजरात में अपने डिस्ट्रिक्ट, सुरेन्द्रनगर की एक जेल के प्रिज़नर्स को विज़िट किया था। वहाँ महिलाओं की जो हालत है, उसके बारे में मैंने पूरा ब्यौरा लिया था। उनकी जो सोशल-साइकोलॉजिकल कंडीशन थी, उसमें उनमें से कुछ लोगों को स्किन डिज़ीज़ का इश्यू था, क्योंकि वे सब एक साथ गैदरिंग करती हैं। इसी तरह, उनके लिए जो कौशल ट्रेनिंग है, उसके लिए क्या किया जाता है, ये सब मैंने डिटेल से देखा है। लेकिन इनको जो नम्बर चाहिए, वह डिटेल मैं इनको अलग से भिजवा दूँगा।

श्रीमती संगीता यादव : माननीय सभापति जी, मैंने खुद भी दो जेलों में विज़िट किया, उसके बाद ही यह क्वेश्चन लगाया है। जो सामान्य कारागार हैं, उनमें महिलाएँ भी बन्द हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि उनको महिला कारागार में शिफ्ट करने के लिए क्या कभी गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है? अगर अनुरोध नहीं किया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे? इसके अलावा, उन जेलों में महिलाओं के साथ जो बच्चे रह रहे हैं, क्या उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था हो रही है?

डा. मुंजापारा महेन्द्रभाई : माननीय सभापति जी, वहाँ महिलाओं के साथ जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको 12 साल की उम्र तक प्रिज़ंस में महिलाओं के साथ ही रखा जाता है। बाद में, उनको या तो चिल्ड्रेन होम्स में रखते हैं अथवा जो दूसरी व्यवस्था है, वहाँ रखते हैं। जिन महिलाओं का कन्विक्शन ऑलरेडी आ गया है तथा जो महिलाएँ अभी अंडर ट्रायल हैं, उन दोनों को सैपरेट

करने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिजीजन ले रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, वह महिला प्रिजनर्स के बेनिफिट के लिए ही किया जा रहा है।

श्रीमती दर्शना सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि देश में वर्तमान में महिला कैदियों की संख्या कितनी है तथा उनके जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

डा. मुंजापारा महेन्द्रभाई : माननीय सभापति जी, महिला प्रिजनर्स की जो संख्या है, वह स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। उनकी बेहतरी के लिए हम बहुत सारे कदम उठाते हैं। सबसे पहले, जो महिलाएँ आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए हम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था करते हैं। जिनको साइको-सोशल काउंसिलिंग की जरूरत है, उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। उसके बाद, वे वहाँ से निकलने के बाद भी अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ, इसके लिए भारत सरकार की ओर से पूरा प्रयास हो रहा है।

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise>]

STATEMENT BY MINISTER CORRECTING ANSWER TO QUESTION

MR. CHAIRMAN: Statement by Minister correcting answer to Unstarred Q.No.2417 by Dr. Subhas Sarkar.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. SUBHAS SARKAR): Mr. Chairman, Sir, with your permission, I lay a Statement (in English and Hindi) correcting the answer to Unstarred Question No.2417 given in the Rajya Sabha on the 22nd March 2023 regarding 'Suicides of students in Educational Institutions.'

[Placed in Library. See No. L.T. 10011A/17/23]

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned to meet again at 2 p.m.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

GOVERNMENT BILLS

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023. ...*(Interruptions)*... Shri Pralhad Joshi to move a motion for consideration of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; THE MINISTER OF COAL; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Motion moved. ...*(Interruptions)*... Mananiya Joshiji, you can speak something on the Bill. ...*(Interruptions)*... I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. ...*(Interruptions)*... Dr. Sasmit Patra, please. ...*(Interruptions)*...

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, on behalf of my Party, the Biju Janata Dal, and Hon'ble Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, we support the Bill. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।

DR. SASMIT PATRA: This is an important Bill as far as the exploration and mining of minerals in India is concerned. ...*(Interruptions)*... It is a long hindered process.....*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : सिर्फ डा. सस्मित पात्रा जी की ही बात रिकॉर्ड पर जा रही है।

DR. SASMIT PATRA: It is a complex process requiring multiple permits and licenses and the proposed Amendment of 2023 aims to suggest introducing exploration licenses for deep-seated and critical minerals through auctions. ...*(Interruptions)*... It also provides for private companies to conduct reconnaissance and prospecting

operations, encouraging private participation and exploration which are crucial for various industries. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : कृपया आप सभी अपनी सीट्स पर बैठें। यह महत्वपूर्ण बिल है, जिस पर चर्चा हो रही है। Please. ...*(Interruptions)*...

DR. SASMIT PATRA: Sir, I will speak from there. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Sasmit Patra. ...*(Interruptions)*... केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।

DR. SASMIT PATRA: Hon'ble Deputy Chairman, Sir, I stand to support the Bill on behalf of my party, the Biju Janata Dal and my leader Shri Naveen Patnaik. ...*(Interruptions)*... The analysis of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023 is extremely crucial. ...*(Interruptions)*... It provides to suggest introducing exploration licenses for deep-seated and critical minerals through auctions. ...*(Interruptions)*... This will also provide for Government also intending to remove six minerals, including lithium-bearing minerals, from the list of atomic minerals through this Amendment. ...*(Interruptions)*...

The proposed Amendment in Section 3 and Section 4 of the principal Act introduces the term "exploration license" and, along with that, it also excludes six minerals from the list of Act, namely, beryllium, lithium, niobium, titanium, tantalum and zirconium which are extremely crucial. ...*(Interruptions)*... Presently, they are restricted for mining by Government entities only. ...*(Interruptions)*... However, by removing from this list, private sector involvement would be allowed leading to a significant increase in exploration and mining capability for the crucial minerals in this country. ...*(Interruptions)*... The new Amendments deal with the grant of exploration licenses and the State Governments can also grant exploration licenses for reconnaissance or for prospecting operations. ...*(Interruptions)*... At this point of time, I would like to emphasize that my State of Odisha is a mineral rich State and by providing these details and these prospecting licenses and exemptions, it would also help to provide the right kind of an environment by which we can improve the mines and minerals sector. ...*(Interruptions)*... My Hon'ble Chief Minister Shri Naveen Patnaik and the Biju Janata Dal is standing hard and strong to ensure that these issues are taken up. ...*(Interruptions)*...

Sir, I would also like to bring to your notice that there are certain advantages because of this Bill. ...*(Interruptions)*... There are a number of deep-seated minerals such as gold, silver, copper, zinc, lead and nickel which are difficult and expensive to explore and, therefore, it is essential that with this specific Bill, we would be able to harvest them. ...*(Interruptions)*... I would give you a specific example. ...*(Interruptions)*... Incidentally, the country is import dependent on some of the very critical minerals like lithium, nickel, copper and cobalt. ...*(Interruptions)*... In the Financial Year 2023, India's lithium import bill was around Rs.23,171 crore. ...*(Interruptions)*... While, when you look at the covered electric accumulators, including separators, it goes much beyond. ...*(Interruptions)*... In 2022, the import for lithium was more than Rs.13,000 crore. ...*(Interruptions)*... By this Amendment, we would be able to ensure that this dependency on imports will reduce and because lithium and many such metals are used, especially, in energy vehicles, EV vehicles and green energy, this would be really useful for ensuring that we are going towards the Carbon Net Zero and the vision that the country has. I would also like to state one specific thing regarding the State of Odisha. In this regard, we would like to state that there is a specific notion.... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, Shri Derek O' Brien, come to your seat. ...*(Interruptions)*... This is not proper. ...*(Interruptions)*... Please go to your seat. ...*(Interruptions)*... Shri Derek O' Brien, this kind of behavior is not expected from a senior Member like you. ...*(Interruptions)*... Please, let him speak. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

DR. SASMIT PATRA: Sir, there is a specific notion and the mines and mineral in... ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, जब हाउस ऑर्डर में नहीं है, तो कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। ...*(व्यवधान)*...

DR. SASMIT PATRA: Sir, in February, 2023, the Ministry of Mines Report had established that 'lithium inferred resources' have been found through the physical and chemical study of the surface and samples in Salal-Hamima area of Reasi District of Jammu and Kashmir. ...*(Interruptions)*... These resources to the tune of 5.9 million tones have been established as part of the "Reasi Sersandu-Kherikot-Rahotkot-Darabi' mineral block, where prospecting has been going on since 2021-22.

...(Interruptions)... By ensuring that we are able to undertake the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, we will be able to open the sector for such mining, and, by doing that, we will be able to make the country stronger, we will be able to reduce the imports of lithium and in the carbon net-zero era, India will be able to march forward. With these words, we support and commend the Bill. ...(Interruptions)... Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ayodhya Rami Reddy Alla. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): I thank Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के लिए हाउस ऑर्डर में होना चाहिए। You know the rules. ...(Interruptions)... प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के लिए हाउस ऑर्डर में होना चाहिए। ...(व्यवधान)... Please speak. ...(Interruptions)...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: On behalf of YSRCP and our leader, Shri Y.S. Jagan, we support this Bill. ...(Interruptions)... The objective of this Bill is that this Bill amends the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 which regulates the mining sector. ...(Interruptions)... Now, the features of this Bill are this. Sir, as you know that this Bill allows previously-prohibited activities such as pitting, trenching, drilling and sub-surface excavation. ...(Interruptions)... It introduces an exploration licence, which will authorize either reconnaissance or prospecting, or both activities for 29 minerals specified in the Seventh Schedule. ...(Interruptions)... These include gold, silver, copper, cobalt, nickel, lead, potash and rock phosphate. ...(Interruptions)... These also include six minerals classified as atomic minerals under the Act: (i) beryl and beryllium, (ii) lithium, (iii) niobium, (iv) titanium, (v) tantalum, and (vi) zirconium. ...(Interruptions)... The Bill de-classifies them as atomic minerals. ...(Interruptions)... Under the Act, auction of concessions is undertaken by the State Governments, except in certain specified cases. ...(Interruptions)... The Bill adds that auction for composite licence and mining lease for specified critical and strategic minerals will be conducted by the Central Government. ...(Interruptions)... These minerals will include lithium, cobalt, nickel, potash, tin and rock phosphate. ...(Interruptions)... However, concessions

will still be granted by the State Government. ...*(Interruptions)*... Now, the positives of this Bill are these. This Bill allows for larger participation of the private sector, especially, for the sought-after lithium. ...*(Interruptions)*... As the Bill brings in lithium out from the list of restrictive atomic minerals which require mining grants from the Centre, it will allow for greater utilization of the mineral, especially, in view of the recent lithium reserves discovered in India. ...*(Interruptions)*... Lithium is also a critical mineral, used extensively for making batteries for electric vehicles and will aid in our transition to greener technology. ...*(Interruptions)*... Now, Sir, next point is about removal of clearances. ...*(Interruptions)*... The proposed amendments also remove the cumbersome forest clearances for prospecting operations, making it easier for private firms to participate in the exploration of the country's mineral resources. ...*(Interruptions)*... Now, the next point is about expedition of auctions. ...*(Interruptions)*... The reform proposals in the Bill include allowing States to grant composite mineral licences without having to get approval from the Centre. ...*(Interruptions)*... This will enable State Governments to put up blocks for auction at a faster pace. ...*(Interruptions)*... It will also raise and fix mineral-wise maximum area limits for mineral concessions to provide larger and more economic mines to investors. ...*(Interruptions)*... There are a few things around Andhra Pradesh which we really want to bring to your kind notice. ...*(Interruptions)*... Sir, a commitment was made by the Government of India under the Reorganization Act to provide iron ore for the YSR Steel Corporation Limited. ...*(Interruptions)*... The YSR Steel Corporation Limited was established by the State of Andhra Pradesh with the goal of building and running a new steel factory in the Kadapa area. ...*(Interruptions)*... The facility which would produce high-grade steel products is planned to have an annual capacity of three million tonnes. ...*(Interruptions)*... The steel plant's main goal is to provide the people of the Rayalaseema area with long-term employment and livelihood prospects. ...*(Interruptions)*... According to the projections, at least, 28,000 local households will benefit from this. ...*(Interruptions)*... Additionally, it is also anticipated that the construction of the steel factory and the expansion of related sectors would drastically alter the environment of the drought-affected region of Rayalaseema bringing much-needed benefits to the area. ...*(Interruptions)*... However, the steel plant requires iron ore, which was promised under the AP Reorganisation Act, 2014, for the steel plant initiative. ...*(Interruptions)*... Therefore, I would ask the Centre to keep its words since the project will have a good effect on the area. ...*(Interruptions)*... The second point that I want to bring to your notice is reservation of beach sand mineral area in favour of APMDC (Andhra Pradesh Mineral

Development Corporation). ...*(Interruptions)*... With the second longest coastline in India, Andhra Pradesh has a lot of potential for mining minerals found in beach sand, including uranium and thorium. ...*(Interruptions)*... The State administration has requested that AP Mineral Development Corporation be granted exclusive use of 16 Beach Sand Minerals bearing regions totalling to 16,604 hectares. ...*(Interruptions)*... However, approval from the Department of Atomic Energy is still waiting for 14 mineral-bearing regions. ...*(Interruptions)*... I urge that the Department of Atomic Energy be given the required instructions so that these 14 BSM-bearing regions may be reserved in favour of A.P. Mineral Development Corporation. ...*(Interruptions)*... In order to use these minerals for the benefit of the country, the State Government wants to create an Integrated Beach Sand Mineral Project with downstream units for value-added goods. ...*(Interruptions)*... To help with the construction of Integrated Beach Sand Mineral Project and utilize the otherwise underutilized minerals, a request has been filed to the Ministry of Mines to relax the area limit permitted under Rule 6(1) of the Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957. ...*(Interruptions)*... I request the Ministry to take up this issue at the earliest. ...*(Interruptions)*... With all these recommendations and also the assurances that we need from the Government of India, I urge upon the Centre to resolve the issues and with this, I support the Bill. ...*(Interruptions)*... Thank you, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. M. Thambidurai. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to support this Bill brought by Shri Pralhad Joshi...*(Interruptions)*... Our AIADMK Party is supporting the Bill...*(Interruptions)*... At the same time, we want to raise certain points which in Tamil Nadu...*(Interruptions)*... Mr. Deputy Chairman, Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्यगण, आप जानते हैं कि हम Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023 को डिस्कस कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*... प्लीज झा साहब ...*(व्यवधान)*... यह बिज़नेस है। अगर माननीय एलओपी इस विषय पर बोलना चाहेंगे, तो उनका स्वागत है। ...*(व्यवधान)*... आप में से यदि कोई भी बोलना चाहता है, तो उसका स्वागत है। ...*(व्यवधान)*... Otherwise, Rule 110 will apply. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Thank you, Sir. ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपको चेयरमैन साहब ने जिसके लिए डिस्अलाउ कर दिया, उस इश्यू को कृपया आप नहीं उठाये। ...(व्यवधान)...आपको इस बिल पर बोलना है, तो बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप क्यों ऐसा presume कर रहे हैं कि मैं रूल 267 पर बोलूंगा? ...(व्यवधान)...यही तो मुश्किल है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : जो established Rules of Procedure है...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप क्यों बोलना चाहते हैं...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप फिर बाहर जाकर कहेंगे कि माइक ऑफ हो गया, जो कि गलत सूचना होती है। ...(व्यवधान)... जो established Rules of Procedure है, उनके तहत आप अपनी बात कहिए। ...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... Nothing will go on record. ...(Interruptions)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : उन्होंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के लिए हाथ उठाया है। ...(व्यवधान)...

DR. M. THAMBIDURAI: Mr. Deputy Chairman, Sir ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ...(Interruptions)... Nothing is going on record, LoP *sahab*...(Interruptions)... प्लीज़ बैठें। ..(व्यवधान)... यह कैसे संभव है? हाउस ऑर्डर में नहीं है, मैं कैसे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर दूँ? ..(व्यवधान)... No, I cannot give. ...(Interruptions)... Please, you continue your speech. ...(Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I appreciate the Hon'ble Minister for having brought up this Bill. ...(Interruptions)... It has many salient features, for example, to insert the

* Not recorded.

provision of an exploration license which will be granted through auctions for undertaking reconnaissance and prospecting. ...*(Interruptions)*... Sir, auction is the best method which we support, we appreciate that. There cannot be any malpractice in that. ...*(Interruptions)*... We know that during the previous Government's time, there was a lot of misuse... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please! ...*(Interruptions)*... Mr. Derek O' Brien, please come to your seat. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: There was misuse of coal mines. ...*(Interruptions)*... So many cases are still pending. ...*(Interruptions)*... I request the Central Government to take action against those who have misused it in those days by giving earlier, and I hope the Government will take necessary action. ...*(Interruptions)*... I want to mention another important thing here. In Tamil Nadu, there is the Neyveli Lignite Corporation. ...*(Interruptions)*... Yesterday, I raised the question as to what was happening there. ...*(Interruptions)*... At that time, the Hon'ble Minister said that it can be referred to Hon'ble Minister. ...*(Interruptions)*... I told the Minister that the agitation is going on in Neyveli Lignite Corporation because extraction from the mines was affecting the farmers. ...*(Interruptions)*... They are requesting the State Government as well as the Central Government to save their lands. ...*(Interruptions)*... Because they are trying to acquire more land for mining, the farmers are agitating. ...*(Interruptions)*... They are agitating against the Neyveli Lignite Corporation, and there are problems. ...*(Interruptions)*... I request the Minister to come forward to help in this matter. ...*(Interruptions)*... The other features, whatever he said regarding the license would be granted only... ...*(Interruptions)*... I would like to make one more point. ...*(Interruptions)*... In Tamil Nadu, lot of minerals are being mined without proper license. ...*(Interruptions)*... They are taking minerals to the neighbouring States such as Kerala and Karnataka. This type of thing is going on. For example, without getting licence, they are taking minerals to Kerala and even to Karnataka. ...*(Interruptions)*... People say that sand mafias are operating there. ...*(Interruptions)*... Therefore, I request the Central Government to take action against such people who are acting in connivance ...*(Interruptions)*... Such illegal mining activities are going on. Therefore, I request the Central Government to take action in this regard. ...*(Interruptions)*... I would again request the Hon'ble Minister

to take care of the interest of the farmers and see to it that the agitation at the Neyveli Lignite Corporation comes to an end. ...*(Interruptions)*...

Sir, I support the Bill. ...*(Interruptions)*... Thank you. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri V. Vijayasai Reddy, please speak. आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ..*(व्यवधान)*..

(At this stage, some Hon'ble Members left the Chamber.)

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. On behalf of my Party, and my Party President, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy Garu, I support the Bill.

Sir, there are three important points. One is, high import reliance; the second is high infrastructure and investment requirements; and the third is, developing recycling capabilities. ...*(Interruptions)*... Sir, the first point is, the Ministry of Mines has recently released a report on Critical Minerals which identifies 30 critical minerals, taking into account the needs of sectors like defence, agriculture, energy, pharma and telecom. Out of these 30 critical minerals, for ten critical minerals, hundred per cent import reliance is required. These include minerals like Lithium and others, as our colleagues have stated. Out of these ten critical minerals, India's import dependence on China is hundred per cent in respect of seven critical minerals, which is very, very dangerous and is not advisable at all. While the Bill paves the way for reducing India's import dependence for critical minerals, I request the Hon'ble Minister to provide clarity on how India will achieve this mammoth goal and catch up to China.

Secondly, Sir, critical minerals are found mostly as constituent part of larger minerals, it is only one constituent part of the larger minerals which makes their extraction very expensive, technologically very superior. Except countries like Japan and China, no other country has developed the expertise for the entire process. In these circumstances, the entire process is highly capital-intensive and requires complex infrastructure, which India does not have presently. I request the Hon'ble Minister to kindly look into the development of infrastructure and provide the required capital and the necessary subsidies to the mineral exploring companies.

My third point is regarding recycling. In addition to the extraction of these critical minerals, it is very much necessary to ramp up the exploration of mining activities. There is a need to emphasise and concentrate on recycling of these critical

minerals after use. Although it is comparatively lengthy and challenging process, it will surely be cost-effective in the long run, as it will reduce the need for mining while maximising the overall utility of the existing critical minerals.

Currently, we have no legislation on the policy on recycling of critical minerals, which is a matter of concern. I request the concerned Minister to make necessary amendments to the law in relation to recycling. With these suggestions, I support the Bill. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The next speaker is Dr. Kirodi Lal Meena; not present. The next speaker is Shri G.K. Vasan.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, this is a very important Bill which has been brought at the right time by our Hon'ble Minister. I would like to raise two quick points about this Amendment Bill. One is that this Amendment Bill will help India's EV focus because Lithium is a key mineral for EV and the Bill allows larger mining of Lithium by private sector. This will, definitely, help our 2070 Net Zero goal. I am happy about it and I thank the Minister for it. Sir, one more point is that there are some minerals which are difficult and expensive to explore. This Bill will help to explore the minerals like Cobalt-Zirconium and automatic minerals.

My last point which I would like to mention is about Neyveli Lignite Corporation, NLC in Tamil Nadu. Sir, poor farmers have given their land to the NLC and because of that today NLC is a very successful company which gives electricity to Tamil Nadu and some other States. I request the Central and the State Government to save the farmers. The State Government is destroying the cultivated farming land and is harassing the farmers. I again request that the poor farmers have to be helped and the lands have to be restored, and at the same time, they have to be given proper due time for settlement. With these suggestions, I support this Bill. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति : माननीय दीपक प्रकाश जी। आपके पास 6 मिनट हैं।

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री, सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ और उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ ही, मैं खान मंत्री जी का भी अपनी ओर से दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहता हूँ और उन्हें इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इस विधेयक की आत्मा में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है। इस विधेयक में भारत को समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प है।

'मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर ग्लोब', यह इस विधेयक की आत्मा में निहित है। मैं कह सकता हूँ कि यह दृष्टि, यह संकल्प और यह इरादा प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का है, जिसने उनको दूसरे प्रधान मंत्रियों से अलग बनाने का काम किया है। इसलिए केवल भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज दुनिया उनको जानती है। इस विधेयक के संदर्भ में मैं खास करके उन दिनों को याद कर रहा था। महोदय, मैं जिस रत्नगर्भा भूमि - झारखंड से आता हूँ, वहां पर कोयला और अन्य प्रकार की खनिज सम्पदाओं का भंडार है। मैंने देखा है कि 2014 से पहले, जब यूपीए की सरकार थी, ***(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : दीपक प्रकाश जी, आप अपने सब्जेक्ट पर बोलिए।...**(व्यवधान)...**

श्री दीपक प्रकाश : जी हां, सर, मैं सब्जेक्ट पर ही बोल रहा हूँ। सर, कुछ चीजों को जोड़ना जरूरी होता है। ***(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : दीपक जी, आपको Rules of procedure मालूम हैं। पार्लियामेंटरी रूल्स के तहत रूल 110 और रूल 240 में ये बातें लिखी हैं।...**(व्यवधान)...** Please come on to the subject.

श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं विषय पर ही आ रहा हूँ। ***(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : यह सब्जेक्ट rare minerals के बारे में है।...**(व्यवधान)...** Please come to the subject.

श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ ***(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : अगर आप सब्जेक्ट पर नहीं आएंगे, तो आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...**(व्यवधान)...**

श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं सब्जेक्ट पर ही आ रहा हूँ।

श्री उपसभापति : दीपक जी, अगर आप सब्जेक्ट पर नहीं बोलेंगे, तो आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।

* Not recorded.

श्री दीपक प्रकाश : हम अपने लोगों को केवल इतना स्मरण करवाना चाहते हैं...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Be on the subject, please.

श्री दीपक प्रकाश : सर, हम जानते हैं कि हमको विषय पर ही आना है। हम कह सकते हैं कि यह विधेयक न केवल खान और खनिज के लिए क्रांति का काम करेगा, बल्कि भारत को समर्थ भारत बनाने की दिशा में क्रांति का संदेश भी देगा।

महोदय, अभी मैं 2014 से पहले की चर्चा कर रहा था, लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब देश की बागडोर को अपने हाथों में लेने का काम किया, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने खान और खनिज सम्पदा को देश के लिए और देशवासियों के लिए रखने का काम किया। उन्होंने देश के आर्थिक विकास को मजबूत करने का काम किया। जितनी हमारी कोयला खदानें थीं, उन्होंने पारदर्शी नियमों के तहत उन कोयला खदानों की नीलामी करवाने का काम किया और देश के अंदर आदर्श स्थापित करने का काम किया।

महोदय, यह जो विधेयक है, इस विधेयक के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2015 में जब यशस्वी नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत District Mineral Foundation Trust (DMFT) के माध्यम से, जिस राज्य में खनिज संपदा होगी, उसी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उस राशि को खर्च करने का प्रावधान करने का काम किया। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मंत्री जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं पूरे संकल्प के साथ यह कह सकता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में DMFT Fund से social sector में जितने काम हुए हैं, उतने काम आजादी के बाद कभी नहीं हुए थे। DMFT का पैसा समाज के लिए, सोशल सेक्टर में रेगुलेशन लाने के लिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया जाएगा - यह संकल्प माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है और हमारे मंत्री जी उस संकल्प को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं।

आदरणीय उपसभापति जी, पहले CIA License और CM License पहले ही दे दिए जाते थे, लेकिन इस बिल के अंदर अलग से एक Exploration License देने का प्रावधान किया गया है। अब transparency और accountability के साथ नया exploration license दिया जाएगा, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि पहले CIA License और CM License में अनियमितता थी, उसमें 2014 से पहले भ्रष्टाचार की बदबू आती थी। 2014 के बाद, अब जब exploration license आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि वह देश के हित के लिए, मिनरल्स के हित के लिए और इंडस्ट्री के हित के लिए दिया जाता है। महोदय, हम जानते हैं कि इस संशोधन विधेयक में 12 परमाणु खनिजों की सूची में से 6 खनिजों को ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति : अब आप खत्म कीजिए।

श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं एक मिनट में खत्म कर देता हूँ।

महोदय, उस सूची में से 6 खनिजों को हटाने का प्रस्ताव है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ कि इन 6 खनिजों में लिथियम, टाइटेनियम, बेरेलियम और जिरकोनियम जैसे खनिज शामिल हैं, जो आज की नई एवं उच्च प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। 12 परमाणु खनिजों की सूची में से जिन 6 खनिजों को हटाने का प्रस्ताव है, वे कभी परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अधिक उपयोग होने की वजह से परमाणु खनिजों की सूची में डाले गए थे। लेकिन आज दुनिया बदल रही है, विश्व बदल रहा है। आज ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, प्रतिस्पर्धा की दुनिया में हमें आगे आना है, इसलिए उन जैसी चीजों को जो रखा गया था, ...(समय की घंटी)... जिन खनिज पदार्थों को उसमें रखा गया था, उन खनिजों को वहाँ से हटाकर हम दुनिया के अन्दर प्रतिस्पर्धा में आएँगे। जिन चीजों का हमें आयात करना पड़ता था, ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति : माननीय दीपक जी, अब मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ।

श्री दीपक प्रकाश : जिन चीजों का हमें आयात करना पड़ता था, ...(व्यवधान)...सर, मैं बस खत्म कर रहा हूँ।

श्री उपसभापति : अब मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ।

श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं बस यह कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

श्री दीपक प्रकाश : उपसभापति जी, मुझे हर्ष है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में जो क्रिटिकल खनिजों की खोज, उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय दीपक जी, अब मुझे दूसरे वक्ता को बुलाना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

श्री दीपक प्रकाश : महोदय, मुझे आशा है कि खनिज के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम लाने वाले इस संशोधन बिल का यह सदन एक स्वर में समर्थन करेगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, मेरा आग्रह है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह बिल कितना महत्वपूर्ण है। यह rare minerals, earth minerals से सम्बन्धित है। अगर आप विषय पर बोलें, तो और ज्यादा अच्छा होगा। ...(व्यवधान)... प्लीज़। Shri Kanakamedala Ravindra Kumar; not present. Shri Baburam Nishad.

श्री बाबू राम निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। खान और खनिज (विकास और विनियमन) का जो संशोधन विधेयक आया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, निश्चित रूप से हमारे देश में खान और खनिज सम्पदा भरपूर है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। हमारे देश में कहीं भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहाँ जिन 29 खनिजों की बात हुई है, नहीं पाए जाते हों। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो - इन सभी क्षेत्रों में ये खनिज निश्चित रूप से पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक मूल कमी यह है कि जिन किसानों के खेतों में खनिज पाया जाता है, उसकी जानकारी उनको नहीं होती है। अगर इसमें जिला प्रशासन सूचना देकर यह अनाउंस करे कि किसके खेत में कौन सा खनिज है, तो इससे उसकी सूचना सर्वसुलभ प्राप्त होगी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो छोटा काश्तकार है, उसके खेत में भी खनिज होता है, लेकिन वह असहाय होता है, क्योंकि उसके पास उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, पैसे नहीं हैं।

महोदय, मैं इसमें एक और व्यवस्था जोड़ने के लिए एक बात कहूँगा। जब भी उसको यह पट्टा प्राप्त हो, तो पट्टे में जो प्राथमिक रूप से धनराशि जमा करने की बात आती है, वह बहुत सूक्ष्म धनराशि होनी चाहिए, ताकि एनजीटी के द्वारा जारी एनओसी के समय ही पट्टा ग्रांट होने तक उसको जब पैसे की प्रॉब्लम हो, तो उसे इधर-उधर, दाएँ-बाएँ न देखना पड़े। जब इसमें व्यवस्था ऐसी सरल, सहज और सुलभ होगी... सर, यह जो माफिया है, वह इसमें बहुत हावी रहता है, वह जानता है कि कृषि के पट्टे में कहाँ कौन सी लैंड है और वह टाइम से पहले उसको लिखा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि यह अभावग्रस्त है, इसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह लिखा लेता है। इस प्रकार से वह किसान माफिया से बचेगा और निश्चित रूप से वह स्वावलम्बी भी होगा और राजस्व बढ़ाने में भी उसका योगदान होगा। साथ ही खनिजों की मात्रा की जो उपलब्धता है, वह सब बाजार में उपलब्ध कराएगा।

महोदय, एनजीटी के बारे में भी मेरा कहना है कि पट्टा होने के बाद एक लम्बा पीरियड एनजीटी द्वारा एनओसी जारी करने का सिलसिला चलता है। मैं उस एनओसी जारी करने के सिस्टम के बारे में भी माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसमें भी एनजीटी को निर्देश दिए जाएँ, जिससे कि जब पट्टा ग्रांट हो, तो समय रहते एनजीटी एनओसी जारी करे, ताकि उसमें समय रहते खनन हो सके।

महोदय, सारे खनिजों के बारे में जानकारी के लिए इसमें जिला प्रशासन की बहुत अहम भूमिका होनी चाहिए और सरकार को, केन्द्र सरकार को तथा प्रदेश सरकार को, किसी न किसी एजेंसी के द्वारा भी इसकी पड़ताल के लिए उसे लगाना चाहिए, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सर, मैं ज्यादा लंबा सुझाव नहीं दूँगा। मेरे पास जो सुझाव थे, उन्हें मैंने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से, यह बिल बहुत ही दूरदर्शी है, समावेशी है और हम इससे आत्मनिर्भर बनेंगे। आज हमें जो बाहर से आयात करना पड़ता है, हम उसे निर्यात करने की भूमिका में आएंगे और खनिज के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से, इससे हमारी संपदा बढ़ेगी। यही कुछ बातें करते हुए और सुझाव देते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।

श्री आदित्य प्रसाद (झारखंड) : आदरणीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023' के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है।

माननीय उपसभापति महोदय, वर्तमान में भारत की बढ़ती घरेलू माँग एवं सामरिक जरूरतों की पूर्ति के लिए इस विधेयक का होना महत्वपूर्ण है। भारत में खनिजों की खोज और खनन लंबे समय से एक जटिल समस्या के कारण बाधित रहा है, परंतु इस प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2015, 2016, 2020 एवं 2021 में अनेक संशोधन हुए हैं।

प्रस्तुत संशोधन से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, आयात की निर्भरता को कम करने और स्ट्रेटेजिक रूप से इंटस्ट्री की प्रगति और लाभ के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भारत अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बैटरी के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और विश्वस्तरीय बन सकेगा तथा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के संकल्प को भी बल मिलेगा। इसमें इस दृष्टि से संशोधन किया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में न सिर्फ नवीन तकनीक, बल्कि नए और बड़े पैमाने पर निवेश भी बढ़ेगा तथा व्यापार और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस अधिनियम से खान एवं खनिज क्षेत्रों की नीलामी प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी, क्योंकि हमेशा ऐसी धारणा रही है कि राज्य में चलने वाली सरकारें अपने पसंदीदा बोलीदाताओं को प्राथमिकता देती थीं और यदि उन लोगों को टेंडर नहीं मिलता था, उन लोगों को काम नहीं मिलता था, तो ऐसे कागजों को रद्द कर दिया जाता था, जिससे भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलता था। परिवार के लोगों को काम नहीं मिलने से लोग इस प्रकार के सिस्टम को इग्नोर करते थे। इस बिल के पास होने के बाद इस प्रकार की अनियमितताओं में कमी आएगी और नीलामी प्रक्रिया में नए निवेशकर्ताओं एवं कंपनियों को अवसर प्राप्त होगा। इस विधेयक से हमारी घरेलू खनिज उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मुख्यतः उच्च एवं विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले खनिजों का उत्पादन बढ़ेगा। खनिकों के लिए लचीलेपन में वृद्धि के कारण कैप्टिव माइंस से अधिक-से-अधिक उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि वे अब आवश्यकता से अधिक उत्पादन को बेचने में सक्षम होंगी। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा, प्रक्रिया का सरलीकरण करेगा और उन सभी प्रभावित पक्षों को लाभान्वित करेगा, जहाँ पर खनिज मौजूद है। यह परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को भी तेज करेगा। यह भारत में कुशल ऊर्जा बाजार का निर्माण करेगा और साथ-ही-साथ कोयला आयात को कम करके, कोयला खनन के क्षेत्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी लाएगा। इस बिल के पास होने से खान एवं खनिज की नीलामी प्रक्रिया में पहले से ज्यादा पारदर्शिता आएगी और ज्यादा-से-ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 55 लाख लोगों को नौकरियाँ मिलने की संभावना है। ज्यादा गहराई में मिलने वाले खनिजों के खनन हेतु ज्यादा निवेश और उच्च तकनीकियाँ मिलेंगी, जो हमारी आत्मनिर्भरता की यात्रा को सुगम बनाएंगी।...(समय की घंटी)...

सर, मैं पहली बार बिल पर बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा-सा समय और दीजिए। सर, आप पूरे देश के बारे में जानते हैं और झारखंड के बारे में विशेष रूप से जानते हैं, मैं उसी राज्य से आता हूँ। आदरणीय प्रधान मंत्री जी अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं, आम आदमी की चिंता करते हैं, गाँव,

गरीब, किसान और मजदूर की चिंता करते हैं। डीबीटी के माध्यम से गाँव का गरीब व्यक्ति चादर बिछाकर गाँव में बैठता है, ग्राम सभा करता है और ग्राम सभा के माध्यम से योजना तय करके, उसका क्रियान्वयन करके, गाँव के व्यक्ति के विचार से योजना लागू करता है, इसलिए आज गाँव का व्यक्ति कहता है कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री इस प्रकार के काम कर रहे हैं। कोयला मंत्री जी के मार्गदर्शन पर आज झारखंड बहुत तेजी से कोयले के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ-ही-साथ धनबाद जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर इनके समर्थन से सरकार चल रही है, ***...(समय की घंटी)...** प्रधान मंत्री जी के बारे में गाँव, गरीब, किसान बोलता है -

*"आप वह सूरज हैं, जिसको छूकर कोई जला नहीं,
आप वह दीपक हैं, जिसके तले अंधेरा पला नहीं।"*

आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से गाँव, गरीब, किसान और मजदूर की चिंता करके सूरज की तरह रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं, **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

श्री आदित्य प्रसाद : उसी प्रकार मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय कोयला एवं खान मंत्री, सम्माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी द्वारा जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया गया है, उसके पूर्ण समर्थन में मैं आपके सामने खड़ी हूँ।

महोदय, इस संशोधन विधेयक में जो परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटाने का प्रस्ताव है, मैं उसके लिए सरकार को बधाई देती हूँ। इन 6 खनिजों में Lithium, titanium, beryllium, niobium, tantalum and Zirconium जैसे खनिज शामिल हैं, जो आज की नई एवं उच्च प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। एमएमडीआर अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-ख में ये खनिज परमाणु खनिजों की सूची में विनिर्दिष्ट हैं। वर्तमान में इन खनिजों के लिए खनन पट्टे और कॉम्पोजिट लाइसेंस केवल सरकारी कंपनियों को ही दिए जा सकते हैं, जिससे इन खनिजों के अन्वेषण और उत्पादन में कोई प्रगति नहीं हो रही थी।

महोदय, ये खनिज परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कभी अपने अधिक उपयोग होने की वजह से परमाणु खनिजों की सूची में डाले गए थे, परंतु आज इन महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन गैर-परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है। अधिकतर मामलों में इन खनिजों का गैर-परमाणु उपयोग उनके परमाणु उपयोग से कहीं अधिक है। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि ये 6 खनिज प्राकृतिक रेडियोधर्मी नहीं हैं। ये खनिज प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनका

* Not recorded.

अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक बैटरी आदि में उपयोग किया जाता है और ये भारत की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

महोदय, दुनिया भर के सभी देश अपने महत्वपूर्ण खनिजों के अर्जन और प्रसंस्करण के लिए उपयोगी योजनाएँ बना रहे हैं। इन क्रिटिकल खनिजों का उपयोग आने वाले समय में अधिक तेजी से बढ़ने वाला है। ये क्रिटिकल खनिज, जैसे लीथियम, कोबाल्ट, निकल, दुर्लभ मृदा तत्व, प्लैटिनम समूह के तत्व आदि आने वाले समय में पेट्रोलियम तेल जैसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिन देशों के पास इन क्रिटिकल खनिजों का भंडार होगा या इनके प्रसंस्करण की क्षमता होगी, वही प्रगति के शिखर पर होंगे।

महोदय, मुझे हर्ष है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में भी क्रिटिकल खनिजों की खोज, उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में, केंद्र सरकार ने क्रिटिकल खनिजों को चिन्हित किया है और उनकी सूची जारी की है। हमारी सरकारी कंपनी "काबिल" विदेशों में क्रिटिकल खनिजों के अर्जन के लिए तत्पर है। उसी दिशा में, 6 क्रिटिकल खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाने का एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया है। इससे इन खनिजों का अन्वेषण और उत्पादन सभी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। इन खनिजों के ब्लॉकों का आवंटन भी नीलामी से हो सकेगा। इसी के साथ, इस संशोधन विधेयक में क्रिटिकल खनिजों के अन्वेषण के लिए भी प्रावधान है।

महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में माननीय प्रधान मंत्री एवं माननीय केन्द्रीय मंत्री, सम्माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी को सदन में अपनी ओर से शुभकामनाएँ देती हूँ कि आपने एक अच्छे कार्यहित के लिए इस संशोधन बिल को पेश किया। मैं इसका समर्थन करती हूँ। धन्यवाद, जय हिन्द!

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला (गुजरात) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण बिल के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मैं इस बिल को लाने के लिए माननीय प्रहलाद जोशी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। महोदय, * ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया आप विषय पर बोलिए।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ। जिन *

श्री उपसभापति : आप बिल पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : * ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप रूल जानते हैं, आप रूल के तहत विषय पर बोलेंगे, तो वही बातें रिकॉर्ड पर जाएंगी।...(व्यवधान)...

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : सर, आज की तारीख में हम कोयला बाहर से आयात करते हैं। हम कोयले के मामले में दुनिया में चौथे नम्बर पर हैं। हमारे पास पर्याप्त कोयला होने के बावजूद पुरानी सरकारों ने इस पर ध्यान न देकर इसे संज्ञान में नहीं लिया।

मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास सोने का करीब 501 टन रिज़र्व पड़ा हुआ है। हम लोग सालाना 1 हज़ार टन सोना विदेशों से आयात करते हैं, खरीदते हैं। हमारे पास इस तरह की काफी सारी धरोहर है। इसके साथ-साथ पोटेशियम, लीथियम, टाइटेनियम आदि ऐसी अलग-अलग प्रकार की चीज़ों को पिछली सरकारों ने रिज़र्व करके बैन किया हुआ था। आज की सरकार में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में इस बैन को हटाने के लिए परमिशन देने का काम इन रूल्स के माध्यम से आने वाले वक्त में होने वाला है, जिससे हम आने वाले वक्त में हमारी वे सभी चीज़ें, चाहे वह बैटरी हो, बैटरी से चलने वाला रिक्शा हो, कारें हों, हवाई जहाज़ हो, ऐसी कई चीज़ें हम अंतरिक्ष तक लेकर जा सकते हैं। ये जो धरोहर हैं, ये हमारी धरोहर हैं, क्योंकि आज हमारा पैसा बाहर जा रहा है। ये सभी चीज़ें, चाहे पोटेशियम हो, लीथियम हो, बैटरी से चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हों, ये सभी चीज़ें आने वाले वक्त में हमारे काम में आ सकती हैं। इसके माध्यम से आने वाले समय में काफी सारी चीज़ें भारत को बूस्ट करेंगी, अर्थात् प्रगति की ओर ले जाएंगी।...(समय की घंटी)... इस तरह से आने वाले वक्त में हम विश्व में भारत देश को प्रस्थापित करने वाले हैं। मैं तो चाह रहा था कि सामने वाले लोग रहें और सुनें कि * धन्यवाद, जय हिन्द! वन्दे मातरम्।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को हमारी केंद्र सरकार लेकर आई है। यह विधेयक खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाले इस विधेयक से खान और खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन हो जाएगा। इस विधेयक के अनुसार 29 खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिनमें सोना, चांदी, कांसा, कोबाल्ट, निकल, सीसा, पोटैश और रॉक फॉस्फेट शामिल हैं। अभी हमारा देश ज्यादातर खनिजों के आयात पर निर्भर करता है। यह प्रस्तावित अन्वेषण लाइसेंस और गहरे खनिज अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। यह विधेयक काफी अहमियत रखता है, क्योंकि इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की संस्थाओं को महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस देना है। इसके अलावा, यह केंद्र सरकार को विशिष्ट महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित खनन पट्टों और मिश्रित लाइसेंस के लिए नीलामी आयोजित करने का विशेष अधिकार भी प्रदान करता है।

* Not recorded.

इस विधेयक के कानून बनने से लिथियम जैसे क्रिटिकल खनिजों के खनन में निजी क्षेत्र में बोली लगाने और खनन की अनुमति भी मिलेगी। इस विधेयक में निजी क्षेत्र को 12 परमाणु खनिजों में से 6 के खनन की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा अधिनियम के तहत, सभी 12 परमाणु खनिज सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा खनन और अन्वेषण के लिए आरक्षित हैं। निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने वाले परमाणु खनिज लिथियम की माइन इसलिए भी अहम है, क्योंकि इलैक्ट्रिक वाहनों और अन्य ऊर्जा भंडारण उपकरणों में बैटरी के निर्माण में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता खुलने पर देश में इन खनिजों की खोज और खनन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह विधेयक खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव भी लायेगा। पहले देश काफी हद तक कोयले के आयात पर निर्भर था, लेकिन अब कोयला उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थिति बदल गयी है और हो सकता है कि भविष्य में भारत को कोयले के आयात के लिए किसी भी देश पर निर्भर न रहना पड़े। इस विधेयक को भारत की शुद्ध-जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है।

निजी क्षेत्र की खोज के लिए खोले जाने वाले परमाणु खनिज लिथियम का इलैक्ट्रिक वाहनों और अन्य ऊर्जा भंडारण उपकरणों में बैटरी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इन खनिजों का अंतरिक्ष उद्योग, इलैक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलैक्ट्रिक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। उक्त सूची से इन खनिजों को हटाने पर इन खनिजों की खोज और खनन को निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा। नतीजतन देश में इन खनिजों की खोज और खनन में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके प्रमुख परिणामों में से एक, एक बिलियन टन कोयले का विशाल उत्पादन है, जो भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। **...(समय की घंटी)...** यह भारत में खनन और खनिज क्षेत्र के भविष्य को एक ठोस आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

हमारी केंद्र सरकार के द्वारा यह विधेयक हमारे दूरदर्शी और यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लाया गया एक क्रांतिकारी विधेयक है, जो देश के खनन क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव लेकर आएगा और एक गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से एक सुझाव जोड़ने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। एक्वायर की गई जमीनों का मुआवजा भी जनता को दिलाने हेतु एक नया कदम उठाने के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। मैं इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को लाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। **...(समय की घंटी)...** मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय सकलदीप राजभर जी। अब माननीय मंत्री जी का जवाब।

श्री प्रहलाद जोशी: सर, इस बिल की चर्चा में 11 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है - डा. सस्मित पात्रा जी, अयोध्या रामी रेड्डी जी, डा. मु. तंबी दुरै जी, वि. विजयसाई रेड्डी जी, जी.के. वासन जी, दीपक प्रकाश जी, बाबू राम निषाद जी, आदित्य प्रसाद जी, सुमित्रा बाल्मीक जी, जुगलसिंह

लोखंडवाला जी, सकलदीप राजभर जी। मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद समर्पित करता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। जिस तरीके से दुनिया बदलती जा रही है, the way in which the world is changing, in that perspective, हमको भी हमारे देश में जो खनिज संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास होते हुए भी ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्लीज, शांति बनाए रखें।

श्री प्रहलाद जोशी : हम उनको इम्पोर्ट करते हैं। एक अंदाजा है कि हमारे देश में most precious 95 minerals हैं। इनमें surficial minerals, deep-seated, critical, rare earth minerals हैं, लेकिन इन सबके होते हुए भी हम इम्पोर्ट करते हैं। शुरुआत में जब कोयला और खनन मंत्री के रूप में मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिम्मेदारी दी और मैं प्रधान मंत्री जी से मिलने गया, तब प्रधान मंत्री जी ने मुझे पूछा कि क्या आप कोयला के बारे में कुछ जानते हैं? मैंने कहा कि सर, मैं दक्षिण से आता हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। मैं केवल इतना ही समझता हूँ कि कोयला जलाने से बिजली आती है। प्रधान मंत्री जी ने मुझसे कहा कि इतना ही जानते हो, तो ठीक है। बाद में मैंने पूछा कि आपका मार्गदर्शन क्या है? प्रधान मंत्री जी ने मुझे एक चीज़ कही, एक सेन्टेंस कहा कि देखो हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, कूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, तो मैं मान सकता हूँ और मैं टॉलरेट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम कोयला इम्पोर्ट करते हैं, तो यह हम देश के लिए बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, we are committing a sin towards the nation. इसका अर्थ होता है - कोयला, जो surficial minerals है और हम ऐसे बहुत surficial minerals इम्पोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ policy paralysis, discretion route, corruption, चाचा का फायदा करो, मामा का फायदा करो, भतीजे का फायदा करो, फलां का फायदा करो आदि कारणों से इस देश में इतना सब होते हुए भी हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए 2021 में हम कोयला और खनन क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। इस सदन में भी वह पारित हुआ। मैं सभी सदस्यों को, सदन को धन्यवाद समर्पित करता हूँ। इसके बाद हम एक और प्रपोज़ल लाए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सदन यह स्वीकार करे। 24 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो इस लिस्ट में हैं। हमने टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट किए हैं, कुछ माइनर मिनरल्स हैं और कुछ हमारे देश में नहीं हैं। ऐसे मिनरल्स, जो हमारे देश में नहीं हैं और माइनर मिनरल्स हैं, उनको छोड़कर मूलतः इस बिल में 24 मिनरल्स के बारे में, इसके एक्सप्लोरेशन के बारे में, इसकी नीलामी के बारे में कुछ बदलाव लाने का प्रस्ताव इस बिल में रखा है।

3.00 P.M.

लिथियम, कोबाल्ट जैसे जो मिनरल्स हैं, वे energy transition achieve करने के लिए हैं। इनकी बहुत ही अहम भूमिका है, लिथियम, कोबाल्ट और ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स की बड़ी भूमिका है।

जहां तक विश्व बैंक की रिपोर्ट का सवाल है, इसके अनुसार 2050 तक लिथियम की डिमांड 965 परसेंट बढ़ेगी। हमारे देश के संबंध में ऑलरेडी एक वक्ता ने कहा है कि 23 हजार

करोड़ रुपये का हमने इसका इम्पोर्ट किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है और देश का लक्ष्य है कि Net Zero Emission करना है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आगे जाना है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए लिथियम की जरूरत है, कोबाल्ट की जरूरत है। हमने एक संकल्प लिया है, हमने 2070 तक Net Zero Emission के लिए कमिटमेंट किया है। For this reason also, critical minerals की importance बहुत ज्यादा हो रही है। In order to bring it at par with the world, the developed countries, we are bringing this legislation, and इसमें आज के दिन जो प्रावधान है, उस प्रावधान में एक तो mining licence देना है, mining licence कब देते हैं - तो हमारे जो पीएसयूज़ हैं, उनमें mainly GSI and MECL है, ये exploration G-2 level करने के बाद ही हम ML देते हैं। इनको G-2 तक आने में वर्षों लग जाते हैं। अभी तो हमने कुछ बदलाव किया है और हमने composite licence देने का कार्य किया है। एक तो हम ML देते हैं और बाद में बदलाव लाकर मोदी जी के कालखंड में हमने composite licence देने की एक व्यवस्था शुरू की है। हम composite licence में भी full exploration लेते हैं और उसको करने के लिए कम से कम G-4 या G-3 तक exploration करके देना पड़ता है। इसीलिए deep-seated minerals के लिए, critical minerals के लिए, जैसे कहा गया है बहुत difficult है। Exploration for deep-seated minerals is the most difficult job and it is also highly expensive. इसके कारण हम कोयले में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, iron ore में भी अच्छा कर रहे हैं, जिसको हम surficial minerals बोलते हैं, उसमें हमारी परफॉर्मेंस ठीक है। पिछले 9 वर्षों में कई राज्य सरकारों के एक्टिव co-operation के साथ, जैसे ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, कर्णाटक है, इनमें active co-operation and initiation के कारण 9 वर्ष में कम के कम surficial mineral में तो हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो in deep-seated minerals हैं, the exploration itself is very expensive. इस exploration के expensive होने के कारण पीएसयूज़ इसे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है कि पहले कोयले का दे दो, iron ore का दे दो, उसका जल्दी-जल्दी पैसा भी मिल जाता है।

दूसरी बात इसमें यह होती है कि इसमें deep-seated करने के लिए एक्सपेंडिचर ज्यादा होने के कारण कभी-कभी पीएसयूज़ भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दुनिया में क्या है? मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, जो हमसे geographically चार गुना है, it is four times larger than India. But almost nearly 100 per cent उनका exploration हो गया है। उनका जो ओजीपी है, अर्थात् Obvious Geological Potential है, उसका हंड्रेड परसेंट exploration हुआ है। यह हमसे ज्यादा है। उनकी आबादी कम है, उनकी 2.5 crore आबादी है। Their population is only 2.5 crore and it is four times bigger than India. But they have completed the exploration. How? The only reason is that they have allowed investment in exploration itself. In the exploration itself, they allowed private participation with private investment. माइनिंग करने के लिए अलग कंपनी होती है और exploration करने के लिए अलग कंपनी होती है। जो exploration करते हैं, उनको junior miners बोला जाता है। They are called junior miners. In Australia itself, there are 600 junior miners. Junior miners

exploration करने के बाद अपना स्टेक लेकर प्राइवेट पार्टी को बेच सकते हैं। जो रॉयल्टी सरकार को मिलनी चाहिए, वह मिलती है।

महोदय, हमारे देश में जूनियर माइनर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके साथ ही एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का भी प्रोविजन नहीं है। हमने exploration करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर रखी है, इसीलिए इसमें यह बदलाव लाया जा रहा है। हम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देंगे। हमारे देश में 2014 के बाद माननीय मोदी जी एक transparent auction system लाए हैं। Through auction system only हम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर देने का एक most transparent system लाए हैं। हम एक junior miners का concept ला रहे हैं। उन्हें attract करने के लिए इस revenue sharing में उनका एक portion नीलामी के रूप में लाए हैं। Through auction, we are keeping some provision for revenue sharing for junior miners who are going to invest there. If there is any viability gap funding, we are seriously considering funding it through NMET also. जब geological reports मिलेंगी, तब उसके बाद हम ऑक्शन कर सकें, सरकार ऑक्शन कर सके - एक बार एक्सप्लोरेशन होने के बाद, एक वर्ष में इसका ऑक्शन करके जो रेवेन्यू शेयर जूनियर माइनर को मिलना चाहिए, वह मिलता है। इसके कारण बड़ी मात्रा में हमारा एक्सप्लोरेशन बढ़ जाएगा और एक्सप्लोरेशन बढ़ने के कारण हमारे देश में जो critical minerals हैं - हम यह सिर्फ deep-seated and critical minerals में कर रहे हैं। यह deep-seated and critical minerals में करने के कारण हमारे lithium, cobalt, gold and diamond, जो deep-seated and critical minerals हैं, rare earth minerals हैं, इनमें एक्सप्लोरेशन करने का एक बहुत बड़ा स्टेप बन जाएगा।

महोदय, इसमें पोटैश भी है। राजस्थान का बीकानेर - माननीय अर्जुन मेघवाल जी मुझे बार-बार याद दिलाते रहते हैं कि पोटैश का एक्सप्लोरेशन कीजिए। वे पीछे ही बैठे हैं। इसमें भी जूनियर माइनर्स का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोगों ने अमेंडमेंट्स भी दिये हैं, इसके बाद क्या आएगा? कुछ करते नहीं तो आएगा कैसे? At least we should go forward, request and offer it to the junior miners who are there in the world and tell them that there is a provision for revenue share in India also and there is the most transparent system in India today. Nowhere such a transparent system is there in the country. जो मोदी जी के कालखंड में हुआ है। हम आह्वान कर सकते हैं। हम जितने बदलाव 2021 में लाए, मुझे उनके बारे में इस सदन को बताने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमने उस टाइम सब राज्य सरकारों से बात की। इसमें ओडिशा सरकार ने भी हमें बहुत अच्छे सजेशन दिए थे। कर्णाटक की उस टाइम की सरकार ने भी कुछ सजेशन दिए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने भी दिए थे। इन सब सरकारों के सजेशन के बाद 2021 में हम जो बदलाव लाए, सिर्फ उनके कारण हमारा Obvious Geological Potential, in 60 years, was 5.7 lakh square kilometres; in nine years of Modi Government, it is 6.88 lakh square kilometers. इस ओजीपी में हमारा एक्सप्लोरेशन 10 परसेंट होता था। The maximum exploration was ten per cent. In these nine years, we have reached 30 per cent. अगर हम सब के सहयोग से और राज्य सरकारों के सहयोग से इस माइनर मिनरल्स का कंसेप्ट यशस्वी होता है, तो हम भी

इसमें कम से कम 50 परसेंट से आगे जा सकते हैं। हमें लिथियम की रिक्वायरमेंट है, कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट है, गोल्ड की रिक्वायरमेंट है। मैं इसके बारे में आपको एक आँकड़ा बताना चाहता हूँ। हम 800-900 टन गोल्ड हर साल इम्पोर्ट करते हैं। We are importing around 800-900 tonnes of gold. हमारे पास गोल्ड है, लेकिन डीप-सीटेड और एक्सपेंसिव होने के कारण हमें गोल्ड इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। लास्ट ईयर हमने कोबाल्ट इम्पोर्ट किया है, निकल इम्पोर्ट किया है, गोल्ड इम्पोर्ट किया है। गोल्ड के ऊपर जीएसआई ने हमें 55 रिपोर्ट्स दी हैं, इसके बावजूद नीलामी भी नहीं हो रही है। मैं नेक्स्ट प्वाइंट में इसके बारे में बताऊँगा। In the overall world, whatever is being invested for exploration, in India, we are investing not even one per cent for exploration. That is why, we have brought this Amendment.

हमने इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए प्रावधान रखा है। इस प्रावधान से देश में स्पेशियली डीप-सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में इनके एक्सप्लोरेशन और बाद में इनके प्रोडक्शन में जो वृद्धि होगी, यह बहुत बड़ी मात्रा में होगी। यह मेरी एक बहुत बड़ी आशादायक चिंता है।

सर, हम एक दूसरा प्रावधान एटोमिक मिनरल्स के बारे में लाए हैं। There are around 12 atomic minerals in the country. Out of these 12, we have withdrawn six, such as lithium, titanium, beryl and other beryllium bearing minerals, niobium, tantalum and zirconium. These are the six minerals. इनका नॉन-एटोमिक एप्लिकेशन ज्यादा है। लिथियम को एटोमिक मिनरल्स में क्यों रखा गया था? The reason was that it was being used in the atomic reactor. Only for that reason, it was kept in the atomic minerals. Now, its application is in lithium ion batteries. कई चीजों में लिथियम का जो एप्लिकेशन है, वह नॉन-एटोमिक एप्लिकेशन है। इसके साथ ही साथ, ये जो 6 मिनरल्स हैं, मैं इनके बारे में सदन और देश को आश्वस्त करता हूँ, एक्सपर्ट के साथ बातचीत और कंसल्टेशन करने के बाद, after having full consultation, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 6 मिनरल्स हैं, इनके बारे में जो एप्रिहेंशन व्यक्त किया जा रहा है, these minerals are not fissile or radioactive in nature. There is no such thing. लेकिन इनका एप्लिकेशन एटोमिक एप्लिकेशन से ज्यादा और दूसरी चीजों में है, इसके कारण हमने इनको निकाला है... और atomic minerals रहने के कारण उसका exploration नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी permission ही नहीं मिलती है, इसलिए हमें उसको withdraw करना पड़ा। हमने Atomic Minerals Department के साथ डिटेल में चर्चा की और हमारे ऑफिसर्स ने तो कई बार इस विषय पर चर्चाएं कीं। मैं स्वयं सेक्रेटरी के साथ इस क्षेत्र के बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिलने के लिए गया था, उनसे कुछ बातों का अर्थ पूछने के लिए गया था, चूंकि मैं स्वयं उन बातों को समझ नहीं पाया था। यह बात बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैंने उनसे वे बातें पूरी, जिनको हम नहीं जानते थे, जैसे, whether it contains fissile activity, whether is radioactive in nature. हम और हमारे मंत्रालय के Secretary, Additional Secretary, सब मिल कर इस काम के लिए मुम्बई गए थे। इस विषय के साइंटिस्ट्स से मिल कर, उनके साथ इन चीजों को कन्फर्म करके, बातचीत करने के बाद ही हम ये 6 minerals withdraw कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे देश में जो EV होंगे या हम जो Net Zero पर जा रहे हैं, उनमें

इन मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, इसीलिए इन मिनरल्स को withdraw किया जाएगा।

हमारा एक तीसरा प्रपोजल भी है। There are only three major proposals in this. हमारा तीसरा प्रपोजल यह है कि ये 6 minerals, plus 18 critical minerals, out of 30 critical minerals के लिए हमने सभी सेक्टर्स से consultation के बाद इस बिल को रखा था। उसके बाद, 18 minerals, which are critical minerals, and the six minerals, which were in atomic list, we have withdrawn that. हमने उनको withdraw करके, 24 minerals में critical और strategic minerals की लिस्ट में we have created Part D in the First Schedule. इनमें 18 plus 6 यानी 24 critical minerals हैं। Molybdenum, rhenium, tungsten, graphite, fertilizer-related, potash, phosphate without uranium, etc., सब मिलाकर इनमें 24 minerals हैं। इन 24 minerals का exploration करने के बाद भारत सरकार उनका auction करेगी, लेकिन इस पर भी कुछ लोग आपत्ति उठा रहे हैं।

Actually, let us try to understand that we are taking the responsibility. The entire revenue goes to the State Government. Not even a single *naya paisa* comes to the Central Government. The entire revenue goes to the State Government but in spite of that, we are sharing the responsibility. Why are we taking this responsibility? It is because, as I said earlier also, total 106 block reports of these critical minerals have been handed over to the State. At present, the States have to auction. Some of the States like Odisha and Madhya Pradesh are auctioning. Even in surficial minerals, I am telling you, माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि some of the surficial minerals, for which reports have been handed over to the State Governments, they are not auctioning it. जो स्टेट्स auction कर रही हैं, जैसे 2014-15 से पहले ओडिशा का revenue Rs.5,000 crores था and in 2021-22, it became Rs.50,000 crores because they utilized these reforms. It is Rs.50,000 crores. फिर भी कुछ स्टेट्स इस काम को नहीं कर रही हैं। Some States are not doing it. For that, these critical minerals are needed for the growth of our economy. Hon'ble Prime Minister has said that we have become the fifth largest economy and in our third term, we are going to become the third largest economy of the world. To become the third largest economy of the world, we need these critical minerals. हम lithium चाहते हैं, cobalt चाहते हैं, gold चाहते हैं, diamond चाहते हैं, लेकिन क्या इनको वैसे ही import करना चाहिए, जैसे हम coal import करते हैं?...**(व्यवधान)**... मैंने सोने के बारे में बोल ही दिया है।...**(व्यवधान)**... हां, मानगढ़ गांव में सोना है और जहां तक मैं जानता हूँ, शायद वहां G4 level का कुछ exploration भी चल रहा है। Sir, these are all the things. मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बाकी सबके डिटेल्स मैं आपसे ले लेता हूँ। We have handed over 55 reports of the gold. ऑक्शन नहीं हुआ है। उसमें 13 G-2 means highest level of exploration होने के बाद भी स्टेट्स अगर auction नहीं करती हैं, तो देश को नुकसान होगा या नहीं होगा, यह आप मुझे बताइए। हम तो

वैसे ही rare earth का import करते हैं। Do you need the import continuously and perpetually? Some people are telling as to why this responsibility is taken over by the Central Government. तो actually हमारे ऑफिसर्स को भी थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ...(व्यवधान)... एक nominated authority बनानी पड़ेगी, इसका document create करना पड़ेगा, एक agency hire करनी पड़ेगी। सब कुछ करने के बाद स्टेट को पैसा जाता है। फिर भी आपत्ति क्या है? स्टेट गवर्नमेंट mining concession भी अन्त में देती है। यह करने से पहले जितने concerned Departments हैं, concerned State Governments हैं, उनसे भी हम consultation करते ही हैं। Without consultation काम कैसे चलता है? हमारे यहाँ federal structure है। इसीलिए हम इसमें तीन प्रावधान लेकर आए हैं। जैसा मैंने कहा, तंबी दुरै जी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी एक भी auction का काम नहीं कर रही है। ...(व्यवधान)... तेलंगाना में एक भी auction नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)... मुरुगन जी, आप भी बैठे हैं। ...(व्यवधान)... केरल में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, वैस्ट बंगाल में नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)...

श्री प्रहलाद जोशी : 107 से अधिक रिपोर्ट्स देने के बाद बावजूद भी, after giving 107th Report also, if auctions are not being held by the State Governments and when revenue goes to them, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही मूक प्रेक्षक बनकर बैठ नहीं सकती, इसीलिए हम यह बदलाव लाए हैं।

सर, इसमें मैं यह भी कहना चाहता हूँ, I am going to tell this House, and through this House, to the entire country कि पहले की तरह मामा, भतीजे या भांजे को नहीं मिलता है, जो होता है, पूरा transparent system है; whether it is junior miners or mining licence or composite licence, it will be through auction-process and it will be most transparent auction process. ...(Interruptions)... माफिया के राज को खत्म करना है, तो स्टेट में राज्य सरकार को बदलाव करना चाहिए, अच्छी सरकार लानी चाहिए। ...(व्यवधान)... मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। कोयले के क्षेत्र में घोटाला हुआ था, माइनिंग के क्षेत्र में घोटाला हुआ था। First-come-first serve - हमारा एक OAMDR का बिल आने वाला है। उसमें कैसे-कैसे आवंटन किया गया, यह भी बाद में उस बिल के लाने के समय बताऊंगा। CBI enquiry की भी बात है। पिछली सरकार की पॉलिसी के कारण एक एमपी और एमपी के सुपुत्र जेल में जाने के कगार पर हैं। ...(व्यवधान)... इस प्रकार यह स्थिति है। इसमें 2020-21 के amendment में हम NMET लाए। उसके बाद Obvious Geological Potential और exploration भी ज्यादा हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि first time in the Independent India, mineral exploration के trust के through राज्यों को बुला-बुला कर पैसे दे रहे थे। आप पैसे लो, exploration करो, auction करो। हम auction के लिए पैसे दे रहे हैं, ऐसी मोदी जी की सरकार है। This is the Modi Government. हम सब सरकारों को बुला रहे हैं, मंत्रियों को बुला रहे हैं, सेक्रेटरीज को बुला रहे हैं कि आप पैसे लेकर जाओ और exploration करो, पैसे लो और auction करो। तो हम auction

करने के लिए पैसे दे रहे हैं। This is what the difference between Modi Government and other Governments. This is what the federal structure we believe. हमने District Mineral Foundation की स्थापना 2015 में की थी। अब इसका बड़ी मात्रा में कलेक्शन हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने District Mineral Foundation को लेकर कहा था, I quote, "The District Mineral Foundation has been formed to ensure that there is no shortage of money for the development of tribal areas", क्योंकि, हमारे जो भी minerals हैं, वे ट्राइबल एरियाज़ में हैं। The Prime Minister continues, "The idea is that part of the wealth emanating from tribal areas should be invested in tribal areas." यह प्रधान मंत्री जी की सोच है। जहाँ से हम खनन करते हैं, नैसर्गिक संपत्ति का उत्पादन करते हैं, इससे देश की Economy में growth होती है, लेकिन हमारे ट्राइबल भाई-बहनों को इससे थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए उस कष्ट का निवारण करने के लिए हम पैसा invest करते हैं। यह डीएमएफ फंड है और यह पहली बार इस देश में हुआ है।

सर, यूँ तो बताने के लिए बहुत-कुछ है, फिर भी मैं समझता हूँ कि इशारा हो रहा है। अभी दो बिल और हैं। मैं अंत में कुछ ही बातें कहना चाहता हूँ। हम जो भी अमेंडमेंट लेकर आए हैं, उसके ऊपर उठे प्रश्नों का भी उत्तर देना चाहते हैं। इसमें अमेंडमेंट यह है कि PSUs का exploration करना है। PSUs are already exploring. PSUs को पूरा नहीं पड़ पा रहा है, we are not able to do exploration, इसीलिए हम private investment को ला रहे हैं और वह भी transparent system से ला रहे हैं। He has also suggested grant of exploration licence only with the consent of all the State Governments. All these proposals will defeat the basic purpose. Otherwise, कुछ exploration भी नहीं होता है और mining भी नहीं होती है। मैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्वाइंट कहना चाहता हूँ। 2030 तक देश की जो power requirement है, that is going to be doubled. At that time, we need all these critical minerals for storage. अगर हम solar के through बिजली का उत्पादन करते हैं, तो storage के लिए lithium battery चाहिए, electric vehicles के लिए चाहिए। For all these things, we need this. That is why now the PSUs are already doing exploration and along with PSUs, these critical minerals will be explored by the junior miners. मैं सारी दुनिया को आह्वान करता हूँ कि भारत में एक बदलाव आया है। मैं आपको एक incident के बारे में बताकर, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक JV company कोयले की नीलामी में participate कर रही थी, तो पहले उन्हें बहुत डर था कि उन्हें कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा, एमपी को पकड़ना पड़ेगा, इनके पास जाना पड़ेगा, पर जब उन्होंने हमारा online auction system देखा, तब उन्होंने बहुत ही हर्ष जताया। भारत में इतना बदलाव आ सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था, उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए। These are the things which have changed in the last ten years under the leadership of Prime Minister, Modi.

सर, एक और अमेंडमेंट आया है, 'not to remove Lithium, Titanium and Tantalum from the list of atomic minerals'. These are the important critical minerals which are needed to be taken out of the list of atomic minerals, increasing their exploration and

production and making India *atmanirbhar*. भारत को आत्मनिर्भर भी बनना है और हम भारत को दुनिया का big brother नहीं, तो कम-से-कम elder brother तो बनना ही चाहते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। We want to become elder brothers. For that, we need all these minerals to build modern India, new India, which is the concept of Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, and, by 2047, we want to become developed India. For that developed India, these minerals are needed. And, with folded hands, I appeal to all to pass this Bill and allow us to continue our progress, development and the reforms. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are two Amendments; Amendments (Nos. 1 and 2) by Shri Elamaram Kareem. Shri Elamaram Kareem is absent. Amendments not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 to 8 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 9, there are eight Amendments; Amendments (Nos. 3 to 10) by Shri Elamaram Kareem. Shri Elamaram Kareem is absent. Amendments not moved.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 to 19 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 20, there are four Amendments; Amendments (Nos. 11 to 14) by Shri Elamaram Kareem. Shri Elamaram Kareem is absent. Amendments not moved.

Clause 20 was added to the Bill.

Clause 21 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Hon'ble Minister, Shri Pralhad Joshi, to move that the Bill be passed.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members, now the next Bill is the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023. Hon'ble Bhupender Yadavji to move a motion for consideration of the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) :
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

माननीय उपसभापति महोदय, हमारे देश में जो फॉरेस्ट विषय है, जब देश के संविधान का निर्माण हुआ तब यह राज्य सूची का विषय था। बाद में, 1980 के दशक में हम संविधान में संशोधन लेकर आए और तब फॉरेस्ट विषय को समवर्ती सूची में रखा गया। उसके बाद, 1980 का जो फॉरेस्ट कंज़र्वेशन ऐक्ट आया, उसमें जितनी भी भूमि फॉरेस्ट की डायवर्ट होती थी, उसके डायवर्जन को स्वीकृति देने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास आया। हमने देखा है कि विशेष रूप से जब कांग्रेस का शासनकाल रहा, वर्ष 1950 से 1980 के दशक तक देश में लगभग 45 लाख हेक्टेयर ज़मीन का डायवर्जन हुआ। उसके बाद 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन का डायवर्जन हुआ, लेकिन 12 लाख हेक्टेयर ज़मीन compensatory forestation में प्राप्त भी हुई। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि दुनिया की चलने वाली पर्यावरण वार्ताओं में भारत ने जो अपने 8 लक्ष्य दिए हैं, उनमें से 3 लक्ष्य quantitative हैं, बाकी 5 लक्ष्य qualitative हैं। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विज़न के कारण भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में और जी-20 के उन एकमात्र देशों में है, जिसने दो लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले प्राप्त किया, जो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसमें एक renewal energy के लक्ष्य को प्राप्त करना और दूसरा carbon emission के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए Glasgow के बाद जब Sharm el-Sheikh में revised NDC देने थे, तब भारत ने अपने revised NDC भी दिए। हमारा जो तीसरा लक्ष्य है, वह देश के carbon footprint को shrink करना और देश की हरित पट्टी का विस्तार करना है। इसी कारण हमारे देश में हम

किस प्रकार से green coverage को बढ़ाएं; कार्बन उत्सर्जन के लिए दुनिया इस समय जो greenery के लिए काम कर रही है, उसमें किस प्रकार से अपना योगदान दें, भारत दुनिया के सामने अपने NDC लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करे तथा देश में tree cover बढ़ाने के लिए, green cover बढ़ाने के साथ-साथ देश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में किस प्रकार से संतुलन लाया जाए - इन सबके लिए Forest (Conservation) Bill में अमेंडमेंट लाए गए हैं। यहां मैं बड़े स्पष्ट रूप से सबसे पहले इस बात को कहना चाहूंगा कि Forest Conservation Act, जिसका अब हमने नाम बदल कर वन संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक किया है, तो वन संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक और Forest Right Act का आपस में तालमेल है। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। इस बात की स्पष्टता रखनी चाहिए कि हमारे जनजाति समाज के जो अधिकार Forest Right Act के अंतर्गत हैं, वे सुरक्षित हैं, वे पूरी तरह से लागू किए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार से विरोधाभास नहीं है, बल्कि उनको ताकत देने के लिए यह किया जा रहा है।

विपक्ष के लोग कई बार बहुत तरह से ट्वीट करते हैं, वे बोलते कम हैं, लेकिन ट्वीट ज्यादा करते हैं। वे अगर आकर बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता। हम उन्हें सामने से जवाब दे देते। वे सवाल करें, उससे पहले मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जंगल के अंदर जो दूरस्थ ट्राइबल बंधु बसे हुए हैं, खासकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा के क्षेत्र में, जो Left Wing terrorism का हिस्सा है, वहां एक सबसे बड़ा विषय है कि वहां पर विकास की बुनियादी चीजों के लिए परमिशन लेने में सालों-साल गुजर जाते हैं। हमें लड़कियों का स्कूल खोलना है, पानी की टंकी पहुंचानी है, कोई प्राथमिक डिस्पेंसरी खोलनी है, कोई आईआईटी का केंद्र खोलना है, प्रधान मंत्री जी की योजना के लिए कोई विषय को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमें 5 हेक्टेयर की छोटी सी ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। भारत सरकार ऐसा विज़नरी परिवर्तन लेकर आयी है कि ऐसे सभी इलाकों में, जहां हमारे ट्राइबल सामज और Left Wing Extremism के रहने वाले लोग हैं, उनको सुविधा के लिए अगर 5 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत होगी, तो उनको forest clearance के लिए दिल्ली आना नहीं पड़ेगा, विकास उनके घर पर पहुंचेगा। हम यह लेकर आ रहे हैं। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये जो छोटी-छोटी सड़क योजनाएं हैं, उनमें 0.10 हेक्टेयर के कारण पैच ही अटका रहता है। वह पैच कभी पूरा ही नहीं होता है। वह पैच अगर कभी पूरा नहीं होता है, तो उसको भी हमने इसके अंतर्गत सरल बना कर देश के लोक कल्याण मार्ग को देश के गरीब की झोपड़ी से जोड़ने वाले मार्ग से जोड़ने का काम इस बिल के अंतर्गत किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास की धारा केवल यह जो पांच हेक्टेयर में सरकारी सुविधाएं हैं, उसके लिए दी है, उसके अलावा किसी प्रकार का कोई कमर्शियल डायवर्जन नहीं किया है। इस स्पष्टता को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा विषय देश की सुरक्षा का विषय है। हमने देखा है कि आज भारत सरकार के डीआरडीओ ने लेह-लद्दाख में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटर एरिया रोड बनाया है। वहां सुरक्षा के कारणों से जो सड़क ले जानी है और जो सुरक्षा के कारणों से दस हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, उसमें किसी प्रकार के क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डायवर्जन के बाकी विषय रहेंगे। एक और बड़ा विषय जो हमारे देश के अंतर्गत है, वह यह है कि हम हजारों करोड़ रुपये की लकड़ी बाहर से आयात करते हैं। हमारे देश की जमीन में इतनी ताकत है कि हम agro-forestry में अपने विषयों को आगे

बढ़ा सकते हैं। कल इस सदन ने Biological Diversity Act को पारित किया। उस एक्ट में हमने medicinal plants की बात की। अब हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत में अगर का वृक्ष होता है, जिसको आप काट नहीं सकते हैं। अगर आप घर में सागवान को लगाते हैं, तो आप उसको काट नहीं सकते हैं। Agro-forestry के अंतर्गत जो लकड़ियां हैं, वे हमारे tribals भी अपने घर के अंदर बो सकते हैं और agro-forestry को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए इस बिल में प्रावधान लाया गया है। जब हम गरीबों की बात करते हैं, tribals की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि यहां पर आकर यह विषय रखा जाता, तो और अच्छे तरीके से मैं इसका जवाब देता। मैंने प्रारंभ में ये स्पष्टताएं की हैं, ताकि बिल की अवधारणा को लेकर सबसे पहले स्पष्टता हो। बिल को जिस अवधारणा के साथ रखा गया है, यह देश के forest संरक्षण को मजबूत करने के लिए, भारत के NDC के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, LWE area और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं पहुंचाने के लिए, agro-forestry को बढ़ावा देने के लिए और सबसे बड़ी बात अमृत काल के आत्मनिर्भर भारत में हर गांव, गरीब के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हम यह बिल लेकर आए हैं। मैं इस बिल को आपके सामने, सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ कि एक सार्थक चर्चा के बाद यह बिल पारित किया जाएगा।

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I now call upon the Hon'ble Members whose names have received for participation in the discussion. Dr. Prashanta Nanda please.

डा. प्रशांत नन्दा (ओडिशा) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस समय बहुत सारे धर्म हैं और सबका ईश्वर अलग-अलग है। यह बात सच है कि कुछ ऐसे ईश्वर हैं, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, जिनको सभी धर्म मानते हैं, जैसे सूर्य देव हैं, अग्नि देव हैं, जल देवता हैं और वृक्ष देवता हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) पीठासीन हुए।]

जो वृक्ष देवता हैं, उनके समाहार में जहां इतने ईश्वर रहते हैं, उनको हम जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। आज मंत्री जी फॉरेस्ट के बारे में जब अमेंडमेंट लेकर आए हैं, तो विश्व में सबका ध्यान इस पर रहता होगा कि इसमें क्या है। हम ईश्वर के साथ क्या अन्याय करना चाहते हैं? पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम भारतवासी हैं, हम भारत की सुरक्षा के ऊपर कभी समझौता नहीं करते। जब भी भारत की सुरक्षा की बात आती है, तो हम आंख मूंदकर बोल देते हैं कि भारत की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। अभी मंत्री जी ने कहा कि इस अमेंडमेंट में ऐसी बात है, कौन-सी बात है कि हमारे देश के जो बॉर्डर एरिया हैं और बॉर्डर एरिया के उस पार के जो

हमारे शत्रु देश हैं या कोई अलग देश है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, पर हम नहीं कर पाए? लेकिन हम नहीं कर पाए, क्योंकि फॉरेस्ट कंज़र्वेशन ने हमें रोक दिया है। इसको फास्ट ट्रैक में लाने के लिए इसमें अमेंडमेंट लाए गए हैं। जो-जो अमेंडमेंट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और जहां हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम माननीय मंत्री जी से समझने की कोशिश करेंगे। एक बात सच है कि अगर मैं आज इस बिल के बारे में, इस बिल के सापेक्ष में, इसका समर्थन करने में खड़ा हुआ हूं, उसका पहला रीज़न मेरे देश की सुरक्षा है।

अब हम टाइटल पर आते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कह दिया है कि 2070 में नेट जीरो - यानी इंडिया का कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा। उसकी कहीं से भी शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए और वह हो भी रही है। खनिज मंत्री आए थे, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने कैसे शुरु किया है। जो सबसे अहम एरिया है, वह हमारा फॉरेस्ट एरिया है और यदि हम फॉरेस्ट को बढ़ाएंगे, तभी हम वह अचीव कर पाएंगे। 2030 तक दिखेगा कि जो हमने कहा था, हम उसकी तरफ चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए शायद इन्होंने इसका नाम वन संरक्षण के साथ वन संवर्धन दिया है। यह भी बहुत अच्छा लगा और यह भी स्वीकार है। मैं एक चीज़ आपके जरिए मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने जितनी भी अमेंडमेंट्स पढ़ी हैं, मेरा जितना ज्ञान है, उस ज्ञान में मुझे संवर्धन कहीं दिखाई नहीं दिया और जो दिखाई दिया वह exemption दिखाई दिया। अगर exemption ही करते जाएंगे, तो फिर संवर्धन कहाँ होगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। मुझे मालूम है कि यादव जी हमारे ऐसे मंत्री हैं, जो हमें इसके बारे में ठीक तरीके से समझा भी देंगे।

दूसरी बात यह है कि अमेंडमेंट के बारे में पूरी चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा स्वार्थी होकर यह बता हूं कि हमारे ओडिशा के लिए यह कितना सिग्निफिकेंट है। मेरे ओडिशा के लिए यह है कि Odisha is home to third largest tribal population of India, but it is the most diverse indigenous communities found in the country. The State has 62 tribes, including 13, particularly vulnerable tribal groups. In 2023, Odisha became the first State in the country to allocate an exclusive Budget for the implementation of the Forest Rights Act by setting aside Rs. 2,600 lakh in 2023-24 Budget. As a State that has always looked after the needs of the tribal population, the recently introduced amendments pose a problem in furthering our agenda of tribal welfare. According to the latest Forest Survey of India Report, Odisha has contributed 1.04 per cent increase in the forest cover nationally. Moreover, Odisha stands at the third position in the country when it comes to contribution in the increase of forest cover in the country. This increase is attributed to better conservation measure, protection, afforestation activities and bottom-up approach to governance. We need to ensure that the new Amendment does not dilute this spirit of conservation. This is my request to the Hon'ble Minister. Sir, while going into the details, I would like to talk about the deemed forest. I would like to know about the deemed forest. Whatever questions I am asking, through you, Sir, I am telling the Hon'ble Minister that I am not objecting. I want to know from him about it. These are my queries which maybe looked into.

The deemed forest category has been removed from the definition of forest. मुझे नहीं लगता है कि यह ठीक है because lots of good forest areas which are neither notified nor forest in Government records are now going to be diverted and destroyed. So, 'deemed forest' has to be incorporated and defined in terms of area — minimum 2 hectare and density of trees at 4 per cent. And, this category has to be included under the definition of 'forest' in accordance with the judgment of the Supreme Court in Writ Petition No. 202/1995.

Sir, there are many things I would like to know from the Hon'ble Minister. The new changes omit the category of 'lands' that are neither notified nor recorded as forest in any Government records, but qualify the characteristics of a natural forest, including those proposed to be notified as forest. The new changes also exclude those forest lands that are proposed to be declared 'forest', but yet to be notified under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927, or other State laws.

It is in contravention to Godavarman Thirumpulpad judgment of the Supreme Court. While clarifying the scope of the 1980 Act, the Supreme Court, in Godavarman Thirumulpad case, held that the Act intends to check deforestation that disrupts the ecological balance. Therefore, the Act must apply to all forests. इतना तो मैंने कह दिया। परन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर पूरी डिटेल् में डिस्कशन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है और हाउस के पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि एक बिल और आना है। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। I will be talking about compensatory afforestation.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करिए।

डा. प्रशांत नन्दा : क्या होता है, हम एक फॉरेस्ट ले लेते हैं और कहते हैं कि हम उसको दूसरी जगह पर afforestation बना देंगे। आप मुझे बताइये कि कितना afforestation किया है और उसकी कंडिशन क्या है? Do they look like forest? सर, जो फॉरेस्ट हमें पीने के लिए पानी देता था, जो फॉरेस्ट हमें जीने के लिए सांस देता था, अभी वही फॉरेस्ट afforestation में, जितने पेड़ हैं, वे सभी सुबह उठकर फॉरेस्ट होम गार्ड को बुलाते हैं कि होम गार्ड भाई, जरा इधर आओ, थोड़ा पानी तो पिलाओ, हम मरने लगे हैं! लेकिन यह हालत तो इसी डिपार्टमेंट ने की है! अगर आग देखेंगे, एक मियावाकी फॉरेस्ट है, जिसको आपकी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने केरल में सैम्पल के तौर पर किया था and it is absolutely perfect.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप अपनी बात समाप्त करिए।

DR. PRASHANTA NANDA: Sir, I would request you for giving me some more time.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप जल्दी समाप्त करिए।

DR. PRASHANTA NANDA: You can adjust time with BJP and they will agree to it. सर, इतना तो कर लीजिए। बहुत थोड़ी बात है, ज्यादा बात नहीं है, लेकिन बहुत अहम बात है। मैं इसके साथ दो सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, मैं केवल दो ही सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर उसके बाद समाप्त कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : जी, पूछिए।

डा. प्रशांत नन्दा : सर, पहला सवाल यह है, what is the cost of a hundred year old tree? क्या केवल उसका टिम्बर और कुछ नहीं! पहले तो इतना ही बनता है, उसका टिम्बर ही बनता है लेकिन 100 साल से जितनी ऑक्सीजन दी, जितना पानी दिया तथा समाज को जो कुछ भी दिया, जो पक्षियों को सहारा दिया, उस सबकी एक वैल्यू तो लगनी चाहिए। अगर उसको आप डिफाइन कर दें कि नहीं, एक पेड़ की कीमत इतनी होनी चाहिए, तो देख लीजिए कोई भी प्राइवेट वाला नहीं आयेगा और इसको नहीं लेगा, क्योंकि यह इतना भारी पड़ जायेगा कि उनकी स्कीम नहीं चलेगी। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए।

दूसरा, जो आपके अमेंडमेंट के साथ नहीं है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, हम इसको ईश्वर बोलते हैं और फॉरेस्ट वाले उसको बोलते हैं - यह है जीवन। उसकी भी लाइफ है, फॉरेस्ट भी एक जीवन है। जितने भी जीवन हैं, हम सबके राइट्स हैं। We have rights under Articles 13 to 32 of the Constitution. एनिमल्स के लिए यह एसपीसीए है। आप मुझे बताइए, what is the right for a plant Sir?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : डा. प्रशांत नन्दा, आपका धन्यवाद। कृपया समाप्त कीजिए।

डा. प्रशांत नन्दा : थैंक यू सर। आप मुझे धन्यवाद बोलते हैं और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि मैं अभी एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है और मैंने उनसे दरखास्त की है कि मुझे थोड़ा समय देंगे और उन्होंने हाँ भी की है, इसलिए आप भी थोड़ा मान जाइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आपको ज्यादा समय दिया है, कृपया समाप्त कीजिए।

डा. प्रशांत नन्दा : मुझे यह पूछना था कि उनके राइट्स क्या हैं? मंत्री जी, इतना तो बता दीजिए, हम सभी खुश हो जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में जितने जंगल हैं, वे जंगल आपको आशीर्वाद देंगे। वे बोलेंगे कि चलो, यह शुरुआत पहली बार हुई है कि हमारे राइट्स के बारे में किसी ने बोला है और कोई मंत्री था, जिसने हमें राइट्स दे दिये। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): डा. प्रशांत नन्दा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री सुशील कुमार मोदी, कृपया आप बोलिए।

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 'वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023' पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी माननीय मंत्री महोदय ने सभी मुख्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर दी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल की जो सबसे बड़ी खासियत है, वह यह है कि इसका नाम परिवर्तित किया गया है। यह 'फोरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट' था, लेकिन वास्तव में प्रचार हो गया था - फोरेस्ट क्लियरेंस एक्ट। इस कानून का एक ही उद्देश्य रह गया था कि यह फोरेस्ट को संरक्षण नहीं, बल्कि फोरेस्ट का क्लियरेंस करने की अनुमति प्रदान करने वाला एक्ट बनकर रह गया था। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और भूपेन्द्र यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसके नाम में परिवर्तन कर, वन संरक्षण एवं संवर्द्धन से इसका नामकरण किया गया है। यह कोई नामकरण नहीं है - कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि यह हिंदी का नाम क्यों है? मैं समझता हूँ कि संरक्षण और संवर्द्धन शब्द भारत की पंद्रह, बीस भाषाओं के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है, वह यह बात है और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोगों के मन में जो भय था कि अगर मैं प्राइवेट प्लांटेशन करता हूँ, ट्री प्लांटेशन करता हूँ, तो ऐसा न हो कि मैं कल कानून के दायरे में आ जाऊँ कि यह भी वन भूमि है। इसलिए वन भूमि किसको कहा जाएगा - इस बात को इस एक्ट में और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जब 'फोरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट' आया था, तो उस समय जो फोरेस्ट एरिया था, जो वन विभाग के अंतर्गत रिकॉर्ड में वन था, वही उसकी परिभाषा में आता था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है - क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत वन थे, लेकिन उन पर यह फोरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट लागू नहीं होता था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में या सरकार के किसी भी रिकॉर्ड में अगर किसी भूमि को फोरेस्ट दिखाया गया है, तो वह सारी की सारी जमीन इस एफ.सी.एक्ट के अंतर्गत मानी गई है। इस परिभाषा में जो ambiguity थी, उसको भी स्पष्ट किया गया है।

महोदय, इसके साथ ही साथ इसमें प्रिएम्बल को जोड़ा गया है। समय कम है, इसलिए मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, जिसका अभी माननीय भूपेन्द्र यादव जी ने जिक्र किया है। महोदय, हमारा टारगेट है कि पूरे देश के अंदर जो भूमि है, उसका एक तिहाई फोरेस्ट ट्री कवर में परिवर्तित किया जा सके। सर, एनडीसी का जो कार्बन न्यूट्रैलिटी का टारगेट था, उन सारी चीजों को इसके प्रिएम्बल में डाला गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रिएम्बल के अंदर हमारा लक्ष्य क्या है - उसको इसके अंदर शामिल किया गया है।

महोदय, इसके साथ ही साथ किन चीजों को फोरेस्ट्री के अंतर्गत माना जाएगा - जिसको अभी तक नोन फोरेस्ट्री माना जाता था, अभी जू, सफ़ारी, ईको टूरिज़्म आदि जो गतिविधियाँ हैं, जैसे सफ़ारी है, कोई ज़ू खोलना है, ईकोटूरिज़्म है, इनको नोन फोरेस्ट्री एक्टिविटीज़ में माना जाता था, लेकिन अगर सरकार ईकोटूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कोई कार्यवाही करती है, कोई ज़ू बनाती है, कोई सफ़ारी बनाती है, तो वैसी स्थिति में इस बिल के द्वारा उनको यह

अधिकार दिया गया है। वह जो प्लान बनता है, अगर फोरेस्ट प्लान और बाकी प्लान उसका हिस्सा है, तो यह नोन फोरेस्ट्री नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको फोरेस्ट्री एक्टिविटी माना जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर वन क्षेत्र में कोई सर्वे करना है, अगर माइन्स, मिनरल्स मिलने की संभावना से कोई सिस्मिक सर्वे करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, एक्सप्लोरेशन करना है, तो इसमें इसकी भी अनुमति मिलेगी क्योंकि सिर्फ फोरेस्ट का और कोई स्वरूप बदलता नहीं है। इसके अंदर इसका भी प्रावधान किया गया है।

4.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ अभी माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया कि स्ट्रेटजी की दृष्टि से, यानी जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर strategic linear project of national importance and concerning national security, हमारा जो एलएसी और एलओसी है, यानी Line of Actual Control or Line of Control, उसकी 100 किलोमीटर की सीमा में अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसको भारत सरकार घोषित कर दे कि यह नेशनल इम्पोर्टेंस का है, concerning national security, तो वैसी स्थिति में 100 किलोमीटर के दायरे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10 हेक्टेयर तक जमीन बिना किसी अनुमति के, एफसी की जो पूरी प्रक्रिया है, बिना उसमें गए भी ली जा सकती है। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी, उन्हीं के तहत इस 100 किलोमीटर के भीतर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा या उपयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कह दिया जाएगा कि यह स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का है। इसके साथ ही साथ, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड इलाका है, जो वामपंथी उग्रवाद से जुड़ा इलाका है, अगर वहाँ पर कोई पैरामिलिटरी कैंप खोलना है, डिफेंस से रिलेटेड कोई काम करना है और कुछ गतिविधियाँ करनी हैं, तो उनके लिए भी इसके अंदर 5 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए प्रावधान किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी तक अगर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के पीएसयूज को जमीन लेनी होती थी, तो उनको अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अगर किसी प्राइवेट एन्टिटी को लीज पर जमीन दी जा रही है, तभी उनके लिए अनुमति की आवश्यकता थी। पहले पीएसयूज क्या करते थे कि उन्होंने जमीन लीज पर ले ली और बीसों साल तक जमीन खाली पड़ी रहती थी। अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि जो पीएसयूज होंगे, उन पीएसयूज को भी सरकार की अनुमति लेने के बाद ही जमीन मिलेगी और वे उस जमीन का इस्तेमाल कर पाएँगे। अभी माननीय भूपेन्द्र जी ने बताया कि जैसे रेलवे लाइन है, कोई सड़क है, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट है और वहाँ बगल में कोई वन भूमि है, तो 0.10 हेक्टेयर तक जमीन ली जा सकेगी, ताकि हैबिटेशन के साथ उस जमीन का इस्तेमाल कनेक्टिविटी के लिए किया जा सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार में करीब 7-8 साल तक इस विभाग का मंत्री रहा हूँ। मैं इस बात से दुखी रहता था कि एफसी एक्ट में क्लियरेंस के लिए 2-2 साल, 3-3 साल लगते थे। मैं भूपेन्द्र जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब 180 दिन के अंदर फॉरेस्ट

क्लियरेंस हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ क्लियरेंस के लिए यह राँची जाएगा। जब एक बार उसका नेट वैल्यू वगैरह डिटरमाइन हो गया, सारी चीजें हो गई, तो पहले की तुलना में काफी स्टेप्स कम किए गए हैं। मैं चाहूँगा कि इसका और सरलीकरण किया जाए, ताकि अभी जो 180 दिन लग रहे हैं, इसमें और कम समय के अंदर इसको पूरा किया जा सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ, इसमें एक प्रीएम्बल जोड़ा गया है - 'net zero emissions by 2070'. अभी माननीय नन्दा साहब कह रहे थे कि इसमें संवर्धन की तो बात ही नहीं है, इसमें केवल संरक्षण की बात है, तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में भूपेन्द्र जी विस्तार से बताएँगे कि हमने इसमें 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन कार्बन इक्विवेलेंट का कार्बन सिंक बनाने का टारगेट रखा है। पूरे देश के अंदर जो भूमि है, उसकी वन-थर्ड भूमि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर के रूप में रहेगी और इसके अंदर इसका इस्तेमाल करने का भी प्रावधान किया गया है। 2070 तक जो नेट जीरो एमिशन है, उस एमिशन के टारगेट को प्राप्त करने के लिए इसके अंदर प्रावधान किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूँगा कि पूरी दुनिया में एक द्वंद्व चल रहा है - विकास बनाम पर्यावरण। पर्यावरण का संरक्षण या वनों का संरक्षण और विकास, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होगा, चूँकि जंगल है। इसलिए इन दोनों के बीच में संतुलन कायम करना, यह इस बिल का उद्देश्य है। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं चाहिए। हम पर्यावरण का संरक्षण भी चाहते हैं, वनों का संरक्षण भी चाहते हैं और विकास भी चाहते हैं। इसलिए इसमें जो अनेक एग्जम्प्लस दी गई हैं, इसी बात को ध्यान में रख कर दी गई हैं कि दुनिया की दौड़ में हमको आगे बढ़ना है, चीन का मुकाबला करना है, पाकिस्तान का मुकाबला करना है। ठीक बॉर्डर के एरिया में उन्होंने बहुत सारा strategic construction कर लिया है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक बात और भी है कि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का हनन नहीं किया गया है। मैं फिर से एक बार अपनी ओर से माननीय भूपेन्द्र यादव जी को और देश के प्रधान मंत्री जी को, इस ऐतिहासिक बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : मैं भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी बात समाप्त की। माननीय श्री एस. निरंजन रेड्डी।

SHRI S NIRANJAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, as I speak, I must confess that I am facing a dilemma. There is a conflict between my mind, which is fully satisfied with the reasons given for the purpose of making changes to the law....

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप अपने स्थान पर जाकर ही बोलेंगे तो ठीक रहेगा।

SHRI S NIRANJAN REDDY: Sir, as I said, I am facing a dilemma when I speak on this subject because there is a conflict between my mind, which is fully satisfied that

enough reasons have been made out by the Government for bringing these changes, because these are needed in the national interest, in the interest of national security, as also for the development of the country, but there is a lurking fear in my heart as to whether this would open some sort of a floodgate for certain forest areas, which need to be protected, to be released.

Sir, when I speak, it is not about the immediate Government or the very efficient Minister we have, because once the law is made, it would be a law that would be operating for several years to come. I find that in this Bill, while granting relaxation, a lot of provisions have been made, that the Central Government would either make guidelines or issue directions with regard to proper implementation of these provisions. Sir, if I may use a metaphor, a good law is like a reservoir, which is built strongly to contain the mischief. But a rigid reservoir, which does not allow floodwaters to go or allow discharge of water for good public causes, is not a reservoir that serves public purpose. It needs sluice gates, but the sluice gates must also have strong gates which would be stopped when the water is not required to be discharged. So, the Act was very rigid. It became a little more rigid with the Supreme Court judgement, which defined 'forests' to include 'deemed forests'. I think these amendments will go a long way in alleviating certain hardships faced by people. It would also help the nation progress and it would also help the security establishment. While that is something that is laudable, the request I have for the Government would be that when it is now making guidelines, and it would be providing for issuing directions, these guidelines and restrictions must be placed in the strongest possible manner so that only such of the forest land which is required to be released from this particular purpose would then be permitted to go outside the fold of the definition of 'forest land'. I have no doubt that it would be done, but this is just a concern because when I heard the Hon'ble Member, Dr. Prashanta Nanda, speak before me, where he expressed that the Act must also make a provision for preservation, I wanted to just state that there are these provisions which seem to provide for the Government to ensure proper preservation, but those would have to come outside the Act now. So, the Act is just the starting point. It serves public purpose, but I think the Central Government may have to make guidelines and issue directions. I would request the Hon'ble Minister to ensure that the forests' interest and the public interests are best protected by making absolutely tight guidelines which will not be violated at any point of time in future.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri K.R. Suresh Reddy; not present. Shri Kamakhya Prasad Tasa.

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। ऑनरेबल मिनिस्टर भूपेन्द्र यादव जी ने पूरी स्पष्टता के साथ इस बिल के बारे में बोला। अभी सुशील मोदी जी ने और हमारे प्रशांत नन्दा जी ने भी इस बिल पर बोला।

वाइस चेयरमैन सर, भूपेन्द्र जी के बोलने के बाद, इस बिल पर चर्चा हो रही है, चर्चा होने के बाद यह बिल पास होगा। मैं 'The Forest Conservation (Amendment) Bill, 2023' के समर्थन में खड़ा हूँ और चाहता हूँ कि भूपेन्द्र जी के नेतृत्व में यह डिपार्टमेंट फ्यूचर में इसको अच्छे से निभाएगा। मैं भूपेन्द्र जी का काम गौर से देख रहा हूँ। इससे एक यह बात सामने आ रही है कि इनके नेतृत्व में जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वह पूरे forest and environment को बचाने के लिए काम कर रहा है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का carbon emission को net zero करने का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ दिन पहले जब भूपेन्द्र जी एलीफेंट फेस्टिवल में काज़ीरंगा गये थे, तब उन्होंने फॉरेस्ट्स के संरक्षण के प्रति जो sensitivity दिखाई, यह बिल उसका एक परिणाम है। वनों का संरक्षण, संवर्धन जैसा विषय आपने उठाया, इसमें डेफिनेटली हम लोग खुशी चाहते थे। ऑनरेबल मिनिस्टर भूपेन्द्र जी, मुझे आपको एक बात कहनी है। जैसे विकास की दृष्टि से आपने इसको थोड़ा ईजी भी किया है और इसका संरक्षण करने की व्यवस्था भी की है, लेकिन आप देखें, मैं पूरी दुनिया में एक चीज देख रहा हूँ, असम में भी मुझे देखने को मिला है, वह मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी कांग्रेस के टाइम में असम में जितना encroachment था, maximum encroachment था, अभी eviction भी हो रहा है। Total encroachment 3620.7 sq. km. था और इसका forest area 20.19 sq. km. encroached था, इसको अभी हमारी असम गवर्नमेंट ने क्लियर भी कराया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उसको पूरा strongly handle किया है। लामडिंग में 14.50 sq. km., पोबा में 17.50 sq. km., बुढ़ा चापोरी में 20.99 sq. km. - ऐसे करके कम से कम 60.67 sq. km. को क्लियर कराया है। देखा जाता है कि जो forest area है, इसको टारगेट करके चलते हैं। विकास का यह मतलब नहीं है कि आप forest को ही टारगेट करके चलें और forest land को ही कोई grab करने की व्यवस्था करे। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सम्मेलन definitely करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि forest Department का एक स्ट्रॉंग सम्मेलन करना चाहिए, जिसमें DFO और General Administration शामिल हों। उसको forest land में टारगेट नहीं करके चलना अच्छा है। आज मैं यह देख रहा हूँ कि कोई five star hotel बनाने के लिए forest land ही माँगता है, कोई काज़ीरंगा के आस-पास का लैंड माँगता है। ऐसा नहीं करने से वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो forest के ऊपर dependant आदमी हैं, उनको थोड़ा संरक्षण मिलेगा। आपने जो बॉर्डर एरिया की बात कही है, मैं नॉर्थ-ईस्ट में भी देख रहा हूँ कि Assam inter-State border पर भी प्रॉब्लम है और international border पर भी प्रॉब्लम है। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, जो वन का पेड़ है, उसको काटने के लिए वन माफिया पूरे पैमाने पर लगा हुआ है।

हमारी गवर्नमेंट के आने से पहले सबसे ज्यादा वन खत्म हुआ है, चाहे नागालैंड में हो या अरुणाचल में हो, बड़े-बड़े जो पेड़ हैं, उनको काट कर खत्म किया है। लेकिन हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद इसको थोड़ा टाइट किया गया है, क्योंकि net zero emission, 2020 की जो बात हुई है, NDC का target fulfil करने की जो बात कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया है।

इसी तरह जो global warming है, लैंड कटाव है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है, बल्कि deforestation ही है। आप जानते हैं, सभी ऑनरेबल मेंबर्स जानते हैं कि इसका दूसरा कोई कारण नहीं है, only deforestation बहुत ज्यादा है। मेरा यह मानना है कि मैं जितने एरिया में forest की जगह में गया, वहाँ पर देखा कि forest से ज्यादा deforest area है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई है, इसीलिए जहाँ पहले forest था, उस जगह पर अब गाँव बस गया। वहाँ पर क्या होगा, उसको भी थोड़ा clear करना अच्छा है। उस area में अगर घर जलता है, तो वहाँ पर हमारे Disaster Management Department से कुछ पैसा देना होता है, लेकिन वे उसे दे नहीं पाते। वहाँ ज्यादातर गाँव हैं। जहाँ पहले forest था, उस forest की जगह पर अब गाँव बन गया, शहर बन गया, चाय बागान बन गया। ऐसा बहुत सी जगहों पर हुआ है। मैं इंडिया में भी वह देख रहा हूँ। उस deforest area में क्या होगा, उसको थोड़ा स्पष्ट करने से अच्छा रहेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इस 'वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023' का समर्थन करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आपने इसमें मैक्सिमम को कवर किया होगा। जो पार्टिज़ हमारे विरोध में हैं, वे अभी तो नहीं हैं, लेकिन वे इसे लेकर बाहर प्रचार कर रहे हैं। सुशील मोदी जी ठीक बोल रहे हैं कि फोरेस्ट को खत्म करने की बात हो रही है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अगर Assam and North-East में कभी फोरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो काँग्रेस के दिनों में हुआ है। 90 परसेंट एरिया को बंगलादेशी शरणार्थियों ने encroach किया हुआ था। यह बात अलग है कि अभी उन्हें भगाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ही ज्यादातर भाग को encroach करके रखा था। अभी वे Poba, Majuli area जैसे एरियाज़ में घुसे हुए हैं। इसके साथ ही, जो बहुत दूर-दराज का फोरेस्ट एरिया है, उसमें ये लोग बसे हुए हैं। गवर्नमेंट तो कम लैंड ले रही है, लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसे थोड़ा बचाइए और आप इसे बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI HISHEY LACHUNGPA (Sikkim): Sir, while supporting the Forest Conservation (Amendment) Bill, 2023, I would like to request the Hon'ble Minister to consider the following issues concerning the State of Sikkim.

Sikkim was originally the kingdom of agrarian society which depended heavily on cattle livestock which is the primary pillar behind Sikkim being an organic State. It became the 22nd State of India on 16th May, 1975. However, in 1978, an abrupt Reserve Forest Land Survey was carried out and before a proper and in-depth survey could be accomplished, the Forest Conservation Act was enacted in 1980 by the Indian Parliament and implemented in Sikkim. Section 2, sub-section (i) of the

Forest Conservation Act gives enormous power to the Union Government to designate an area as 'reserve forest'. The unclassified non-forest public utility lands like Gaucharan, khasmal and river courses, etc., which were to be kept outside its purview, were incorporated in the Forest Conservation Act of 1980. Such public utility lands have existed since time immemorial and been way of life, culture and customary identity of Sikkimese tribal population. The very tribal population inhabiting sensitive border-States are living proof of Indian territory and thereby act as second line of Indian defence. Restrictions will gravely impact sustainability and continuity of border civilian population.

The new Amendment should be inclusive of providing forest rights of this Sikkimese tribal population, which, in no way, will cause deforestation, will maintain ecological balance and strengthen our border civilian population. Also, whilst establishing Defence infrastructure along border areas, notified and other sacred lakes and pilgrimage sites should be avoided. Apprehensions are arising that bio-diversity may be affected in pursuit of the new Forest Conservation (Amendment) Act. Bio-diversity and natural reserves should be safeguarded and protected.

I, therefore, request the Hon'ble Minister to de-reserve the above category of unclassified lands, which is meant for public utility purposes, from the purview of the Forest Conservation Act, 1980, and transfer it to the State List. An assurance in this regard may kindly be given in letter and spirit. With these few words, I support the Bill once again.

Thank you, Jai Sikkim, Jai Hind !

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, my colleague has already stated that we are supporting the Bill and we will support the Bill on behalf of my Party, and, our leader, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy. There are two points which I would like to bring to your notice. The first point is that the subject of 'Forests' is in the Concurrent List. Originally it was in the State List. Subsequently, when Congress Party ruled for decades continuously from 1950s to 1960s, they transferred 'Forests' from the State List to the Concurrent List.

Now the Hon'ble Minister of Forest is making the laws. Now it is in the Concurrent List. Both the State Government and the Union Government have got the power to legislate on the issues of forests. I draw your kind attention and also the attention of the Hon'ble Minister to one of the provisions. It is Clause 6. It says, 'In the principal Act, after section 3B, the following section shall be inserted.' According to me, this requires approval from all the State Governments. The assignment of

forest land for the forest use or other purposes can be decided upon by the Central Government and not the State Government independently. I presume this is the meaning of that particular Clause. The Minister of Forest may clarify this.

I urge the Minister and the Ministry to reconsider it as I believe the State Government should have an equal say as the matters relate to the forest land because it is a subject in the Concurrent List.

My last point is on adopting participatory forest management strategies. To conserve forests effectively, forest communities, those who live in the forests and those who depend on the forests, need to be made equal shareholders in the conservation process. The combined effort of the community and the Government is the only solution to ensure sustainability. And, in this regard, we should draw inspiration from the participatory forest management model which is being followed in Andhra Pradesh. The participatory forest management regime in Andhra Pradesh is implemented through the tenets of Joint Forest Management (JFM) and Community Forest Management (CFM). According to me, this is the best in the country. *Van Sanrakshan Samitis* comprising of local communities as custodians of the forests have been set up across the State. This has resulted in regeneration of forests. In fact, originally, in Andhra Pradesh, the forest cover was less. Now it has tremendously improved. It improved the economic health of the local people, the *adivasis*. It reduced forest clearing for agriculture and illicit timber felling. It improved safety of the forest staff. I request the Hon'ble Minister to kindly consider this. The States should also be consulted while making legislation and implement both the participatory forest management regime, which is being implemented in Andhra Pradesh, and also Community Forest Management. With this, I support the Bill. Thank you very much, Sir.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the debate on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 brought by Yadav *ji*. On behalf of the AIADMK Party, I support the Bill.

As Mr. Vijayasai Reddy said, this subject is now in the Concurrent List. It was earlier in the State List. This happened slowly. This is our concern. I belong to the AIADMK Party. We are for some kind of autonomy or some federal structure. We are in principle for that. Education also came from State List to Concurrent List. 'Forests' was also like that. This happened during the Emergency period when Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister. She took away most of the State powers and brought them under the control of the Central Government in the Concurrent List. In

1976, during the emergency period, they usurped most of the subjects. They have taken. Then, the State Governments became like municipalities. They, more or less, have no power. Now, our Hon'ble Prime Minister is for federal structure. He is encouraging and appreciating all the cultures, languages and everything. Because he served as a Chief Minister in Gujarat, he knows the problems of States. Therefore, he understands that and he is functioning in such a way. In this, our Hon'ble Minister, Yadavji has brought forward this Bill with good intentions. I appreciate that. The Supreme Court judgment also gave some directions in December, 1996. That also made him to bring in certain things.

Sir, we have problems in Tamil Nadu. For example, forest population. Forest population does not mean only human beings; even animals also. In most of the places now, elephant is the forest population. It is ever-increasing. It is not living in forest now. It is coming to the mainland. They are also claiming that it is part of their land and they have every right to come to fields. In Tamil Nadu, they are coming, along with kids, like 20-30 elephants, leaving the forest and coming out. They destroy the whole cultivation and everything of farmers. Any human in their way is killed. We are concerned about protecting elephants but we are not concerned about protecting the human beings. That is the fate now. We have to preserve the animals. That is our policy. The forest must have such kind of atmosphere that they must live there and must not come to our places. In the same way, we say that humans must not go and encroach their places. ...(*Interruptions*)... Yadavji, animals have their own rights in the forests. We have to develop forests in such a manner that those animals dwell there. As we cannot encroach their area, they cannot encroach our area. That is what we are facing now. Many human beings are killed. Recently, you must have seen that in Tamil Nadu. They also come on railway track. Trains are there and animals are dying there. We are seeing that near Karnataka area. In Hosur area, many elephants are coming there. Not only in Tamil Nadu but in Karnataka also, we are facing that problem. We are neighbouring States. They are moving from Karnataka forests to Tamil Nadu forests; from Tamil Nadu forests to Kerala forests. They are going around and also coming to all the fields. That is why I am requesting. How is the Government -- our State Government and Central Government -- going to protect the human beings also? What is the compensation we are going to give when people lose their lives? Also, as other Members were saying, we are also concerned. The terms like 'eco-tourism facilities' and 'any other like purposes' in the Bill can be exploited and misused for activities which can damage the forest and ecosystem. That is another serious matter. When you are amending certain things,

you are giving concessions. Many people may misuse it also for their own purpose under 'tourism'. That is the problem which may come. Therefore, you have to be very strict on that while giving such kinds of concessions to them. For example, you can take any forest. It may not be thick forest but we have to make roads. The Forest Department is not clearing the permission for roads. It is another problem. To go to the other side, you have to cross. Even for getting roads, it is very, very difficult to get the permission. Every State Government is laying the road after permission from Forest Department. They have to be somewhat flexible in giving the permission, which you may be giving through the amendment. Whatever you say, I am very much concerned about the language issue. You have brought in the name in Hindi. You bring it up; I have no objection. But I don't know what its Tamil name is. You have to put it. You put Central Government programme nowadays like *Sarva Shiksha Abhiyaan*, etc. You put it in the regional language also so that States also understand that. You put that Hindi word in English. Some people cannot understand that. In the same way, even in the non-Hindi areas, we cannot understand what the programmes are. The Prime Minister is doing a lot of programmes for the people. We appreciate that. Narendra Modi ji is doing good programmes. People do not understand what the programme is or what the meaning of it is. In Tamil Nadu, *Sarva Shiksha Abhiyan* is called "*Anaivarukkum Kalvi*". That is what people call it. Even I was the Education Minister in 2001. At that time, a scheme came. I translated everything in Tamil only. Instead of *Sarva Shiksha Abhiyan*, it was "*Anaivarukkum Kalvi*"; education for all. That is the meaning. Then only people understand; otherwise, common people cannot understand the schemes and avail the facilities. This Government has noble ideas but how the common man can understand them. Therefore, that way, in the Bill also, you should mention like that. When it is going State-wise, give translation for the language equivalent to that. That would be useful. Therefore, with these few words, I request you once again, how to preserve the forests and also the humans on this side. Let the clearance be given for small roads and everything. These are the things for which I make a request. With this observation, I support the Bill. There are a lot of good things. Our Hon'ble Minister has come after a long time. Therefore, I appreciate Yadavji's efforts. The AIADMK Party supports this Bill. Thank you.

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सर, मानव जीवन में वृक्षों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि प्राण वायु का, ऑक्सीजन का

बहुत महत्व होता है और वह वृक्ष ही हमें देते हैं। वृक्षों के बिना इस पृथ्वी पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वृक्ष को बचाते हुए विकास को आगे ले जाने के लिए हमारे मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा देश में वन संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर अनेकों प्रावधान किए जा रहे हैं। इस विधेयक में सरकार द्वारा पर्यावरण एवं राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित विषयों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा देश के वन क्षेत्रों में वृद्धि हेतु इस विधेयक के माध्यम से अनेकों प्रावधान किए जा रहे हैं। इस विधेयक के माध्यम से सरकारी रिकॉर्ड में अधिसूचित वन भूमि के साथ ही राजस्व भूमि और वन संबंधी अन्य भूमियों को वन कानून के अंतर्गत वन श्रेणी में शामिल किया जाएगा। वन श्रेणी में शामिल करने के पश्चात् इन भूमियों पर वृक्षारोपण तथा वनीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। विधेयक में वन क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्र जैसे कि रेल लाइन, सड़क लाइन के किनारे वृक्षारोपण को भी प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया जा रहा है। महोदय, इसके अतिरिक्त देश में ऐसी अनेकों राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न वन एवं पर्यावरण संबंधित अनुमतियों के कारण अनेकों ऐसी परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जा सका है, लेकिन वे अब शुरू होंगी। मैं गुजरात राज्य से सदन का सदस्य हूँ। हमारे राज्य का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनेकों परियोजनाएं हैं, जो कि विभिन्न पर्यावरणीय अनुमतियों के कारण शुरू नहीं हो पाई हैं, जो इस बिल के प्रावधानों से शुरू होंगी। महोदय, राष्ट्र सुरक्षा में परियोजनाओं का शुरू होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से देश के अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी ऐसी अनेकों परियोजनाएं हैं, जो राष्ट्र सुरक्षा एवं देश के वीर सैनिकों के आवागमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री मोदी जी और वन मंत्री, श्री यादव जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हुए इस विधेयक के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 100 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक परियोजनाओं को छूट प्रदान करने का प्रावधान किया है। इस विधेयक से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट है कि जहां एक ओर वनीकरण भी बढ़ाया जाए और दूसरी ओर सरकारी परियोजनाओं को सीमावर्ती इलाकों में भी लागू किया जाए।

महोदय, मैं इसके लिए पुनः एक बार माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इस बहुत महत्वपूर्ण बिल से हमारे विकास को भी वेग मिलेगा, गति मिलेगी, वृक्ष भी ज्यादा उगाए जाएंगे। इसीलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

SHRI G.K. VASAN (TAMIL NADU): Sir, I stand here to support an important Bill on behalf of my party. The Bill is on national interest. The amendments in this Bill will, definitely, help the country's progress. I would like to ask two-three important clarifications from our respected Hon'ble Minister. Number one is, how is the change in the name of the Bill going to enhance the conservation of forests in the country?

Number two is, I would like to ask the Minister whether the zoos and safari and also the eco-tourism will be considered as forestry activities under the proposed Bill, which is given in the Act. I would like to ask the Minister how and why this proposal is needed, and, in what way, it would impact the lives of the people dependent on forests. The third point is, the exemptions being proposed in the Bill, especially, for LWE and strategic projects, they do have their own specific importance for the security of the nation. Well, we definitely, know about the security in those areas. But, however, we expect that the conditions of compensatory afforestation under CAMPA funds will not be compromised and the Central Government will issue guidelines as per the proposed Bill.

Finally, Sir, I would like to make one request to the Hon'ble Minister, through his Ministry. I belong to the State of Tamil Nadu. There are many districts and villages which are near the forest area. Especially, in districts like Coimbatore and Nilgiris and also in some of the other districts and villages which are near the forests, many times, nowadays, we see in papers and televisions that elephants, tigers and *cheetas* are destroying the cultivated lands, destroying and damaging the houses and injuring the people. The people in those areas live in fear. I will only request the Hon'ble Minister that there should be a formula to give compensation to the common poor people who live there. They should live in peace. They should do their activities fearlessly. It is because they are supposed to live only in that area. It is our duty in democracy to give them custody. The Forest Department should be the guardian for them and I wish that these poor people, who stay near the forests are helped from our Forest Department. With these words, I support this Bill and thank the Minister for bringing this Bill at appropriate time.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद, माननीय वासन जी। माननीय श्री अजय प्रताप सिंह।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बिल प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने बिल के अहम बिंदुओं से सदन को अवगत कराया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत आज दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत से न केवल भारतवासियों को आशा है, अपितु दुनिया के लोगों की आशा का केंद्र हमारा देश बना हुआ है। इसलिए रणनीतिक रूप से हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश मजबूत रहे, हमारा देश न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके, अपितु जो हमारे पड़ोसी देश हैं, केवल पड़ोसी देश ही नहीं, दुनिया में अनेक ऐसे छोटे-छोटे देश हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए भारत की ओर एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं- इस विधेयक के माध्यम

से भारत की सुरक्षा को अहमियत प्रदान की गई है। इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने प्रावधान प्रस्तुत किया है कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो रणनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में 100 किलोमीटर की दूरी तक हम युद्ध की दृष्टि से, रणनीति से कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें वन संरक्षण का जो 1980 का कानून है, वह बाधा न बन पाये, इसलिए यह संशोधन विधेयक आया है। पहले जो युद्ध की रणनीति हुआ करती थी, उसमें जो सीमावर्ती क्षेत्र हुआ करता था, वह सामान्यतः अविकसित छोड़ दिया जाता था। अगर युद्ध के समय हमें पीछे हटना पड़े, दुश्मन तेजी से चलकर आगे आये तो उसकी आने की रफ्तार धीमी पड़ जाये। लेकिन अब दुनिया में वार की स्ट्रेटजी बदल गई है। वार की स्ट्रेटजी बदलने के कारण और दुनिया में भारत की स्थिति बदलने के कारण, अब यह आवश्यक नहीं है कि हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को अविकसित रखें। अब इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करें, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे सम्पर्क के साधन हैं, जो संचार के साधन हैं, वे मजबूत हों और आवश्यकता पड़े तो हमारी जो सेनाएं हैं, वे द्रुत गति से सीमा तक पहुंच जाएं और सीमा पर पहुंच कर अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। आपने चीन के संदर्भ में देखा ही होगा कि जब चीन ने डोकलाम में हिमाकत की, लेह लद्दाख में हिमाकत की, तो हमारी सेनाएं अगर face-off की स्थिति में बड़ी तेजी से वहां पहुंच कर retaliate कर सकीं, उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकीं, तो उसके पीछे यही कारण है कि मोदी सरकार के कालखंड में बड़ी तेजी से सीमावर्ती क्षेत्रों में जो infrastructure जरूरी है, उस infrastructure का विकास हुआ और यही प्रावधान इस बिल में किया गया है।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय ने ध्यान आकर्षित किया है। जो वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, उस वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जो विकास आवश्यक है, जो वहां के कल्याण के लिए बुनियादी बातें आवश्यक हैं, उसमें यह 1980 का विधेयक बाधा न बन पाये, इसलिए उसमें इस विधेयक के माध्यम से संशोधन किया गया है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में अगर वामपंथी उग्रवाद ने प्रवेश किया है, तो उसका मूल कारण उनका पिछड़ापन है। देश की जो सामान्य गति है, उस सामान्य गति के साथ उनका तालमेल नहीं हो पाया है। वे अभी भी आदिम युग में जी रहे हैं। हमारे साथी यहां पर उपस्थित हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा जनजातीय वर्ग को ...(समय की घंटी)... सर, क्या मेरा बोलने का समय समाप्त हो गया है?

श्री उपसभापति : आपका चार मिनट का समय समाप्त हो गया है।

श्री अजय प्रताप सिंह : जी, सर। उनके विकास की चिंता नहीं की है। क्या जनजातीय वर्ग का कोई हक नहीं है कि वे आगे आएं, शिक्षा प्राप्त करें! उनके यहाँ भी आजीविका के साधन विकसित हों, उनके यहाँ भी आर्थिक संसाधन विकसित हों - इसके लिए रोड की आवश्यकता है, इसके

लिए बिजली की आवश्यकता है, इसके लिए पानी की आवश्यकता है, इसके लिए स्वास्थ्य भवन की आवश्यकता है, इसके लिए स्कूल की आवश्यकता है और इन सभी विकास के लिए, बहुत कुछ करने की जो आवश्यकता है, उन सारी बातों के लिए इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। क्योंकि मेरा समय कम है, इसलिए मैंने दो बिंदुओं पर अपनी बात रखने का प्रयास किया है। ..(समय की घंटी).. उपसभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद माननीय अजय प्रताप सिंह जी। माननीया श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा जी, कृपया आप बोलिए।

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात): धन्यवाद उपसभापति जी, आज इस सदन में माननीय मंत्री भाई भूपेन्द्र यादव जी जो 'वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023' लेकर आए हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मैं इसका समर्थन करती हूँ।

उपसभापति जी, इस बिल के बारे में, इसकी गहराई के बारे में, इसकी सच्चाई के बारे में सदन में कई सदस्यों ने अपनी बात मज़बूती से रखी है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि अमृत काल में आने वाला यह बिल जिस अमृत समान दूरगामी परिवर्तन को लेकर आ रहा है - वह साफ़ बात है।

माननीय उपसभापति जी, सारे हिंदुस्तान में 12 करोड़ से अधिक हमारे आदिवासी भाई-बहन बरसों से दूरदराज जंगल, पहाड़ों में कठिनाइयों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी उनमें से कई लोगों को हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ जोड़ा नहीं गया है। आज उन्हें इस बिल के प्रावधान के जरिये माननीय मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ जोड़कर मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाएगा। पर्यावरण की रक्षा करते हुए पहाड़ी लोगों को शाला, महाशाला, कॉलेज, नल से जल, स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली और अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

माननीय उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं जिस एरिया से आती हूँ, आज भी वहाँ फोरेस्ट लैंड के कारण वर्षों से कई रास्ते ऐसे ही लटके हुए पड़े हैं। आज इस विधेयक के माध्यम से वे क्लियर होंगे और सारे ट्राइबल लोगों को रास्ते की सुविधा भी अवश्य प्राप्त होगी।

माननीय उपसभापति जी, आज ट्राइबल लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। इस बिल के प्रावधान के माध्यम से हमारे ट्राइबल भाई-बहनों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनका परिवार स्थिर होगा और वन-धन केंद्रों के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जाएगा। सामाजिक वनीकरण में बढ़ावा होगा, एग्रो फोरेस्ट्री में बढ़ावा होगा। इस बिल में प्राइवेट नर्सरी के प्रावधान की वजह से हमारे ट्राइबल भाई-बहनों की आमदनी बढ़ेगी।

माननीय उपसभापति जी, इस बिल के माध्यम से बायोडायवर्सिटी को भी बढ़ावा दिया गया है, इसलिए जो स्थानीय लोग हैं, जो जड़ी-बूटियों का काम करते हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा और उनकी आमदनी में भी इज़ाफ़ा होगा। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा को भी इस बिल के माध्यम से मज़बूत किया जाएगा। हमारे देश के कार्बन सिंक को 2.5 बिलियन टन से 3 बिलियन

तन तक बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है, वह भी इस बिल के प्रावधान से सिद्ध होगा। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियाँ कम होंगी।

माननीय उपसभापति जी, लुप्त हो रही वनस्पतियों और वन्य जीवों को अलग ढंग से रेस्क्यू करके अलग सैक्टर में चिह्नित किया जाएगा - ऐसा एक प्रावधान भी इस बिल में रखा गया है।

माननीय उपसभापति जी, इस बिल में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा को बुनियादी सुविधाओं और पर्याप्त कनेक्टिविटी प्रदान करने का भी जो प्रावधान किया गया है - वह बहुत प्रशंसनीय बात है। साथ ही साथ, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिला एवं क्षेत्र, जो जंगलों से समृद्ध हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी बुनियादी ढाँचे का निर्माण होगा और वहाँ रहने वाले हमारे आदिवासी भाई-बहन तथा स्थानीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ कर उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पहुँचा कर उनके जीवन में बदलाव और सुधार लाया जाएगा, यह स्पष्ट बात है।

माननीय उपसभापति जी, मेरा लास्ट प्वाइंट यह है कि मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे ईको-टूरिज़्म को बढ़ावा देकर ट्राइबल भाई-बहन और युवक-युवतियों को रोजगार दे सकते हैं। मैं गुजरात के साबरकांठा जिला से आती हूँ, जहाँ पोलो फॉरेस्ट है। हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री, माननीय मोदी जी ने ईको-टूरिज़्म को बढ़ावा देकर वहाँ स्थानीय तौर पर आदिवासी युवक-युवतियों को गाइड करके उनके लिए रोजगार का साधन बनाया। ...**(समय की घंटी)**... वह मिनी कश्मीर बना है। इसी तरह से समग्र हिन्दुस्तान में जहाँ-जहाँ ऐसे प्वाइंट्स हैं, वहाँ इसको बढ़ावा देने से आदिवासी युवक-युवतियों को रोजगार मिलेगा। अंत में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए इतना ही कहूँगी कि 'प्रकृति: रक्षति रक्षित'।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीया रमिलाबेन जी। अब माननीय मंत्री, भूपेन्द्र यादव जी का जवाब।

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभापति महोदय, सबसे अंतिम वक्ता, रमिलाबेन जी ने अपनी स्पीच की समाप्ति करते हुए कहा कि 'प्रकृति: रक्षति रक्षित', अर्थात् "those who protect the nature, nature protects them". जब इस बिल के ऊपर चर्चा की शुरुआत हुई, तब हमारे पहले वक्ता, प्रशांत नन्दा जी ने फॉरेस्ट को ईश्वर की तरह कहा। माननीय उपसभापति महोदय, इस देश का जो विज़डम है, वह उपनिषद् में आता है। ईशोपनिषद् में कहा भी गया है कि

*"ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥"*

अर्थात् इस संसार में बनी हुई सभी चीजें उसके प्रकाश की हैं, वे भिन्न नहीं हैं, वे एक हैं, लेकिन हम उनका उपभोग किस तरीके से करते हैं, उनका ओनर बन कर नहीं, बल्कि उनके साथ रहने के कंसेप्ट को लेकर हम उपभोग करते हैं, तब हम आगे चलते हैं। दुनिया भर में पर्यावरण की जितनी भी वार्ताएँ चलती हैं, उनमें हम पर्यावरण का ट्रिपल क्राइसिस देखते हैं। पहला, दुनिया का

तापमान बढ़ रहा है; दूसरा, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और तीसरा, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। इन तीनों के पीछे जो सबसे बड़ी सोच है, वह वैस्ट का एंथ्रोपोसेंट्रिक मॉडल है, जिसमें उनको लगता है कि दुनिया केवल और केवल मनुष्य के लिए है। बाद में वैस्ट में मूवमेंट चला, जिसको बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट कहा गया कि हमें केवल मनुष्यों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट करना चाहिए। बाद में 1960 में नार्वे के अर्ने नेस वगैरह ने एक नई फिलॉसफी दी, जिसको उन्होंने डीप इकोलॉजिकल कंसेप्ट कहा। वैस्ट ने जिसको 1960 में डीप इकोलॉजिकल कंसेप्ट कहा, वह कंसेप्ट भारत में सदियों से चल रहा था, जो हमारे उपनिषद् के विज्जम में है और हमारे मंत्रालय का मोटो है - 'प्रकृति: रक्षति रक्षित'। यही कारण है कि दुनिया भर में जब पर्यावरण की वार्ता चली और ग्लासगो में भारत ने 'पंचामृत' की घोषणा की, तब माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरी दुनिया को एक मिशन दिया - 'सस्टेनेबल कंजंप्शन', यानी non-mindless utilization of resources. उन्होंने माइंडफुल कंजंप्शन की जो बात कही, वही 'मिशन लाइफ' है - environment-friendly lifestyle. माननीय उपसभापति जी, जब हम एनवायरन्मेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो दो तरह की विचारधाराएँ आती हैं। एक है कैटेस्ट्रॉफिक और दूसरा है टेक्नो-ऑप्टिमिस्ट। हमें इन दोनों के बीच में से रास्ता निकालना होगा। हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे ट्राइबल भाई हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उन तक जीवन की बुनियादी सुविधाओं को जो नहीं पहुँचाया गया है, जो हमारा नैतिक दायित्व है, हमें उन्हें पहुँचाने की संकल्पना करनी है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जो फॉरेस्ट है, उन पर जो दबाव बढ़ रहा है, उस दबाव के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कई विषयों में एक नया कंसेप्शन खड़ा कर दिया। माननीय उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहूँगा that prior to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court, dated the 12th December, 1996 in the matter of T.N. Godavarman, the provisions of the said Act were applied to notified forest lands and not to revenue forest areas, and non-forestry use in the revenue forest areas was allowed through permissions granted by the Government and various authorities. Subsequent to the said Judgment, the provisions of the Act were applied in the recorded forest areas including such recorded forests which had already been put to various type of non-forestry use, thereby restraining the authorities from undertaking any change in the land use and allowing any applicability of the Act in the plantations raised in private and Government non-forest lands. This situation resulted in misinterpretation of the provisions of the Act with respect to their applicability especially in recorded forest lands, private forest lands, plantations, etc. Therefore, it is considered necessary to prescribe the extent of applicability and non-applicability of the Act in various types of lands. इसलिए नन्दा जी, हमने केवल forest clearance के लिए नहीं कहा था कि किसको protect किया जाएगा और किसको forestry activity माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम private forest में प्लांटेशन को एनकरेज करना चाहते हैं। मान लीजिए, आपके घर पर कोई पेड़ लगा हुआ है और आपको पता लगे कि जंगल वाले उसको काटने ही नहीं

देंगे, तब तो आप पेड़ क्यों लगाएंगे? जब आपको लगेगा कि यह पेड़ आपकी अपनी ओनरशिप है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, तभी आप पेड़ लगाएंगे, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस देश में सब लोगों को अपने-अपने क्षेत्र में पेड़ लगाने का, बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन forest land पर जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, वे गवर्नमेंट की ओनरशिप में ही आएंगे।

The Forest (Conservation) Act में, देश के किसी भी प्रकार के नेशनल पार्क या किसी भी प्रकार के फॉरेस्ट रिज़र्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में टाइगर कंज़र्वेशन का जो प्रोग्राम हुआ था, हमें यह बताते हुए गर्व है कि अब हमारे देश में जो टाइगर रिज़र्व हैं, जो NTCA के अंतर्गत आते हैं, उनकी संख्या बढ़ कर अब 53 हो गई है। हमारे जो Elephant Reserves हैं, उनकी संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है। देश का 75,000 स्क्वेयर किलो मीटर एरिया हमने केवल उनके लिए ही रिज़र्व किया हुआ है। इतना ही नहीं, हमारे फॉरेस्ट्स के जितने भी प्रकार हैं, चाहे हमारा फॉरेस्ट हिमालय के क्षेत्र में आता हो अथवा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देश के बीचों-बीच आता हो, जितने भी हमारे फॉरेस्ट्स हैं, उनके साथ-साथ हमने 3,600 किलो मीटर का डेज़र्ट फॉरेस्ट भी कंज़र्व किया है, क्योंकि हम हर प्रकार की बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को सेव और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।

महोदय, कई बार यह कहा जाता है कि हम देश की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे देश का जो मेन फॉरेस्ट है, वह पूरा का पूरा तो लैंड लॉक एरिया में आता है, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो। इन क्षेत्रों में फॉरेस्ट पूरे तरीके से प्रोटेक्ट हो ही रहा है, लेकिन इंटिरियर सेक्टर में रहने वाले हमारे जो ट्राइबल है या लेफ्ट विंग एक्ट्रीमिस्ट्स हैं, उनको हम कितनी जगह दे रहे हैं? उनको हम केवल 5 हेक्टेयर जगह दे रहे हैं! ऐसे में उनके गांव में, जहां उनका हैबिटेट है, जहां सड़क जा रही है, जहां रेलवे लाइन जा रही है, क्या हम वहां पर 0.10 हेक्टेयर एरिया भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि उनके बच्चे स्कूल चले जाएं या उनके घर तक पानी की पाइप चली जाए? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि उस 5 हेक्टेयर जमीन में उस गांव की पानी की टंकी बन जाए अथवा डिस्पेंसरी बन जाए? हम तो उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प है - 'सबका साथ-सबका विकास', इसका अर्थ यही है कि इंटिरियर फॉरेस्ट्स में बसे हुए ट्राइबल हैबिटेट का भी उतना ही विकास हो, जितना दिल्ली का विकास हो, यही 'सबका साथ-सबका विकास' है।

5.00 P.M.

दूसरा विषय माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में कहा, जिस पर मैंने कहा। एस. निरंजन रेड्डी ने अपने विषय में यह कहा कि हम कोई फ्लड गेट तो नहीं खोल रहे हैं? हम उनको बताना चाहते हैं कि हम किसी प्रकार का कोई फ्लड गेट ओपन नहीं कर रहे हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब हमने फॉरेस्ट कंज़र्वेशन ऐक्ट बनाया तो उसे इतनी जल्दबाजी में बनाया कि उसमें हमने फॉरेस्ट की definition भी नहीं दी। इसलिए दिनांक 12.12.1996 की जो जजमेंट आई, उसमें उन्होंने कह दिया कि dictionary meaning of a forest

is a forest. उससे पहले, किसी रेवेन्यु एरिया में कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बन गई थी। मान लीजिए, ओडिशा में लड़कियों का कोई स्कूल बन गया था। पहले वह रेवेन्यु रिकॉर्ड था और अगर इसकी dictionary meaning 'forest' है, तो वह forest है। क्या आज हम बच्चों के स्कूल में बाथरूम भी नहीं बना सकते? हम इस प्रकार की संकल्पनाओं में तो नहीं रह सकते! इसलिए यह clarity लानी जरूरी है कि किसको हम forest में मानेंगे, किसको हम non-forest में मानेंगे, किस activity को हम forestry activity नहीं मानेंगे। इसके clarification का काम होना जरूरी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, उनका जो उद्देश्य है - फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना, फॉरेस्ट का संवर्धन करना, फॉरेस्ट को आगे बढ़ाना, उसको करने की दृष्टि से हम लोग इस बिल में इन विषयों को लेकर आए हैं।

हमारे कामाख्या प्रसाद तासा जी ने विकास और संरक्षण के बारे में अपनी बातें रखीं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में टाइगर की संख्या बढ़ी है। हम lion के कंजर्वेशन को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट्स, हमारे ऑफिसर्स सारी परिस्थितियों में बहुत धैर्य के साथ काम कर रहे हैं। एक International Translocation of Cheetah है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, धीरज के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि आपकी शुभकामनाएँ रहें ताकि वे अपनी मेहनत में सफल हो सकें, क्योंकि दुनिया में हम लोग ऐसा पहला प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ, हम लोग प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लेकर भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में जो seven big cats कहलाती हैं, उनमें से पाँच भारत में मिलती हैं, जिनमें snow leopard, leopard, lion, tiger हैं और अब cheetah है। ये पाँच भारत में हैं और दो, jaguar and puma, Latin America के देशों में हैं। ये दुनिया के 97 देशों में पाई जाती हैं, लेकिन इनका हैबिटेट वहीं पर रहता है जो purest area होता है, जहाँ prey से लेकर उनका सारा habitat सुरक्षित होता है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने International Big Cat Alliance बनाया है, जो दुनिया में biodiversity and forest की protection करने का अपने आप में एक यूनीक अलायंस है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आज 97 देशों में से 17 से ज्यादा देश इसके तुरंत सदस्य बन गए हैं, 12 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य बन गए हैं, दुनिया के और भी देश इसके सदस्य बन रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी का vision है कि हमारा जो सारा forest area है, उसका जो ecosystem है, उसका जो preservation है, उसको किस प्रकार से conserve किया जाए। उसके लिए आपस में नॉलेज शेयरिंग की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, प्रोटेक्शन के मेज़र्स अपनाए जाएँ। इन सारे विषयों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम लेकर आए। इस वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम का यही उद्देश्य है कि देश के वनों का केवल संरक्षण ही न हो, बल्कि उनका qualitative स्वरूप भी बढ़े, इसलिए हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हर दो साल में सर्वे करते हैं। यह सर्वे dense forest, medium forest और normal forest की biodiversity का किया जाता है। हमारे तंबी दुरै जी इसके नाम के संबंध में कह रहे थे। वैसे तो इसका नाम वन संरक्षण अधिनियम है, लेकिन तंबी दुरै जी, you can say 'vana padhukaapu sattam. We

have no problem. हम तो चाहते हैं कि यह ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं में आए, यह हमारी सभी भारतीय भाषाओं में आए।

DR. M. THAMBIDURAI: Let it be translated. That is my request.

श्री भूपेन्द्र यादव : यह सभी भारतीय भाषाओं में आए। हम तो यह चाहते हैं कि देश को कोलोनियल नामों से मुक्ति मिले। हम ज्यादा से ज्यादा इन शब्दों का उपयोग करें। हमारी तो यह classic language है और हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं अभी नई पार्लियामेंट में *Sengol* की स्थापना की है। हमें यह पता है कि हम देश की उन परम्पराओं और मूल्यों को पूरे तरीके से स्थापित करते हैं और इसलिए मैं तंबी दुरै जी की भावना का पूरे तरीके से सम्मान करता हूँ। I fully give respect to encourage more and more all the classical languages like Tamil.

Apart from that, यहाँ से हमारे सिक्किम के एमपी, हिशे लाचुंगपा चले गए। उन्होंने कुछ विषय उठाए थे। उन्होंने कहा कि Section 2(1) of the Forest Act gives enormous power to the Union Government to designate an area as a reserve forest. मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में किसी भी फॉरेस्ट को दर्ज करने का जो कार्य है, वह अभी भी राज्य सरकारों का है। इसको मैं पूरे तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ कि वन भूमि को रिकॉर्ड करने का काम केवल और केवल राज्य सरकार का है, वह केन्द्र सरकार का किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। उसके अलावा, यह कहा गया कि किस प्रकार की भूमियों पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट लागू होगा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, उनको हमने पूरे तरीके से सम्मान देते हुए समाहित करने का प्रयास किया है। सर, 'The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023' और फॉरेस्ट राइट एक्ट, दोनों अलग-अलग हैं, इसलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में हमारे जनजातीय समाज और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो राइट्स हैं, उन्हें इसमें पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। मैं सदन के सामने इसे पुनः दोहराना चाहता हूँ। इसमें किसी को कहीं भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उनके राइट्स पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। इसके साथ-ही-साथ बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो विकास होगा, उससे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास होगा।

सर, विजयसाई रेड्डी जी ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की है, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमिटी की बात की है। इसके साथ ही, वन संरक्षण समिति, जो जेसीएम का मॉडल है, यह देश के कई भागों में चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। जो timber Minor Forest Produce हैं, उनके लिए हमारे जनजाति समाज के लोग जाते हैं और उन्हें हमारा वन विभाग पूरा सहयोग देता है, फिर चाहे मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता हो या चाहे बी कलेक्शन का हो। राज्य सरकारें भी इसे लेकर काम कर रही हैं। हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना चाहते हैं। वे वन उपज के साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी अपने जंगल को उगाने का काम कर सकें, उसका लाभ ले सकें, इसके लिए हम agro forestry को बढ़ाने को लेकर clarification चाहते हैं, ताकि लोकल लोगों को अपना गाँव, जंगल जमीन न छोड़नी पड़े। हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप ecological area में balance की बात कर सकते हैं। तंबी दुरै जी ने अपने विषय में यह भी कहा कि कई जगहों पर man-animal

conflict है। हमने इसे लेकर पिछली फरवरी में भी गाइडलाइन निकाली है। हमने गाइडलाइन निकालकर समय-समय पर निर्देश दिए हैं और हम चाहते हैं कि यह conflict कम-से-कम हो। इसमें infrastructure का भी विषय है। जो हमारा Pench elevated corridor है, वह दुनिया में अपने आप में उदाहरण है। भारत आज अपने infrastructure को इस प्रकार से बना रहा है कि फोरेस्ट को क्रॉस करते हुए wildlife को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे WII ने देश की रेलवे लाइन पर विशेष रूप से ओडिशा में 100 स्थान चिन्हित किए, ताकि वहाँ पर हम उनके movement को passage दे सकें। अभी कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री, गडकरी जी ने घोषणा की थी कि हम राजस्थान के Sariska में एक elevated corridor इसी प्रकार से लेकर जा रहे हैं कि वह उनके habitat को डिस्टर्ब न करे। Future के infrastructure पर भारत इस प्रकार से काम कर रहा है कि हमारा forest भी disturb न हो और connectivity and connection भी बहुत तेजी से बढ़ें।

सर, जी. के. वासन साहब ने तीन इश्यूज रोज़ किए। फर्स्ट इश्यू में उन्होंने कहा, how does change in name of the Bill give importance to conservation? मैं कहना चाहूँगा कि हमने इस बिल के scope को बढ़ाने का काम किया है, and that is according to the vision of the Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, where India wants to achieve its NDC through more and more plantation. The second issue raised by you is about zoo and safari and how will extension benefit the life of local people. I wanted to say that the intention in this Bill to declare zoo and ecotourism as non-forestry activity is to create an atmosphere, so that income of local people is generated and they participate more and more in ecotourism activities. They have traditional knowledge about wild animals, etc. And, if zoo and safari is near their village, definitely, it will be helpful to them. हमारे किरेन रिजिजु जी यहाँ बैठे हैं। हमारा Pakke का फोरेस्ट सबसे सुंदर है। अगर आप कभी मॉर्निंग में Pakke जाएंगे, तो पाएंगे कि वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं। यह अच्छे-अच्छे लोगों को नहीं पता है, लेकिन हमारे लोकल विलेजर्स हरेक बर्ड को जानते हैं। हमारा तो स्टेट बर्ड भी है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजिजु) : एक बार सभी एमपीज़ को टूर पर लेकर चलते हैं।

श्री भूपेन्द्र यादव : जी, सबको लेकर जाना अच्छा रहेगा।

महोदय, यह जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इससे ईकोटूरिज्म बढ़ सकता है। वासन साहब ने अपने तीसरे विषय में लेफ्ट विंग एक्ट्रीमिज्म एरिया के बारे में कहा है। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार को जो पावर दी है, वह इसीलिए दी है, ताकि भारत सरकार समय-समय पर गाइडलाइंस इश्यू कर सके। जब गाइडलाइंस इश्यू करेंगे, तो उसमें compensatory afforestation भी शामिल होगा और इस बिल के अंतर्गत इसका समुचित समावेश किया गया है। जहाँ तक CAMPA के पैसे का विषय है, इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए हम इसे बनाने और बढ़ाने में लगे हुए हैं। माननीय उपसभापति

जी, इस चर्चा में अजय प्रताप सिंह जी, श्रीमती रमिलाबेन और दिनेशचंद्र अनावाडीया जी ने भी भाग लिया और उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। इन सभी सदस्यों की मंशा है कि इस बिल के माध्यम से हमारे देश का जो फॉरेस्ट एरिया है, उसके कंज़र्वेशन और प्रिज़र्वेशन के साथ-साथ देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा, हम एक संतुलित विकास के साथ चलेंगे, जो माननीय प्रधान मंत्री जी के 'मिशन लाइफ', एनवॉयरन्मेंट-फ्रेडली लाइफ स्टाइल के अनुरूप है और उसके साथ ही साथ यह देश के सभी क्षेत्रों में 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' की भावना के अनुरूप है।

इतना कहते हुए मैं पुनः इस सदन से आग्रह करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाए। ...**(व्यवधान)**... नन्दा जी, जहाँ तक इस विषय की बात है, तो अभी जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, वह यह बताती है कि देश का फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। मैं आपको राज्यों के हिसाब से फॉरेस्ट का वह एरिया भेज दूँगा।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। The question is:

"That the Bill further to amend the Forest (Conservation) Act, 1980, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

In Clause 2, there are four Amendments; Amendments (Nos. 2 and 3) by Shri Tiruchi Siva; and Amendments (Nos. 15 and 16) by Shri Binoy Viswam. Both the Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there are three Amendments; Amendment (No. 4) by Shri Tiruchi Siva; Amendment (No. 7) by Dr. John Brittas; and Amendment (No. 17) by Shri Binoy Viswam. All three Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 4, there are nine Amendments; Amendment (No. 1) by Shri A.D. Singh; Amendment (No. 5) by Shri Tiruchi Siva; Amendments

(Nos. 9 to 11) by Dr. John Brittas; and Amendments (Nos. 18 to 21) by Shri Binoy Viswam. The Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there are six Amendments; Amendment (No. 6) by Shri Tiruchi Siva; Amendments (Nos. 12 to 14) by Dr. John Brittas; and Amendments (Nos. 22 and 23) by Shri Binoy Viswam. All the three Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there are two Amendments; Amendment (No. 8) by Dr. John Brittas; and Amendment (No. 24) by Shri Binoy Viswam. Both the Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Minister to move that the Bill be passed.

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :
"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members, now, we move to the next important Bill, the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. Hon'ble Minister, Som Parkashji to move the motion for consideration of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I move:

“That the Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business, as passed by Lok Sabha be taken into consideration.

श्री उपसभापति : माननीय पीयूष गोयल जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : उपसभापति महोदय, मुझे लगा कि आपके माध्यम से हमारे माननीय सदस्यों को इस बिल का थोड़ा परिप्रेक्ष्य मिले और मैं कुछ बातें यहां रख पाऊं, जिससे आगे की चर्चा भी सार्थक होगी। फिर अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर किसी माननीय सदस्य ने कोई विषय उठाया तो उतना ही जवाब देने का प्रयास करूंगा।

माननीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 से प्रधान सेवक के रूप में केन्द्र में सत्ता संभाली है, तब से ही वे एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस देश ने वर्षों तक, दशकों तक बहुत पीड़ा उठाई है, देशवासियों ने और देश के छोटे-बड़े उद्योग या व्यापार जगत के लोगों ने वह पीड़ा उठाई है, चाहे वह ठेले वाला हो या सामान्य हॉकर हो या सड़क पर सेव-पूरी, पाव-भाजी बेचने वाला हो या कोई छोटा दुकानदार हो या कोई छोटी लेथ मशीन चलाने वाला हो या छोटा उद्योग चलाने वाला हो। साथ ही सामान्य नागरिक ने भी वह पीड़ा उठाई है। आप सबको याद होगा कि ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं के ऊपर, जिनमें गलती से भी कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन कर दे, तो उसके ऊपर बहुत तकलीफें आती थीं। उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता था, वहां पेश होना पड़ता था, कोर्ट में अपनी बातें वकील के माध्यम से रखनी पड़ती थीं और हो सकता हो कि अंततोगत्वा फिर कोई फाइन लगता होगा, लेकिन उस फाइन तक पहुंचने में इतनी तकलीफें उठानी पड़ती थीं कि लोग परेशान हो गए थे। ऐसे ही अफसरशाही चलती थी और छोटी-मोटी गलतियों के लिए व्यक्ति को परेशान किया जाता था, जेल का डर दिखाया जाता था, उस डर के नाते उनके साथ जो व्यवहार होता था, मुझे लगता है कि उससे हम सभी suffer कर चुके हैं। इस लम्बे सफर में क्या-क्या होता था, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 से इस बात को प्राथमिकता दी कि सरकार भारत की जनता के ऊपर विश्वास रखेगी और विश्वास के साथ ही देश का कारोबार चलेगा, सरकार का कारोबार चलेगा। जब जनता के ऊपर सरकार का विश्वास होगा, तभी जनता का विश्वास भी सरकार के ऊपर होगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने गत 9 वर्षों में सभी मंत्रालयों को कहा कि एक-एक विषय की गहराई में जाएं, एक-एक कानून को जड़ से समझने की कोशिश करें कि उसका क्या प्रभाव होता है, क्या फायदा-नुकसान होता है, किस प्रकार से लोग पीड़ा में रहते हैं। हां, अवश्य कई सारे ऐसे कानून हैं, जो आवश्यक भी हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जेल की सलाखों के पीछे भी भेजना पड़ सकता है। अगर किसी गम्भीर कानून का उल्लंघन हो तो अवश्य जेल का प्रावधान भी रहेगा। लेकिन जो छोटी-मोटी गलती होती है या कोई पहली बार गलती करता है तो उसको एक मौका दिया जाए, सुधरने का एक मौका दिया जाए कि वह आगे

गलती न करे। पेनल्टी के रूप में, फाइन के रूप में दण्ड हो, पर एक सरल व्यवस्था हो। इसको मद्देनज़र रखते हुए गत 9 वर्ष में हम सबने देखा कि लगभग 1,500 कानून को रिपील किया गया। आप कल्पना कीजिए कि 1,500 laws को पूरी तरह से रिपील किया गया। कहते हैं कि ignorance of the law is no excuse, पर अगर laws इतने ज्यादा होंगे तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा वकील भी सब laws की जानकारी नहीं रख सकता है। ऐसी परिस्थिति में जो पुराने laws थे, कई तो गुलामी के समय के और ब्रिटिश के समय के laws थे, उन सबको रिपील किया गया है। इसके साथ कंप्लायंस बर्डन है, जो सामान्य व्यक्ति को, छोटे दुकानदारों को, छोटे उद्योग चलाने वाले को, सूक्ष्म और लघु उद्योग चलाने वाले उद्योगकों को कानून के दायरे में जो प्रोसेस, प्रोसीजर और कंप्लायंस करने पड़ते थे, उसको सरल करना या कई केसेज़ में उसको निपटा ही देना-अगर हम इस काम को देखें, तो 40,000 कंप्लायंस बर्डन का सरलीकरण किया गया है या पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसी कड़ी में एक तीसरी कड़ी जोड़ी, जो ऐसे कानून हैं, प्रावधान हैं, जिनमें छोटी-मोटी गलतियों को फाइन लगाकर सरल प्रक्रिया से छोड़ सकते हैं या एक, दो या तीन सुधार के मौके दे सकते हैं, तो उसमें भी हम विचार करें। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि लगभग 3,600 ऐसे प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज़ किया गया, उसके ऊपर जेल की एक तलवार लटकी रहती थी, उसको हटाया गया। ऐसे 3,600 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज़ करने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया। एक प्रकार से इन सब कामों से एक विश्वास जनता के बीच में पैदा हुआ है कि सरकार हमारी है, यह सरकार हमारे ऊपर विश्वास करती है, वास्तव में हमारे चुने हुए जन प्रतिनिधि हमारी सेवा करने के लिए सत्ता में आए हैं, हमारी चिंता करने के लिए सत्ता का काम करते हैं। यह प्रोसेस लगातार चलता जा रहा है। इसे हम सिर्फ सरकार के दफ्तर में बैठकर नहीं बनाते हैं। इसकी चर्चा होती है, व्यापक लोगों के साथ, स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन होती है, राज्यों के साथ कंसल्टेशन होती है। अलग-अलग विषय से संबंधित लोगों के साथ, चाहे अधिकारी हों, व्यापारी हों, जनता हो, उनसे फीडबैक लेकर सही मायने में लोकतंत्र की भावना को सामने रखते हुए कानूनों को डिक्रिमिनलाइज़ करने का प्रोसेस किया गया। वास्तव में प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शिता भी यह दर्शाती है और जो उनका एक विकसित भारत बनाने का उद्देश्य है, वह भी इसमें झलकता है। अगर हमें एक विकसित देश बनाना है, जैसा अभी बताया गया कि सबका साथ चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, सबका प्रयास चाहिए और उसके लिए सबका विश्वास भी चाहिए, ये चारों तभी हो पाएंगे, जब यह दो तरफा हो, ताली दो हाथों से बजे। इसी में 15 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री जी ने आह्वान दिया कि देश के 140 करोड़ देशवासी कर्तव्य भावना से अपने-अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जब व्यक्ति कर्तव्य भावना से निर्वहन करता है, तो स्वाभाविक रूप से वह कानून तोड़ना नहीं चाहता है। वह कानून के दायरे में अपना काम करना चाहता है और कानून के दायरे में काम करते हुए अगर छोटी-मोटी गलती हो, तो हम सब लॉ मेकर्स का कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि हम भी जनता पर विश्वास रखें। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कितने बढ़िया नाम का हमें सुझाव दिया! कानून बनते रहे, कानून में अमेंडमेंट्स होते रहे, लेकिन वह एक साधारण सा नाम सालों साल चलता रहता था, टिपिकल नेम, जैसे ई-कामर्स है, तो ई-कामर्स लॉ कह दिया। ऐसे अलग-अलग कानून चलते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कानून के नाम में दर्शाना चाहिए कि किस

भावना से, किस विश्वास के साथ जनता के समक्ष गए हैं, तो उन्होंने 'जन विश्वास' नाम दिया। यह कितना अच्छा मैसेज लेकर जा रहा है। हालांकि जो कमेटी बैठी थी, उस कमेटी ने इस बिल के ऊपर बेहतरीन काम किया है, किंतु यह दुर्भाग्य की बात है, कई बार इसमें भी राजनीतिकरण होता है। हमने कमेटी को दिसंबर, 2022 में यह बिल दिया था और यह कहा कि अगले सेशन के पहले हफ्ते में रिपोर्ट करें। मैं चौधरी साहब को बधाई देना चाहूंगा, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे और सभी माननीय सदस्यों को भी बधाई देता हूं। इस ज्वाइंट कमेटी के साथ जुड़े हुए सभी माननीय सदस्यों ने बहुत गहराई के साथ इस बिल को देखा और हमें बहुत बढ़िया और बेहतरीन सुझाव दिए। हमने लगभग सभी सुझाव एक्सेप्ट किए। उसमें भी कैसे छोटी-मोटी राजनीति की जाती है, यह देखकर बड़ा दुख होता है। एक माननीय सदस्य जो बहुत प्रमुख विपक्षी दल से आते हैं, उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन, डिस्सेंट यह रोज़ किया "Long title of the Bill contains two Hindi words 'Jan Vishwas' which is not as per constitutional mandate." उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश के 140 करोड़ लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या उनको हिन्दी से कोई परहेज है? क्या हिन्दी शब्द होने में उनको कोई हीनता लगती है? क्या हिन्दी शब्द से देश के कानून में कोई कमी हो गई? क्या अंग्रेजी में जो कानून बने, उनको केवल वही कानून पसंद है? इसका जवाब कभी न कभी देश के 140 करोड़ लोग पूछेंगे। कानून का अनुवाद तो हरेक भाषा में होता ही है, वह अंग्रेजी में होगा, तमिल में भी होगा, तेलुगु में भी होगा। सारे कानून सभी भाषाओं में उपलब्ध रहते ही हैं। अगर ऑब्जेक्शन भी किया, तो हिन्दी शब्द के प्रयोग में किया गया। बिल में हिन्दी शब्द जन विश्वास प्रयोग होने के ऊपर ऑब्जेक्शन रोज़ करना, मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से बहुत ही गुलामी वाली मानसिकता की सोच का दर्शन विपक्ष के माननीय सदस्य ने दिया है। तीन माननीय सदस्यों ने छोटे-मोटे डिस्सेंट नोट्स दिए हैं। तीन अलग-अलग पार्टी के सदस्य थे, लेकिन जब मैं उनके डिस्सेंट के विषय देखता हूं, तो ध्यान में आता है कि वे तो आज भी चाहते हैं कि आप जनता पर विश्वास मत करो। तीनों पार्टीज़, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और डीएमके के तीन डिस्सेंट नोट्स हैं। अगर आज वे हाउस में रहते और अपने डिस्सेंट को उजागर करते, तो मैं और विस्तार से जवाब भी देता। उपसभापति जी, मैं आपका, आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का और देश का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूंगा कि इनके डिस्सेंट से साफ जाहिर होता है कि ये न तो देश की जनता पर विश्वास करते हैं, न देश के छोटे कारोबारियों पर विश्वास करते हैं और न छोटे, सूक्ष्म और लघु उद्योग चलाने वालों पर विश्वास करते हैं। इनके मन में तो हीन भावना है कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करे या उद्योग चलाए, तो वह जरूर चोर होगा। यह भावना इनके इस डिस्सेंट में झलकती है। क्या देश ऐसे चलेगा? क्या यह देश ऐसे विकसित देश बनेगा? क्या नौकरियां ऐसे उत्पन्न होंगी? क्या हम सभी को चोर करार करके कानून बनाएं? माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी जनता पर विश्वास करते हैं। प्रधान मंत्री मोदी जी और हमारी जो पूरी व्यवस्था है, वह छोटे कारोबारों पर विश्वास करती है, छोटे दुकानदारों पर विश्वास करती है और उन्हें विश्वास है कि देश के 140 करोड़ लोग मूलतः ईमानदार हैं। कभी गलती हो जाए, यह बात समझ में आती है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने गलत काम किए भी हों, कुछ लोगों ने सोच-समझकर किए हों, लेकिन उन छोटे-मोटे एक miniscule minority की वजह से हम देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर अविश्वास

नहीं कर सकते हैं। हम कुछ लोगों की गलतियों के लिए 140 करोड़ लोगों के ऊपर समस्या और कठिनाइयां नहीं थोप सकते हैं। इस भावना को सामने रखते हुए, यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ एक बिल में सभी मंत्रालय, जो whole of the Government की, प्रधान मंत्री जी की अप्रोच है, सरकार के अलग-अलग 19 डिपार्टमेंट्स एक साथ एक कानून में जुड़कर यहां पर आए हैं। पार्लियामेंट के 42 ऐसे अलग-अलग कानून हैं, जिनमें एक साथ संशोधन लाए गए हैं। इसमें 183 प्रोविजन्स हैं, हम तो 182 प्रोविजन्स लाये थे, हमें कमेटी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया, जिसे स्वीकार करके अब 183 प्रावधानों पर de-criminalisation करने का काम इस एक ही बिल के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हुआ है। उन्होंने जिस प्रकार से हमें सुझाव दिये, गाइड किया, उससे हमारा सोचने का ढंग बदला, मानसिकता बदली। ऐसा करने से सरकार और देश दोनों की मानसिकता बदली है कि देश विश्वास पर चलेगा, देश एक-दूसरे पर विश्वास करेगा। जनता सरकार पर विश्वास करती है, जनता ने जो ऐतिहासिक विश्वास किया है, वह लगातार 2014 और 2019 में किया है और अब तो जो स्थितियां दिख रही हैं, विपक्ष की जो कमजोरियां और विफलताएं नजर आती हैं, उससे तो लगता है कि उन्होंने मन बना लिया है कि फिर एक बार देश की जनता तीसरी बार प्रधान मंत्री जी को पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर लाने वाली है। उन्होंने तो मन बना लिया है कि अब तो हमें शायद हाउस के बाहर ही बैठना है और वे चर्चा से भी भागते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में 183 अलग-अलग प्रावधानों का सरलीकरण, de-criminalise और जो जेल का फंदा सामान्य आदमी के ऊपर पूरे समय लगा रहता था, उसको निकालने का काम एक बिल के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें कई सारे प्रावधान हैं, उनका मैं डिटेल् में जिक्र नहीं करूंगा और उनके बारे में मैं माननीय सदस्यों के विचारों को सुनूंगा। जो छोटी चीजें हैं, जैसे traffic का छोटा सा violation होता है, उसके लिए भी पहले ड्राइविंग लाइसेंस दो, फिर कोर्ट जाओ, कोर्ट में कभी तारीख लग जाये तो धक्के खाओ, वकील रखो और अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस लो। कोर्ट भी क्या करता है, एक फाइन लगाता है। उसके बदले वहीं पर हम उसे compoundable offence कर दें और वहीं पर वह पेनल्टी लग जाये, तो कितना सरल हो जाता है। इसी प्रकार से कोई गाय को लेकर, cattle को लेकर चारा खिलाने के लिए लेकर जाता है, उसके ऊपर भी 6 महीने की सजा है। सोचिए, छोटे किसान को 6 महीने की सजा होती है, सिर्फ उसकी गाय चरने के लिए इधर-उधर चली गई, तो उसमें भी 6 महीने की सजा होती है। ठीक है गलती हो गई, गलती तो गाय ने की, अब उस गाय की गलती के लिए हमारे किसान भाई-बहन को जेल के अंदर डालोगे! उसके बारे में हमने कहा है कि इसके बजाय 500 रुपये की एक पेनल्टी लग जाये, क्यों किसान को कोर्ट में जाना पड़े, क्यों कोर्ट के धक्के खाने पड़ें, क्यों वकील की फीस पे करनी पड़े? अब अगर कोई वकील माननीय सदस्य हो तो मुझे क्षमा करना। मैं आपके काम को थोड़ा कम कर रहा हूं। लेकिन एक नागरिक के नाते, एक कानून बनाने वाले माननीय सदस्य के नाते...(व्यवधान)... आप नहीं मानोगे। हां, मैंने Chartered Accountancy भी पढ़ी है और law भी पढ़ा है, मैं तो दोनों तरफ से मार खा रहा हूं। परंतु देश की जनता सर्वोपरि है, देश की जनता की चिंता करना हम सब का धर्म है, हम सब का दायित्व है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश की दिशा और देश की दशा को बदलने का बीड़ा उठाया है। देश को एक विकसित देश बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए यदि हमें कठोर

से कठोर काम भी करना पड़े, तो हम करेंगे, हमारे देश हित और जन हित सिर्फ यही दो धर्म रहेंगे। हमारी सरकार ने उस धर्म का पालन करते हुए इस जन विश्वास बिल को इस सदन के समक्ष पेश किया है, धन्यवाद।

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Motion moved. There is one Amendment by Dr. V. Sivadasan for reference of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023, as passed by the Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha. He is not present. Amendment not moved. The motion for consideration of the Bill is now open for discussion. I now call upon the Members, whose names have been received, for participation in the discussion. Shri Sujeet Kumar.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I am so glad that I got to speak on this Bill on behalf of my Party, Biju Janata Dal, because (a) I was part of the Joint Parliamentary Committee to which this Bill was referred to and (b) I firmly believe that this is one of the finest examples of sound public policy. I completely endorse Hon'ble Minister Piyush Goyal ji's optimism that he shared and the objectives of the Bill which he so eloquently outlined with impressive facts and examples. He has already given some context. I would like to supplement and add a few more things to the context which will tell why this is such a forward-looking Bill.

Sir, this Bill has three key objectives. First is, ease of doing business. Second is, ease of living for the common citizen of this country. And the third is, to reduce the burden on our courts. Every year, the World Bank brings out a report called 'Ease of Doing Business Report'. In the year 2013, India was ranked very low at 132 out of 185 countries in the 'Ease of Doing Business Report' which improved to 63 in the year 2020 for which the report is available. It was a very impressive jump from 132 in the year 2013 to 63 in the year 2020. I sincerely compliment this Government for bringing many path-breaking reforms which have helped us to make this quantum jump from 132 to 63. But, we could have been in the top 30, and not 63. There is one area where we seriously lag behind which is the enforcement of contract. It is pretty much impossible today in our country to enforce a contract. I would not go into arbitration and other things because that is a different thing. But we have a funny situation where two Indian entities are arbitrating in a third country because it is difficult to enforce a contract in our country. Though the pictures are rosy, there are some elements which are still a concern for us. I would like to mention a report by Observer

Research Foundation (ORF), which is one of the leading think-tanks of our country. The report is titled 'Jailed for doing business'. This was published in the year 2022. This highlights that there are 1,536 laws in our country that govern businesses. Sir, you have heard it correctly. There are 1,536 laws in our country that govern businesses and more than half of the laws have imprisonment clauses. This means over 750 to 800 laws which govern businesses in our country have imprisonment clauses which can land a businessman or an entrepreneur in jail. On an average, there are about ten changes in our regulations or compliances on a daily basis. As Hon'ble Minister was saying, ignorance of law is no excuse. Our entrepreneurs are expected to keep tabs on all these changes on a daily basis instead of focussing on their business. You know that the consequences of criminal liability are immense. It has a huge impact on a person's liberty. If a person is put in a jail in our country, you know what a big social taboo it is. A person's social status is almost decimated if he spends a day in jail even for a minor offence. There is another element in criminal jurisprudence, in criminal law. It is called *mens rea* which means criminal intent or a guilty mind and that is paramount and that constitutes a crime. But in our country, entrepreneurs or businessmen are often jailed for very petty offences when they don't have any intention of committing the crime. It may be unintentional, ignorance of law or minor lapses. This is because of the narrative that has been prevalent for decades that wealth creators are evil. Wealth creators are equated with hardened criminals in our country which is so unfortunate. They create wealth for the nation. They create jobs for the nation and they are equated with hardened criminals. This affects our MSMEs and our start-ups the most. On an average, today an MSME or a start-up in India has to spend about ten lakh rupees a year just on compliances. Ten lakh rupees for a start-up! We all know that MSMEs are the mainstay of our economy. They create jobs. They provide employment to our youth. If this is the state of affairs of our MSMEs, then it is a concern. We can come out with many schemes, many incentives for the MSMEs. Unless we tackle this 'regulatory cholesterol', I don't think we will go too far. Who are the greatest beneficiaries of all this? The Hon'ble Minister mentioned lawyers, chartered accountants, company secretaries, etc. They are the ones who are doing legal angioplasty; they are the ones who are providing regulatory stents to cleanse this regulatory cholesterol. So, this is the context in which this Bill has been brought in. Hence, I really believe that this is one of the most forward-looking Bills.

Sir, I spoke about 'ease of doing business'. Let me quickly tell you that this Bill also brings 'ease of living' for our citizens. It is a loud statement that we trust our

citizens. As the Hon'ble Prime Minister had said, 'minimum Government, maximum governance', this is the Bill which talks of minimum Government and maximum governance. It reduces the burden of judiciary. We all know what the state of courts is. We all know that there are over 4.5 crore cases pending in our courts -- the lower courts, the High Courts and the Supreme Court. Today, we have a situation where we are unable to compound our offences. Even though two parties are interested in settling the disputes, the law does not allow them to do so. This Bill envisages settlement of a large number of issues through compounding, and it also converts many fines into penalties. Fines are adjudicated by courts; penalties are imposed by an adjudicating authority from the executive. So, this will de-clog our courts and help common citizens of our country and courts to save time, resources and energy.

Sir, there are some critics who have raised concerns that removing imprisonment as punishment for offences and converting fines to penalties might embolden the unscrupulous elements. I would like to allay these concerns by pointing out that the Bill has significantly increased the penalties as compared to low fines. There are fines like Rs.10 or Rs.100 in the statute books in our country. It is meaningless and basically a joke. This Bill has significantly increased the penalties to manifold instead of having such low fines, which, I think, will be a deterrent. Also, the Bill proposes to increase fines and penalties for some offences by ten per cent after the expiry of every three years from the date of the commencement of the proposed Act. So, I think, these are the reasons why the concerns of the critics are not justified. Also, none of the 'grievous offences' have been decriminalized. All the 'grievous offences' will continue to be on the statute book like IPC and other statute books. They will continue to be there.

Sir, I would like to point out 2-3 things for the consideration of the Hon'ble Minister. The Bill omits all offences under the Indian Post Office Act of 1898. This includes the unlawful opening of the postal articles. If the postal staff or any other person opens any postal article, that will be a serious invasion into the privacy of the person who has dispatched the article or of the person who is supposed to receive the article. So, I think, this should not have been omitted, particularly given that there is no punishment for this even in the IPC. And also, given that, in 2017, the Hon'ble Supreme Court had said that right to privacy is a fundamental right. So, in that context, I think, the offence of unlawful opening of postal articles should not have been removed from the statute book. Then, the Bill creates an Environmental Protection Fund for creating awareness, education and research related to protection of environment. I don't understand why it is there in this Bill. The State Pollution

Control Boards and the Central Pollution Control Board also have the provision of fund for environmental education. I think this is an unnecessary overlap. I think this could have been done away with.

Sir, the adjudicating officers who will be responsible for awarding penalties may not have the necessary competence or the judicial bent of mind to decide on penalties. It requires a certain judicial discipline; it requires a certain judicial way of thinking. Also, in many cases, the Government itself is a party. We all know that the Government is the biggest litigant in our country. So, when you have Government as one party and an officer of the executive as the adjudicating authority or officer, we don't expect him or her to rule against the Government. So, I think, impartiality also might be affected. But, overall, it is a very forward looking Bill. I would end with a few suggestions and would request the Hon'ble Minister and the Government to look into them. Not only 189 provisions across 42 Acts of 19 departments, we still have hundreds of other provisions in various other statute books which need to be reviewed and relooked at. So, the Government should come up with an SOP which would have a periodic review of all such laws. All the old and obsolete laws, which Hon'ble Minister was talking about, need to be reviewed periodically. So, an SOP is needed for this. In future also, the Government should come up with a similar legislation to do away with our old and obsolete laws. The reverse also is true. Today, the social norms have changed. Today, there is an influx of technology in our lives. It means that there are such offences which were petty in older times but today they have become very serious grievances. So, this necessitates that certain offences might call for a higher punishment. Therefore, I think, the reverse also is true.

Thirdly, the Bill should have a retrospective effect so that the pending legal proceedings, in respect of the offences being decriminalized, might be abated.

Finally, the Government should urge and issue an advisory to all the State Governments to have a relook at their own State laws on similar lines so that the State laws also, which are old and obsolete, can be done away with from our statute books and also decriminalized in appropriate cases. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Masthan Rao Beeda.

SHRI MASTHAN RAO BEEDA (Andhra Pradesh): Thank you, Hon'ble Deputy Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on this very good Bill. I am glad to mention that I was one of the members on the Committee on the Jan Vishwas

(Amendment of Provisions) Bill, 2023. I rise to support this Bill on behalf of our Hon'ble Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy and our Party, Y.S.R. Congress Party. The decriminalization of financial crimes has become a topic of significant debate worldwide. Decriminalization involves reducing the severity of legal consequences for such offences, often by changing them from criminal to civil or administrative violations. This Bill is a step in the right direction and would certainly help India in improving the ease of living for the people as well as our Ease of Doing Business rankings.

About efficiency in the criminal justice system, one of the primary arguments in favour of decriminalization is the potential to improve the efficiency of the criminal justice system. By shifting financial crimes to civil or administrative enforcement, law enforcement agencies can concentrate their resources on more serious criminal offences. This approach can help streamline investigations and expedite resolution processes, ensuring a more effective allocation of limited resources.

Regarding focus on restitution and compensation, decriminalization may provide an opportunity to emphasize restitution and compensation for victims of financial crimes. Civil or administrative proceedings can be designed to prioritize the recovery of damages and financial losses suffered by individuals and entities affected by these offences. This approach might lead to quicker and more substantial compensation for victims compared to lengthy criminal trials.

About encouraging self-reporting and cooperation, some proponents argue that the fear of criminal prosecution can deter individuals and corporations from self-reporting or cooperating with authorities when financial crimes occur. Decriminalization could create an environment where entities are more willing to come forward, disclose violations, and cooperate with regulatory bodies, thereby enhancing detection and prevention of financial crimes.

Regarding mitigating overcrowding in prisons, decriminalization might help alleviate prison overcrowding caused by non-violent offenders convicted of financial crimes. By diverting these cases to civil or administrative proceedings, the criminal justice system can focus on addressing more dangerous criminals, potentially leading to a more efficient and humane imprisonment system.

The negatives of the Bill are these. Regarding inadequate punishment for serious offences, financial crimes can have severe consequences on individuals, businesses and the economy. Reducing the legal consequences of these offences might not adequately punish wrongdoers, potentially leading to a perception of leniency and a lack of accountability. Small crimes can add up to and be a part of a

larger crime, such as large-scale fraud or money laundering can cause significant harm to the society. In such situations, criminal penalties are more appropriate in such cases. Can the Hon'ble Minister explain the reason for choosing these specific laws and not others and the parameters behind it?

Regarding potential for impunity, the absence of criminal charges could also reduce the repetitional damage that comes with criminal convictions, further lowering the incentives for compliances. There could be a perception among the public that certain offences are no longer taken seriously by the authorities, potentially eroding trust in the legal system.

About challenges in enforcement and collection, civil or administrative enforcement of financial crimes could present challenges in enforcing judgements and collecting fines. Some offenders may attempt to evade restitution payments or financial penalties, making it harder for authorities to hold them accountable for their actions.

Regarding impact on marginalized and vulnerable populations, imposing fines may disproportionately affect marginalized and economically vulnerable populations due to their limited financial resources. Lack of access to legal representation can further hinder their ability to defend against fines or understand regulations.

Sir, decriminalization is a complex and contentious issue that requires careful consideration of its potential impacts. Ultimately, the goal should be to strike a balance between punishment, restitution and prevention, while ensuring accountability and justice in case of financial misconduct.

The Bill's impact on enhancing the 'ease of living and doing business' will largely depend on its effective implementation and ongoing stakeholder engagement.

So, I would request the Minister to address the issues raised by us and take our suggestions into account. With this, the YSR Congress Party supports this Bill. Thank you, Sir.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am supporting the Bill introduced by our Hon'ble Minister. I also appreciate him because he has referred to the Joint Parliamentary Committee and its suggestions have also been considered. That is why, I, highly, appreciate the intention. The intention of the Bill is good to solve the problems and for the economic development, as the Prime Minister of India is expecting, it has to come. With that good spirit, the Bill has been brought by the Hon'ble Minister, and I am appreciating it. Regarding the language what he told, I would like to mention regarding that. It is because, today, in the morning, in

Question Hour, the Education Minister said, "Towards the promotion of all Indian languages." In the same way, now, the NDA Government instructed all the State Governments to impart education in their mother-tongue, in the 14 languages. I appreciate it. That is in good spirit. That is a federal structure and that is what the Hon'ble PM expects. That is also a good spirit. But, what he said regarding the name '*Jan Vishwas*', some Members objected to it. He said that it is the British mindset that still continues. We are still sitting in the British building, I mean, who constructed this building. We are still going on from here. We could not move even into that though a new Parliament building has come. We are still in the British period as we have to follow certain things. But when you are putting it in the language, legislative note on *Jan Vishwas*, you are putting that also in English. Legislative notes are in English only; the amendments are also in English only. Why cannot you put English translation in that? You put it in Hindi, I have no objection. Somebody could have raised, means it is a federal structure. We are not for Britishers. We are for our culture, our language; we are for that. I am representing AIADMK Party. AIADMK Party represents certain cultural things, which defends Tamil culture, everything. Our Prime Minister is there. In the Indian history, no Prime Minister has come forward to appreciate our language, our ancient language wherever going. Throughout the world, even in UNO also, he appreciated that language. We are appreciating because that is the spirit of the thing. In the same way, I am also saying, when you are bringing certain legislations, you are bringing in Hindi. That is your right. We are not objecting to that; that is there. At the same time, when your Minister said that you are promoting all the languages of the Eighth Schedule, the Eighth Schedule has nearly 23 languages now. When the founder of our movement, Anna was sitting on that side in Rajya Sabha, at that time, the language issue came. When he defended certain language issues, Vajpayeeji was here and he asked Anna, "Are you defending British people for just English language?" Anna said, "I am not defending British. I am defending my language, Tamil language, Tamil culture." I am speaking like the way he spoke on that day. Therefore, we want our all Eighth Schedule languages to be made official languages in India. We fought for freedom. Today, the Minister said in the morning that they are promoting all the languages. In the same way, I am requesting the Hon'ble Minister that the Union Government has to come forward to make Tamil, Telugu, all the languages official in the country. What is wrong in that? Nowadays, so many digital systems have developed. Translation can easily come. Therefore, it is not a big thing. You are telling that you can speak in mother tongue in the Parliament. Therefore, what our Minister said, he must take it in good intention,

not otherwise that we all are defending the British people. But we are for our Indian culture, Indian language. Therefore, the Bill that has been introduced by the Minister, I am appreciating that because small issues cannot be taken as seriously and we fight, that will create a lot of problems. As our Hon'ble Member said that instead of courts, the executive authorities are now involving in this, that penalty is going to be more. Then it will become more cumbersome. There cannot be any corruption in settling those issues. They cannot dictate Panchayats as to what is going on. Therefore, in that respect, I request the Hon'ble Minister to look into this matter and I, along with my party, support this Bill. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. K. Laxman.

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Thank you, Sir. I stand to support this Bill which is historical and I feel proud to be a part of passage of this Bill. 2014 में जब से हमारे लोकप्रिय नेता प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने जनादेश प्राप्त किया है, तब से लेकर अब तक, नौ सालों में पूरे देश भर की, दक्षिण से लेकर उत्तर तक की जनता को विश्वास में लेते हुए काम किया है। वे कोरोना कालखंड में 140 करोड़ की आबादी को विश्वास में लेते हुए जिस तरह से कोरोना से निपटे, उससे अब हम जनादेश से लेकर जन विश्वास तक आ गए हैं। 'जन-विश्वास' के नाम पर काफी चर्चा हुई। मैं दक्षिण से आता हूँ और अपने को गौरवान्वित मानता हूँ कि यह 'जन' और 'विश्वास' शब्द कुछ अलग नहीं हैं, ये तेलुगु में भी हैं और संस्कृत में भी हैं। सर, 'जन' का मतलब है जनता और 'विश्वास' का मतलब है सभी का विश्वास प्राप्त करना। That is why, I strongly believe and, irrespective of my caste, creed, region, religion, language, I feel proud to be called as 'Indian' first. इसीलिए हम मानते हैं, nation first, party next.

श्री उपसभापति : डा. के. लक्ष्मण जी, one minute. मुरलीधरन जी, छः बज रहे हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Mr. Deputy Chairman, Sir, we are into the discussion of the Jan Vishwas Bill, which is a very forward-looking legislation and a very comprehensive one, which will ensure good governance also. And, all the Members are interested in seeing that this Bill is discussed and disposed of today. So, till then, we will continue the Session.

श्री उपसभापति : क्या सदन की सहमति है?

कई माननीय सदस्य : जी हाँ।

श्री उपसभापति : माननीय के. लक्ष्मण जी, you can continue now.

डा. के. लक्ष्मण : जैसा कि अभी हमारे मंत्री महोदय श्री पीयूष गोयल जी ने बताया कि हमारे प्रधान मंत्री सबसे ज्यादा दक्षिण को महत्व देते हैं। चाहे काशी-तमिल संगमम् की बात हो या पार्लियामेंट के नये भवन में सेंगोल के हमारे तमिल कल्चर की बात हो, उन्होंने उसे प्रभावी रूप में पूरे देश और दुनिया को बताया। इसलिए इसमें कोई भेद-भाव नहीं है। जन विश्वास का जो यह बिल लाया गया है, मैं मानता हूँ कि इसका नॉमिनेक्लेचर भी बहुत बढ़िया है।

Anyway, coming to the point, by bringing this Bill, the Government is bringing in the concept of Jan Vishwas by reposing faith in the people of our country and removing compliances, burdens, and decriminalizing very minor offences. Our Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji's vision is 'Minimum Government and Maximum Government', वे इसी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। The Bill shows the commitment of Modi Government to keep bringing in reforms which will reduce overall burden of compliance for business and citizens. Removal of these roadblocks will help India to achieve its aim of 5 trillion economy. This is the dream of our Prime Minister, Modi ji. And, in spite of all odds of Corona, on the one side, and Ukraine War, on the other side, still India is supposed to be the fifth largest economic country in the world, but for the visionary leadership of our beloved Prime Minister, Narendra Modi ji. As rightly pointed out by our Hon'ble Minister, when Narendra Modi ji attains third term as the Prime Minister, he assured that India is going to become the third largest economic country in the world. This is the guarantee of Modi ji. मोदी जी की यह गारंटी है कि यह देश एक दिन दुनिया के अंदर तीसरी आर्थिक ताकत जरूर बन जाएगा। यही हमारा विश्वास भी है। Sir, as far as this Bill is concerned, 'Ease of Doing Business', as rightly pointed out by my colleagues, is to ensure that India can leash her entrepreneurial spirit and ensure that youth can now become job-creators rather than job-seekers. Modi ji always wants the youth of this country who are educated and qualified, to become job-creators. हमारे नौजवान रोजगार माँगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें, यही हमारा सपना है। इसी के माध्यम से आज दुनिया के अंदर वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा स्थान 63वाँ है। वर्ष 2014 से पूर्व वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा स्थान 142वाँ था, now, we have attained 63rd rank. We feel really proud. यह 'Ease of Doing Business' का महत्व है। Now, in respect of 'Ease of Living', PM Modi ji has a single-minded focus on ensuring that citizens can enjoy hassle-free governance with Government being an 'enabler' rather than 'inhibitor'. इसी कारण आज हमारे मोदी जी तथा माननीय मंत्री महोदय यह बिल लेकर आए हैं। If you would recall, one of his first decisions after becoming Prime Minister in

2014, was that he allowed for self-attestation of documents. It has brought a radical change. As rightly said, by 'One Nation, One Tax', Modi's Government also was instrumental in bringing GST. ...*(Time-bell rings)*... I will take just five more minutes to complete. GST now is an historical decision, we feel proud of it. Now, there is the highest collection, Rs.1,80,000 crores in the month of April. Now, we are getting Rs. 1, 50,000 crores on an average, as GST. Some people have criticised it, when the GST was brought in. A few days ago, around Rs. 6.77 crores worth of Income Tax Returns (ITRs) were filed. This is a record growth of 16.1 per cent year-on-year. In the past nine years, Modi's Government has repealed approximately 1500 redundant laws.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. K. LAXMAN: Sir, just last point. Under this Act, as rightly pointed out, even from the State from where I come, the State of Telangana, there are many such cases. हमारे ट्राइबल एरियाज़ में जो छोटे-छोटे आदिवासी हैं, जो forest areas में खेती-बाड़ी करते हैं, जो मधुमक्खी का शहद इकट्ठा करते हैं या फल-तरकारी की खेती-बाड़ी करते हैं। ऐसे खेती-बाड़ी करने वाले लोगों के ऊपर आज भी इतने क्रिमिनल केसेज़ बनाए गए और काफी लोग जेल भेजे गए। मैं समझता हूँ कि इस बिल के माध्यम से तेलंगाना के आदिवासी भी जरूर खुश होंगे। ...*(Time-Bell rings)*...

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

DR. K. LAXMAN: Sir, one last minute.

श्री उपसभापति : आपने ज्यादा समय ले लिया है।

डा. के. लक्ष्मण : हमारे जो आदिवासी जल, जंगल और ज़मीन पर आस्था रखते हैं, इस बिल के माध्यम से उनके हित में काम होगा। इसमें काफी ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे हमारे बहुत लोगों को सुविधा हो जाएगी। बड़े उद्योगपतियों के बारे में बात करने वाले हमारे विपक्ष के साथी आज छोटे-छोटे उद्योगों के लिए, छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए यह जो बिल लाया गया है...

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

डा. के. लक्ष्मण : मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में एमएसएमई में छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए सुविधा होगी। अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो

अंत्योदय फिलॉसफी है, वह सिर्फ धनवान उद्योगपतियों और संपन्न लोगों के लिए नहीं रहेगी, बल्कि ज़मीनी स्तर पर छोटे-छोटे किसानों और व्यापारियों के हित में काम करने के लिए होगी, धन्यवाद।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I draw the kind attention of the Leader of the House who is busy in talking with somebody. Hon'ble Leader of the House, Sir, I draw your kind attention.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL): I am taking some guidance.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. I, on behalf of my party, and my leader, Y.S. Jagan Mohan Reddy, rise to support this Bill. I will take only two minutes, as I have only three points to make. Sir, we need to have a very comprehensive decriminalisation law. I appreciate the Hon'ble Minister for bringing this Bill which decriminalises a large chunk of minor offences and replaces them with the penalties. So, it is very important. We really appreciate it. The point which I would like to bring to the notice of the Hon'ble Minister is the data shows that number of imprisonment cases in the State laws not in the Central Laws; this Bill deals only with the Central Laws. But, State laws are almost four times as compared to the Central laws. So, there is a need to conduct a massive decriminalisation drive even at the State level. While the Centre cannot possibly bring the Amendments to the State laws because Centre does not have the jurisdiction, it can, certainly, lay the standards to guide the law-makers in the respective States to decriminalise and bring the Amendments in the State laws also. This task, according to me, can be entrusted to the Law Commission which can suggest to the States to bring the necessary Amendments as is brought by the Central Government.

The next point which I would like to bring to the notice of the Hon'ble Minister is that ease of living and ease of doing business cannot be based just on decriminalisation. There is a need to ensure greater compliance certainty for the public. It is estimated that there are 3500 regulatory changes taking place every year. Suppose, if I want to know what regulatory changes are taking place today, I will not be able to know unless I go through a number of websites of respective Ministries, maybe around 30, 40 or 50. Suppose, 3500 regulations are there, this means, 10 regulations per day on an average, it is impossible for any human being to know the regulatory changes that are taking place every year. Therefore, I request the Hon'ble Minister to have an integrated ease of living database where all regulatory changes are

incorporated in one app and one regulatory database so that the people come to know what regulatory changes have taken place in the country at the Central-level. Sir, I know that for States, it is a separate subject.

On criminal negligence, Shri Sujeet Kumar pointed out the risk of being convicted for criminal acts as a deterrent mechanism, forcing the industries to comply with the governmental standards. In fact, he suggested that because of this deterrence, decriminalization moves may result in non-compliance. That is the general perception pointed by Shri Sujeet Kumar, because large penalties will ultimately deter the persons. I do agree with him. The last point I would like to bring to your notice as well as to the Hon'ble Minister's notice is the introduction of sunset clauses. Sunset clause is a tool that terminates application of certain clauses in laws, or regulation at the pre-determined time. Whenever we bring in a provision in an Act, we can stipulate the time of application by incorporating sunset clause, after which time the clause is to be continued only for a limited period of time. There has to be a legislative scrutiny then. Such a sunset clause can be incorporated. This is done with an aim to ensure that the laws keep up with the changing needs of the society and don't become outdated. Sir, I suggest to the Government and the Hon'ble Minister to consider putting up sunset clause whenever there is a change or amendment introduced in the legislation. Thank you very much, Sir.

श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, सदन के नेता पीयूष गोयल जी ने कहा कि कुछ सदस्यों को नाम से आपत्ति थी, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि विधेयक के नाम से नहीं, विपक्ष के काम से जनता को आपत्ति है। यह विधेयक मोदी जी की प्रगतिशील मानसिकता को दर्शाता है और उनके प्रति जनता के अपार के विश्वास को दर्शाता है। यह एक परिवर्तनकारी शासन का प्रतीक है। यह सुशासन के प्रति मोदी जी की निष्ठा का परिचय देता है। एक umbrella के कानून के तहत, 42 कानून में 183 प्रावधानों के विधेयक के माध्यम से जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत देने वाला एक परिवर्तनकारी कानून है। मैं भी उस संयुक्त कमेटी का सदस्य रहा, जिस कमेटी ने पी.पी.चौधरी जी के नेतृत्व में काम किया। कमेटी ने बिल के प्रावधानों के संबंध में 97 सुझाव दिए और उन सभी को सरकार ने स्वीकृत भी किया। मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ-साथ सात सामान्य सुझाव भी दिए हैं। आगे इस कानून के पालन के बाद, इसकी अनुमति के बाद किस प्रकार की कार्रवाई सरकार के द्वारा होनी चाहिए, उसके लिए ऐसे सात सुझाव दिए थे, जिनमें से सरकार ने छह सुझावों को मान भी लिया है। उसमें दो-तीन बहुत ही विशेष सुझाव हैं। एक सुझाव यह है कि यह विधेयक 42 कानूनों का संशोधन करने वाला विधेयक है। ऐसे सैकड़ों कानून हैं, जिनमें इस प्रकार के अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। सरकार ने यह सुझाव मान लिया है कि आगे वह इस प्रकार की कार्रवाई को, इस प्रकार की

प्रक्रिया को जारी रखेगी, लेकिन इसमें मंत्री जी, वे सदन के नेता भी हैं, तो अगर वे सरकार की तरफ से क्या विचार है, इस पर रोशनी डालेंगे, तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही लाभदायी होगा।

दूसरा, हम यह केंद्र सरकार के कानूनों की अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन राज्यों में हज़ारों ऐसे कानून हैं और राज्यों में भी कानूनों को संशोधन करने की, उनको बदलने का एक सुझाव कमेटी ने दिया था, तो इसको लेकर आगे सरकार के क्या विचार हैं? यह बिल्कुल पूरे देश के लिए लाभदायी साबित होगा। इसके अलावा देश में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, यानी व्यापार करने में आसानी है। 2014 में विश्व में भारत की रैंकिंग 142 थी और 2019 में हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होकर 63 हो गई थी। ऐसे करीब 40,000 अनावश्यक अनुपालनों को, कम्प्लाइंस को पिछले नौ साल में मोदी जी की सरकार ने हटाया था, खत्म किया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को साधुवाद देता हूँ। 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया गया है और हमारी अर्थव्यवस्था के दसवें नम्बर से पांचवें नम्बर पर पहुँचने में ऐसे रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम संशोधन के जरिए, जो विधेयक पारित करने वाले हैं, इसका भी बहुत दूरगामी असर भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण, आर्थिक सुधारों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में 2022-23 में 7 परसेंट जीडीपी की ग्रोथ हुई है। विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। इसके लिए ऐसे आर्थिक सुधारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021 में हुआ है, जो 85 यूएस बिलियन डॉलर्स है। आज हम जो विधेयक को परित करने वाले हैं, यह बहुत ही बड़े आर्थिक सुधार की तरफ कदम है।

दूसरी बात यह है कि केवल व्यापार को ही सरल नहीं बनाना, बल्कि आम जनता के जीवन को भी बेहतर बनाना इस कानून का एक लक्ष्य है। उसमें सरकार ने यूपीआई के माध्यम से जो पहल की है, वह भी एक बड़ा कदम है। यह इससे पूरी तरह संबंधित नहीं है, लेकिन वह भी एक बड़ा बदलाव है। भारत में 15,468 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन्स पिछले छह वर्षों में हुई है। विश्व की जो सारी ट्रांजैक्शन्स हैं, उसमें से करीब 40 प्रतिशत केवल भारत में हो रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में ऐसे सुधारों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत ने अमृत काल में जो प्रवेश किया, उस अमृत काल में सही लक्ष्यों को हासिल करने में इस विधेयक और इसके बाद होने वाले और संशोधनों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। जन विश्वास में मोदी जी का विश्वास है। वे जन विश्वास के प्रति ही चुनाव जीतते रहे हैं और आगे भी जीतेंगे। धन के प्रति विश्वास रखने वालों के लिए ...**(समय की घंटी)**... यह बहुत ही निराशाजनक साबित हो सकता है। मैं यह बात कहते हुए और इस बिल का समर्थन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

SHRI SADANAND SHET TANAWDE (Goa): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak in support of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. सर, इसके पहले मैं अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अपने लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मुझे इस सदन में आने का और बोलने का मौका मिला। मैं अपने राज्य के मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। I extend my gratitude to respected Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, who has been the guiding light in this journey.

सर, मुझे इस हिस्टोरीकल बिल की चर्चा में भाग लेने का अच्छा मौका मिला है। It is noteworthy to mention that this Bill proposes to amend 183 provisions in 42 Central Acts administered by 19 Departments covering various domains, such as environment, agriculture, media, industry, trade, IT, copyright, motor vehicles, cinematography, food safety, the Indian Coastal Act and many more.

As a great step to achieving Ease of Doing Business, the Bill will decriminalize minor offences that do not involve any harm to the public interest or national security and replace them with civil penalties or administrative actions. Sir, this Bill will remove imprisonment clauses and fines in some provisions and convert them into penalties in some others. The penalties will be determined by adjudicating officers appointed by the respective departments. The Bill will ensure that offenders can settle their cases by paying certain amount without going through a court trial. The Bill will provide for a periodic provision of fines and penalties once in every three years with an increase of a minimum of 10 per cent amount of various offences in the specified Acts which will ensure proper enforcement. By introducing administrative adjudication mechanism, the Bill will reduce pressure on justice delivery system and help in reducing case pendency. This Bill will facilitate more efficient and effective justice dispensation. The Bill will foster trust-based governance by ensuring citizens, businesses and Government departments operate without fear of imprisonment for minor, technical or procedural defaults. This Bill, especially for my State of Goa, will be a game-changer. With the guidance of our Hon'ble Prime Minister, our State is emerging as a vibrant investment destination and is leading among small States and UTs in terms of Ease of Doing Business.

I am thankful to the Hon'ble Commerce Minister. सर, मुझे याद है, जब दो महीने पहले हमारे मिनिस्टर साहब गोवा में आये थे, उस टाइम हमने intellectuals and industrialists की मीटिंग रखी थी। I was a part of that meeting. मिनिस्टर साहब ने सभी को सुना और सभी industrialists ने उनको बताया कि यह-यह प्रॉब्लम है। उसमें एडिटर्स भी थे। सबकी बातें सुनने के बाद मिनिस्टर ने बोला कि किसी को और भी कुछ बोलना है, तो सदानंद के पास लिखकर दीजिए और दो महीने के बाद मैं राज्य सभा में पहुंचा हूँ, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

I conclude my submissions and, once again, I support the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. Thank you.

[The VICE-CHAIRMAN (Shrimati P.T. Usha) *in the Chair.*]

DR. SIKANDER KUMAR (Himachal Pradesh): Thank you, Madam Vice-Chairperson for giving me the opportunity to participate in the discussion on this important Bill,

namely, the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. I also congratulate the hon'ble Minister, Shri Piyush Goyal, for bringing this Bill in a comprehensive and consolidated manner.

Madam, I rise to support the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023, which aims to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

Under this Bill, 183 provisions in 42 different Acts under the ambit of 19 different Ministries proposed to be decriminalized. Therefore, ordinary citizens and businessmen can carry out their activities without unnecessary fear. It is further reported that the Bill is aiming to rationalise 110 provisions, across 35 Acts, which are administered by 15 different Ministries/ Departments. The rationalisation will include simplifying and digitisation of compliances.

The Bill was referred to a 31-member Joint Committee of Parliament in December, which presented its Report on 20th March, 2023. The Bill was introduced in the Lok Sabha on 22nd December, 2022 and was referred to the Joint Committee of Parliament. The main objective of the Bill is to decriminalize minor offences that do not involve any harm to the public interest or national security. It helps to achieve the target of enhanced trust-based governance, increasing the ease of living and ease of doing business across the country. The Modi Government believes that Indians are honest and they live their life and conduct their business honestly. The Government does nothing to penalise its citizens and small and medium businessmen for small mistakes. This Bill reflects our hon'ble Prime Minister Modi Ji's vision of 'Minimum Government and Maximum Governance'.

Madam, the MSME's are the backbone of the Indian economy and contribute significantly to the GDP. For these enterprises, to make a shift to the formal sector and generate jobs and income, there must be effective and efficient business regulations in place that eliminate unnecessary red-tapism.

This Bill proposes decriminalisation of 180 offences across 42 laws, governing environment, agriculture, media, industry, trade, and publication, etc. The Bill seeks to remove imprisonment clauses and/or fines in some provisions and convert them into penalties in some others. Madam, the Bill also introduces compounding of offences in some provisions, which means that the offenders can settle their cases by paying a certain amount without going through a court trial. The Bill reduces pressure on the justice system and helps in reducing case pendency and facilitates a more efficient and effective justice dispensation.

Madam, in the past eight years of the Modi Government, the Government has repealed approximately 1,500 redundant laws, simplified approximately 39,000 compliances and decriminalised approximately 3,500 minor offences, which has been a game-changer in improving the lives of ordinary citizens and small businessmen. The focus of the Modi Government is on removing fear from the minds of small businessmen. Such Acts, which decriminalise offences for minor mistakes, take fear out of our small businessmen and traders and boost their growth. I am sure, this legislation would serve as guiding principle for future amendments in various laws.

Madam, by bringing this Bill, the Government is bringing in the concept of '*Janvishwas*' by reposing faith in the people of the country and removing compliances, burdens, and decriminalising very minor offences. The Government believes that the Indians are honest and live their life and conduct their business honestly. Therefore, the Modi Government does not want to penalise its citizens and small and medium businessmen for small mistakes. This is as per Shri Narendra Modi Ji's vision of 'Minimum Government and Maximum Governance'. The mantra of 'trust-based governance, based on ease of living and doing business' will bring even more prosperity to the country.

Madam, with these words, I support this Bill and thank the Chair for giving me the opportunity to speak on this important Bill.

Thank you.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Thank you, Madam, for giving me the opportunity. I am very happy to see a person from the sports fraternity in the Chair; I congratulate you. I rise to support the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. As you all know, our visionary leader, Narendra Modi ji, took over in 2014. He has one cardinal principle, which he enunciated among the people of this country, which is, 'Minimum Government and Maximum Governance'. But this 'Minimum Government and Maximum Governance' is not just a slogan. Over the last nine years, he has pursued, he has taken all kinds of reforms, including the judicial reforms, social reforms and administrative reforms by which a fruitful governance has been given to this country. In 2014, we were at the tenth position in the world ranking of emerging economies; today, we are at fifth position in the ranking of emerging economies; and, within next five years, under the visionary and able leadership of Narendra Modi ji, we will become one of the three emerging economies, and the most prosperous economies of the world. Madam, under his leadership, this country has reached to this position. Number one, if we analyse, in 2013, in terms of Ease of

Doing Business, we ranked 132 among 185 countries. But, by 2020, we reached at the 63rd position. Yes. After that, rankings were discontinued. But, today, we may be in one, two or third position as far as reforms are concerned. Madam, how has it been done? It has been done by reducing the deterrents of our progress, our blockades. How has it been done? I congratulate the Hon'ble Minister for bringing forward this revolutionary Bill for Ease of Doing Business and taking the country forward. The Bill proposes to amend 183 provisions in 42 Central Acts administered by 19 Ministries and Departments. Now, these deterrents have been removed. The main objective of the Bill is to decriminalise minor offences. This is one deterrent that has been removed by this Bill. This Bill was needed to reduce the undue pressure on the judicial system; to create a fair way to decide how strong the punishment should be for wrongdoing based on how serious the offence is. The Bill also plays an important role in the Government's aim of achieving 'Minimum Government, Maximum Governance.' The key highlights of the Bill are amendment in 42 Acts. Some key laws include the Indian Forest Act, 1927; The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; the Information Technology Act, 2000; the Environment (Protection) Act, 1986; the Copyright Act, 1957; the Patents Act, 1970; the Railways Act, 1989; and the Food Safety and Standards Act, 2006. Now, how has the decriminalization been done? The Bill decriminalizes certain offences by replacing imprisonment with monetary penalties, instead of a fine. Offences under the Information Technology Act, 2000, can lead to imprisonment or fine. The Bill introduces a penalty of up to Rs.25 lakhs. Offences under the Patents Act, 1970, involving falsely represented articles face a fine; the Bill replaces it with a penalty of up to Rs.10 lakhs. The Bill has, rightly, incorporated the suggestions of the Committee. As has been mentioned by some Hon'ble Members of the Joint Committee, Committee's suggestions have been incorporated in this Bill. So, I am not going to repeat that. I only want to highlight one point that the fines and penalties for various offences in the specified Act will be increased by 10 per cent of the minimum amount every three years. The Bill also introduces compounding of offences in some provisions. So, the offenders can settle their cases by paying a certain amount without going through the court process. There are other provisions which can be appreciated, like the appointment of adjudicating officers.

Now, what are the benefits of the Bill? This Bill has brought judicial reforms in a very indirect system; like, with over 5.02 crore court cases pending in India, the highest in the world, this Bill would help in reducing case pendency to some extent and facilitate a more efficient and effective justice dispensation. The Bill, also being

referred to as the 'Ease of Business Bill', will foster trust-based governance by ensuring that citizens, businesses and the Government Departments operate without fear of imprisonment for minor, technical or procedural defaults. It would accelerate investment decisions due to smoother processes and attract more foreign investment.

Madam Vice-Chairperson, there are some other suggestions on the Bill. I am not going to repeat them, but I would very well express some of my concerns about the Bill, which the Hon'ble Minister would enlighten us about and tell us how this Bill would overcome these. The first issue is, omission of offences under the Act. The Bill removes certain offences from the Act. The offences committed by officials of Post Office like theft and fraud are being omitted. The relevance of these omissions to the Bill's intent is unclear. I hope the Hon'ble Minister would throw some light on this. The second and most important provision is 'privacy concern' from these omissions. The offences related to illegal opening of postal articles are being removed by the Bill. The postal articles are given in confidence, in trust, but if they are opened, the privacy doesn't remain. Privacy issues could arise due to the removal of these provisions. Personal data such as health insurance and credit card information may be compromised. Removal of these safeguards might contradict the Right to Privacy recognized by the Supreme Court. Existing laws like the Indian Penal Code do not cover these violations without theft or misappropriation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Time is over.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Madam, I congratulate the Hon'ble Minister for bringing this revolutionary Bill. I hope he would address my concerns. Thank you very much.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उस जेपीसी का मेम्बर था, जिसमें यह बिल विचार के लिए भेजा गया था। उस कमिटी ने इस बिल के ऊपर जितनी भी सिफारिशें की थीं, भारत सरकार ने उन सबको स्वीकार करके हमारे सामने इस बिल को रखा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदया, मैं कहना चाहता हूँ, यह जो बिल लाया गया है, इसके पीछे हमारे शास्त्रों की एक बहुत बड़ी सूक्ति है और वह सूक्ति है -

*न वै राज्यं न राजाऽऽसीन्न च दण्डो न दाण्डिकः
धर्मैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम् ॥*

माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि पब्लिक और हम, एक-दूसरे पर विश्वास करें, विश्वास के आधार पर हमारे काम चलें, इसीलिए इस बिल का नाम 'जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023' रखा गया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि यह एक क्रांतिकारी बिल है। मैं 1980 से संसदीय लोकतंत्र का अध्ययन करने वाला एक छात्र रहा हूं और मैंने आज तक यह नहीं देखा कि कभी एक ही बिल में 19 डिपार्टमेंट्स के 42 कानूनों में 183 संशोधन हुए हों। भारतीय संसद के इतिहास में यह सबसे बड़ा बिल लाया गया है और इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जेपीसी की मीटिंग में किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, लेकिन उसके बाद अपना डिस्सेंट नोट लगा दिया, वे इस बात का ध्यान कर लें कि भारत में ऐसे दो व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने तीन बार लगातार प्रधान मंत्री पद की शपथ ली है- एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब तीसरे श्री नरेन्द्र मोदी जी होंगे, जो लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपथ तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सबसे लम्बा प्रधान मंत्री पद पर रहने का कार्यकाल है, उसको भी पार करेंगे और सबसे लम्बे समय तक भारत के प्रधान मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम लिखा जाएगा।

सर, यह बिल ऐसा क्यों है? यह ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस बिल में कोर्ट्स में जो 4 करोड़, 30 लाख मामले लम्बित हैं, उनमें केवल 3.2 करोड़ मामले ऐसे हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, बाकी मामले आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, लेकिन उनका criminalization किया हुआ है, वे इसमें शामिल हैं। उदाहरण के लिए, केवल एक Motor Vehicles' Act है, जिसके 87 लाख मामले हैं, उनको आराम से निपटाया जा सकता है। यह बिल आपराधिक मामलों को कम करेगा। यह केवल व्यापार करने वालों के लिए नहीं है। उपसभापति महोदय, यह बिल ऐसे काम कर रहा है कि जो रेलवे में भीख माँगता है, उसको 2 साल की सज़ा का प्रावधान है, जिसको यह बिल समाप्त कर रहा है। यह बिल इस बात को समाप्त कर रहा है कि एक गड़रिया जब अपनी बकरी लेकर जाता है और भूल से वह बकरी अगर वन विभाग के क्षेत्र में घुस जाती है तो उसके लिए उसको पाँच साल की सज़ा है, तो यह उस गड़रिये को भी लाभ देने वाला बिल है। इस बिल में इसी प्रकार के बहुत से प्रावधान हैं, जो केवल ease of doing business ही नहीं, बल्कि ease of living के लिए भी हैं। ...**(व्यवधान)**... जी हाँ, बकरी वाले को भी 5 साल की सज़ा है। इसी प्रकार, एक पोस्टमैन, जो डाक लेकर आता है, अगर भूल से उसने इस घर के बजाय उस घर में डाक दे दी या भूल से कोई गलती कर दी, कोई त्रुटि हो गई तो उसके लिए 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। ...**(व्यवधान)**... जी हाँ, पोस्टमैन को, डाकिये को भी सज़ा का प्रावधान है, इसलिए इसमें उसको भी हटाने का प्रावधान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वास्तव में यह एक क्रांतिकारी बिल है, वास्तव में यह एक ऐतिहासिक बिल है।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कारावास और जुर्माने वाले ऐसे 42 प्रावधान हैं। ये 42 प्रावधान ऐसे हैं, जिनसे कारावास भी हट जाएगा और जुर्माना भी हट जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे तीन प्रावधान हैं, जिनमें से कारावास हट जाएगा। मैंने गड़रिया, पोस्टमैन और भिखारी का उदाहरण देकर बताया। एक भिखारी, जो रेल में भीख माँगता है, उसको भी दो साल की सजा! वन विभाग के क्षेत्र में जिसकी बकरी घुस जाए, उसको 5 साल की सजा! इस प्रकार की जो सजाएँ थीं, ऐसी तीनों सजाएँ समाप्त कर दी गई हैं। इसी प्रकार, जुर्माने के जो प्रावधान हैं, वे 10 में बिल्कुल हट जाएँगे। फाइन और पेनल्टी में फ़र्क है। जो जुर्माना फाइन के रूप में है, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ के चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके बजाय, अब अगर पेनल्टी कर देंगे तो जो अधिकारी है, वह इस काम को पूर्ण कर देगा, यह हट जाएगा। इसी प्रकार, कारावास को दंड या पेनल्टी में दो स्थानों पर परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार, जुर्माने को दंड में 18 स्थानों पर परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार, इसमें 183 प्रावधान किए गए हैं और उन 183 प्रावधानों से हमें लाभ मिलेगा।

उपसभापति महोदय, हमारे यहाँ एक सूक्ति है कि '*विक्रमार्जित कार्येषु स्वयमेव नरेन्द्रता*।' जो आदमी विक्रम, बुद्धि से अपना काम करता है, वह स्वयमेव नरेन्द्रता हो जाता है। एक मृगेन्द्रता होता है, दूसरा नरेन्द्रता होता है। नरेन्द्र मोदी जी नरेन्द्रता हैं, उनका प्रभुत्व इन्हीं कामों के कारण बढ़ा है कि वे अपने विक्रम से, अपने पौरुष से इस प्रकार के कदम उठाते हैं और इससे बड़ा ऐतिहासिक काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर, आपकी उंगली घंटी की ओर जा रही है?

श्री उपसभापति : आपके छः मिनट हो गए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सर, उसमें विक्रम नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कानूनों को समाप्त करने का जो काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है, यह बहुत ही अच्छा है। चूंकि माननीय गोयल साहब इस पर पूरा बोल चुके हैं, इसलिए अब इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि यह बिल एक क्रांतिकारी कदम है, ऐतिहासिक कदम है और अपराधों को कम करने की स्थिति में है। यह जनता में विश्वास प्रकट करने के लिए है और जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ!

श्री बिप्लव कुमार देब (त्रिपुरा) : महोदय, मैं 'जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023' का समर्थन करता हूँ। जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने इस बिल के बारे में हाउस को संबोधित किया, मुझे लगता है कि हाउस में हर मेम्बर को इस बिल के बारे में स्पष्टता से समझ आ चुका है।

सर, मैं गाँव से आता हूँ, बहुत-से लोग गाँव से आते हैं। हमें छोटी उम्र में ही सिखाया जाता है कि बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नौकरी करनी है। स्वाभाविक तौर पर, कुछ लोग बिजनेस कौम से होते हैं, जिनके परिवार में बिजनेस किया जाता है, किंतु हम जो साधारण गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि आपको तो पढ़ाई करके यही बनना है। चूंकि मेरे पिताजी को पता है कि फैक्टरी एक्ट में यह सब लिखा हुआ है, इसलिए मेरा बेटा

अपने जीवनकाल में यह नहीं कर सकता है और बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। आज मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। वे हाउस के मेरे नेता भी हैं। आप एक ऐसा संशोधन विधेयक लेकर आए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह लड़का हो या लड़की, गाँव का हो या शहर का, नए तरीके से सोच सकता है कि मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सर, इससे एक हिम्मत आती है। कोई बिजनेस करने के लिए बोल देता था और चार दोस्त मिलकर फैक्टरी लगाने के लिए एक लोन के लिए एप्लाई कर देते थे लेकिन इसमें भी 1,500 कानून थे, जिन्हें पूरा करने में दो साल भी लग जाते थे। इसके बाद भी वे डर के साथ बिजनेस में जाते थे। जब कोई नौजवान डर के साथ बिजनेस में जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर, उसका फेलियर होना निश्चित है। जब ऐसे लोग नए बिजनेस के लिए फैक्टरी लगाकर काम करने के लिए जाते थे, उनकी हिस्ट्री ऐसा ही कहती थी। इसका सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद देखा जा सकता है कि अगर किसी ने नए तरीके से बिजनेस करने की कोशिश भी की थी, तो इन सब कानूनों के कारण उनमें से 80 परसेंट अनसक्सेसफुल हो जाते थे। यह इंसपेक्टर राज था। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी, देश के स्वाधीन हो जाने के बाद भी काँग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने लगभग 65 साल शासन किया है। वे बोलते थे कि गरीब को बिजनेस करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए काम नहीं किया। मुझे दुख है कि वे सिर्फ बोलते हैं। मैं गाँव से आता हूँ, मैंने भी बहुत नारे सुने हैं। वे बोलते रहते हैं कि गरीब के लिए यह होना चाहिए, किसान के लिए यह होना चाहिए। मैंने भी कितने ही नारे सुने हैं, किन्तु किसी को किसान के लिए करना है, तो मोदी जी को करना है, गरीब के लिए करना है, तो मोदी जी को पीयूष गोयल जी के मंत्रालय के माध्यम से करना है। पीयूष जी, जब आप इस बिल को पढ़ रहे थे, तब आप बहुत फीलिंग के साथ पढ़ रहे थे। मैं आपका चेहरा देख रहा था। मैं तो इस हाउस से सीखता रहता हूँ। आपका चेहरा बोल रहा था कि आप किसी सोच के साथ कुछ करने जा रहे हैं। आप इस हाउस में मैकेनिकल मानसिकता के साथ नहीं आए थे, बल्कि एक फीलिंग के साथ आए थे। जब इस फीलिंग के साथ कोई बिल लाया जाता है, तो वह सक्सेसफुल ही होता है और यह इस देश में नरेन्द्र मोदी जी ही कर सकते हैं, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। यह प्रमाणित है कि इसका नाम जन विश्वास है और यह नाम ही नहीं, बल्कि और भी नाम हैं। एक 'आयुष्मान भारत योजना' भी है। हमें कोई बड़ा व्यक्ति, ऋषि, मुनि, गुरुजन आयुष्मान भवः बोलकर आशीर्वाद देता है, तो हम खुश हो जाते हैं। जब किसी बीमार व्यक्ति के साथ 'आयुष्मान भारत' का नाम चलता है, तब उसकी आधी बीमारी तो इसके नाम से ही दूर हो जाती है। 'नमामि गंगे' भी इतना सुंदर नाम है कि गंगा तो नाम से ही शुद्ध हो जाती है। इसी तरह से इसका नाम भी जन विश्वास रखा गया है। जब हमारे गाँव के छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो सोचते हैं कि मैं कभी टाटा बनाऊँगा, मैं कभी रिलायंस बनाऊँगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उनके मन में यह विश्वास आएगा कि यह कानून नहीं है, यह जुर्माना नहीं है, अब जेल नहीं हो सकती है और हम यह काम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं एवं हम यह काम सफलता के साथ कर सकते हैं - यह इस बिल में दिखाई दिया है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बिल पढ़ा है। घनश्याम जी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से उठाया कि इसमें सिर्फ बिजनेस की ही बात नहीं है, बल्कि मानवता की भी बात है। इसमें Ease of Doing Business जरूर है, इसके साथ-साथ, हमारी जीने की पद्धति अच्छी हो, Ease of living हो, यह भी इसके साथ जोड़ा गया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को

धन्यवाद दूँगा कि आपने Ease of Doing Business के लिए ऑलरेडी 'One Nation, One Ration Card' लागू कर दिया है। आपने जन-धन, आधार और मोबाइल की त्रिवेणी लागू कर दी है। आपने कॉमन सर्विस सेंटर्स को लागू कर दिया है। आपने 'आरोग्य सेतु' और CoWIN को भी लागू कर दिया। ये हमारी जीवन शैली को सहजतर करते हैं और आज यह भारत में प्रमाणित हो चुका है। मैं आपको इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इसके साथ ही, मैं माननीय प्रधान मंत्री और श्री पीयूष गोयल जी को इस बात के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने गरीब के लिए सोचा, आप लोगों ने किसान के लिए सोचा, आपने उस बच्चे के बारे में सोचा, जिसको उसका पिता कॉलेज जाने के लिए एक बाइक खरीदकर देता है। इस बिल में आपने एक तरफ इंडस्ट्री के बारे में सोचा है, तो दूसरी तरफ एक पशु चराने वाले के बारे में भी सोचा है, जो आपकी मानवता की दृष्टि को दिखाता है। यह बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज आप इसको लेकर आए हैं, इसमें देर हुई, किन्तु आप एक ऐसा बिल लाए हैं, जिसके लिए आपको एक कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में दुनिया याद रखेगी और माननीय प्रधान मंत्री जी का तो आज दुनिया लोहा मानती ही है। महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय बिप्लब कुमार जी। अब माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी जवाब देंगे।

श्री पीयूष गोयल : उपसभापति जी, इस बिल पर वास्तव में बहुत ही अच्छे-अच्छे वक्तव्य आए हैं और काफी सूचनाएँ आई हैं। इस चर्चा में हमारे कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें श्री घनश्याम तिवाड़ी, बिप्लब कुमार देब जी, नरसिंहा राव जी तथा कई अन्य माननीय सदस्य शामिल हैं। इस चर्चा की शुरुआत सुजीत कुमार जी ने की।

मैं सबसे पहले राज्य सभा के उन 10 माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस कमिटी में थे। वास्तव में, इस कमिटी में सभी 31 सदस्यों ने बहुत बढ़िया काम किया, पर चूंकि अभी मैं राज्य सभा में हूँ, इसलिए मैं माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी, माननीय जी.वी.एल. नरसिंहा राव जी, माननीय महेश जेठमलानी जी, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विवेक तन्खा जी, श्री सुखेन्दु शेखर राय जी, कनिमोझी एनवीएन सोमू जी, श्री नारायण दास गुप्ता जी, श्री सुजीत कुमार जी और श्री मस्थान राव बीडा जी, इन सभी के contribution को तहेदिल से acknowledge करना चाहता हूँ। इस कमिटी की रिपोर्ट बहुत ही लाजवाब थी। मैंने अपने जीवन में इतनी अच्छी रिपोर्ट और इतने अच्छे सुझाव कम ही देखे हैं। यह बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई। मुझे इसमें लगभग सभी का एकसार दिखा कि यह काम आगे भी चलते रहना चाहिए, राज्यों को भी इस काम में जोड़ा जाना चाहिए और राज्यों को भी इसमें और पहल करनी चाहिए। मैं यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ।

सर, मैं यहाँ पर दो विषयों को रखना चाहूँगा। एक बात तो यह कि इस कमिटी ने हमें एक बहुत अच्छा सुझाव यह भी दिया कि हम एक वर्किंग ग्रुप बनाएँ, जो de-criminalisation के इस काम को आगे चलाता रहे। सुजीत जी, घनश्याम जी, नरसिंहा राव जी, बीडा जी, आप सब लोग

उसमें थे। मुझे आपका यह सुझाव बहुत ही बेहतरीन लगा कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए, जो सब कानूनों को देखता रहे। आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी रिपोर्ट आने के बाद हमने एक वर्किंग ग्रुप बना दिया है, जो इस काम को आगे चलाता रहेगा। कई अन्यान्य डिपार्टमेंट्स, जैसे NITI Aayog, Reserve Bank, NABARD, National Housing Bank, NPCI, Pollution Control Board और FSSAI से जुड़े करीब 22 कैटेगरीज़ के लोगों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें लीगल प्रोफेशनल्स, प्राइवेट प्रोफेशनल्स, सरकारी अधिकारी तथा कई chambers of industries को जोड़कर हमने एक वर्किंग ग्रुप बना दिया है, जो इस काम को आगे बढ़ाता रहेगा। इसके साथ-साथ, स्टेट्स के साथ भी हमारी चर्चा शुरू हुई है, जैसा कि माननीय विजयसाई रेड्डी जी तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि वे भी ऐसी similar exercise करें। उनका यह अच्छा सुझाव था कि हम भी उनको कुछ गाइडलाइंस, कुछ गाइडेंस तथा कुछ सपोर्ट दें और केन्द्र एवं राज्य मिलकर यह परिवर्तन करें।

इसके अलावा, हमारे समक्ष एक अच्छी बात यह आई कि कई लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यह बात शायद विजयसाई रेड्डी जी या तंबी दुरै जी ने कही है कि प्रावधान में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा उपाय हो कि सबको इसकी सूचना एक ही जगह पर सरलता से मिल सके। उपसभापति जी, मुझे आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को एक सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने एक National Single Window System स्थापित किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई उद्योग चलाना चाहे, कोई व्यापार करना चाहे, कोई नया काम शुरू करना चाहे, तो उसके लिए वह उस सिस्टम में Know Your Approvals सेक्शन पर जाकर इस बारे में बताए। मान लीजिए, वह बताता है कि मुझे चमड़े का कारखाना शुरू करना है। जैसे ही वह बताता है, हम उस नेशनल सिंगल विंडो के ज़रिये उनको गाइड करते हैं कि आपके ऊपर कौन-कौन से कानून और कौन-कौन से प्रावधान लागू होंगे, फिर उसके हिसाब से आप उस सिंगल विंडो के ऊपर approvals के लिए भी apply कर सकते हैं। हमने स्टेट्स को भी आमंत्रित किया है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि कई स्टेट्स इसमें जुड़े हैं। देश के लगभग सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ राजनीति को छोड़ कर, राजनीति से ऊपर उठकर इसमें जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्र, राज्यों, कॉर्पोरेशन और पंचायतों यानी देश भर की परमिशन एक ही जगह पर आ जाए, जिससे renewals भी आसान हो, ड्यूटीज़ की या एप्लीकेशन की कोई पेमेंट करनी हो, तो वह भी आसान हो। प्रधान मंत्री मोदी जी ने National Single Window जैसा एक revolutionary step इंट्रोड्यूस किया है। हमें मार्गदर्शन दिया है कि यह कैसे बनना चाहिए, कैसे लोग सरल तरीके से अपना काम कर सकें ताकि हमारे माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी के कहे अनुसार इस देश में और अधिक लोग प्रोत्साहित हों। वे start-ups की दुनिया में, व्यापार की दुनिया में उद्योजक बनें, job-givers बनें, job-providers बनें, job-seekers ही न बनें। हर एक व्यक्ति सिर्फ एक सरकारी नौकरी के पीछे न भागता रहे। लोगों की हिम्मत और हौसला बढ़े कि हम भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, नया कारोबार कर सकते हैं। उपसभापति महोदय, आज हमारे युवा व्यक्तियों का enterprise देखकर हैरानी होती है। आज हमारे start-ups की दुनिया में आईआईटी मद्रास में स्पेस रॉकेट तक बन रहे हैं। सर, एक व्यक्ति ने मुम्बई में डोसा बनाने का काम शुरू किया। वह इतना स्वादिष्ट डोसा बनाता है कि वह उसे 300 रुपये में बेचता है। वह इतना

स्वादिष्ट बनाता है कि उसके डोसा को खरीदने के लिए वहां लाइन लगती है। उसका सामान खत्म हो जाता है, लेकिन डिमांड खत्म नहीं होती। आज देश में युवा व्यक्ति नए-नए प्रयोग से अलग-अलग प्रकार से देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह हम सबके लिए हर्ष की बात है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं जरूर यहां सबको अवगत कराना चाहूंगा कि कमिटी ने 8 रिकमंडेशंस दीं, वे सभी रिकमंडेशंस लाजवाब थीं। कमिटी ने रिकमंड किया कि 8 और प्रोविजंस को सम्मिलित किया जाए। हमने 5 एक्ट्स की सभी 8 रिकमंडेशंस को accept कर लिया और सभी 8 प्रोविजंस को भी decriminalize किया। साथ ही साथ कमिटी ने 7 रिकमंडेशंस दीं, जिनमें उसका सुझाव तो है कि इसमें decriminalize किया जाए, लेकिन हमें लगता है कि इन 7 में अभी न करें। इसलिए हमने इस बिल में उन सातों पर अभी नहीं किया है। इस पर और स्टेकहोल्डर्स से कंसल्टेशन करेंगे, कमिटी के मेम्बर्स से भी चर्चा करेंगे। यह वर्किंग ग्रुप इस पर और चिंता करेगा, फिर अगर लगेगा कि ये लाने लायक है, तो अगले बिल में ले आएंगे। 'जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023' एक शुरुआत है, अंत नहीं है। यह पहला प्रयास है, आगे ऐसे बहुत सारे प्रयास होंगे। हमने कमिटी की रिकमंडेशंस की इज्जत करते हुए इस बिल से सातों को हटा दिया। मैं कमिटी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि तीन ऐसे प्रावधान थे, जिसमें उन्होंने कहा कि quantum of penalty को बढ़ाया जाए। उनको लगा कि हमने जो रखा है, वह अभी भी कम है, deterrent नहीं बनेगा। लोग इसके कारण शायद फिर भी गलती कर सकते हैं या बार-बार गलती कर सकते हैं। हमने कमिटी की तीनों रिकमंडेशंस को accept कर लिया है। माननीय उपसभापति महोदय, सिर्फ एक ही रिकमंडेशन ऐसी है, जिसे कानूनी विशेषज्ञ और कानून डिपार्टमेंट से सलाह-मशविरा करने के बाद हम accept नहीं कर पाए। अगर आप मुझसे पूछें तो वह एक अच्छा सुझाव था। सुझाव यह था कि retrospective amendments को retrospective effect दे दिया जाए। इससे सीधे एक करोड़ केसेज कम हो सकते थे। उनका सुझाव था कि अगर इन सभी को retrospective amendment दे दें --आप देखिए कमिटी कितनी सूझ-बूझ से काम कर रही थी, इसमें लिखा था, 'Government may look into the legalities and other consequences of giving retrospective effect, and, if feasible, retrospective effect may be given to the proposed amendments.'

7.00 P.M.

उसको आप पार्लियामेंट में कानून पास करके बाहर नहीं निकाल सकते। अब जब हमने कानून पास कर दिया है, तो मुझे विश्वास है और मैं पूरे सम्मान के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो सम्माननीय जज हैं, जब वे यह देखेंगे कि कानून में बदलाव होने से इनको डिफ्रिमाइन किया गया है, तो जो एक करोड़ ऐसे केसेज हैं, जो इसके दायरे से बच सकते थे, शायद कोर्ट ही उनका संज्ञान लेते हुए इनको जल्दी निपटा देगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसके अलावा यह उनके विवेक पर निर्भर करता है, उनके पास पूरी पावर्स हैं कि इसका क्या करना है। उपसभापति महोदय, मैं सिर्फ एक-दो बातें बताना चाहता हूं। मैंने शुरुआत में कहा था कि मुझे दुख है और मैं

एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे दुख क्यों हुआ? कई बार हम कमेटी के काम में भी राजनीतिकरण करते हैं। वैसे तो ओवरऑल कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। कमेटी के दो मेम्बर्स ने, एक कांग्रेस के मेम्बर थे और एक डीएमके के मेम्बर थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह जो मानसिकता है कि यह सरकार का है, तो इसको अपोज करना है, यह बात मैं आपके माध्यम से सदन और देश के समक्ष रखना चाहता हूँ। सर, दोनों पार्टीज के माननीय सदस्यों ने कहा कि आप Food Corporation Act में जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, वह नहीं किया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और माननीय सदस्यों के सामने बताना चाहता हूँ कि उस एक्ट की कहानी क्या है? Food Corporation Act मेरे जन्म के वक्त 1964 में बना था। लगभग 60 साल हो गए हैं और मैं भी सीनियर सिटिज़न हो जाऊंगा। इस 1964 के एक्ट में एक प्रावधान है कि सेक्शन 41 कहता है कि 6 महीने की सजा होगी, अगर कोई व्यक्ति Food Corporation of India का नाम बिना उसकी अनुमति के लेता है - केवल इतनी ही बात है। अगर कोई व्यक्ति FCI का नाम उनकी अनुमति के बगैर लेता है, तो 6 महीने की सजा हो सकती है। आज तक 59 सालों में इस प्रावधान का एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ और हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसको डिक्लिमिनलाइज़ नहीं करना है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण इसलिए दिया, क्योंकि हम कमेटी में राजनीति से कभी प्रेरित नहीं होते हैं। मैं भी विपक्ष के नाते कमेटी में रहा हूँ। हमने always constructive suggestions दिए हैं। उसमें विपक्ष के कई सदस्य भी थे और उन्होंने कई अच्छे सुझाव भी दिए। दोनों तरफ ट्रेज़री बेंच और विपक्ष ने भी दिए, लेकिन जब इस प्रकार की मानसिकता दिखती है, तो अवश्य दुख होता है। हम इस कानून में High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act को repeal करने का प्रावधान लाए हैं। अब वह बात खत्म हो गई है। उसमें भी failure to furnish records, failure to give information जैसे प्रावधान थे। एक तरफ तो विपक्ष ने सालों-साल हमारी और माननीय प्रधान मंत्री जी की आलोचना की, जब हमने देश हित में high denomination currency notes को demonetise किया और अब कह रहे हैं कि उसमें जो क्रिमिनल प्रावधान है, उसको मत हटाइए, उसको रखिए! मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनकी मंशा क्या है! क्या वे demonetisation के पक्ष में हैं! शायद इतने वर्षों में कांग्रेस का भी मन बन गया हो कि Demonetisation पी.एम. साहब लाए थे, सरकार लाई थी, वह देश के हित में था, देश के लिए अच्छा था। अगर वे यहां दर्शा रहे हैं, तो मैं अवश्य उसका स्वागत करता हूँ। मैं सिर्फ जानकारी हेतु एक विषय सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ कि डिफेंस का एक्ट है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करता है, तो उसके ऊपर सजा हो सकती है। एक मिनट में वह एक्ट निकालता हूँ, वह बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपका थोड़ा समय ले रहा हूँ, मुझे मालूम है कि देर हो गई है और सब घर जाना चाहते हैं। माननीय उपसभापति जी, Cantonment Act में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति usage of material of non-degradable nature, including polythene bag, का इस्तेमाल करता है और उसके साथ एक-दो और छोटी चीज़ें हैं, resignation without permission या absence from duty by *safalkaramchari*. अब अगर कोई बीमार हो गया, तो पहले बीमारी का इलाज करवाएगा या कैन्टोनमेंट बोर्ड को देगा कि मैं आज काम पर नहीं आ सकता हूँ। हमने ऐसे छोटे प्रावधान डिक्लिमिनलाइज़ किए हैं। माननीय उपसभापति जी, अब आप

बताइए कि कोई अगर कैंटोनमेंट के एरिया में कुछ सामान लेते हुए जा रहा हो, उसको कैसे मालूम होगा कि मेरा बैग बायो डिग्रेडेबल मैटेरियल का है या नहीं। क्या यह संभव है? हम उसको डिफ्रिमिनलाइज करते हैं, तो कुछ माननीय सदस्यों को उसमें भी दिक्कत होती है। जब ऐसी चीजें होती हैं, तो अवश्य दिल को दुख होता है और मैं समझता हूँ कि सरकार इन प्रावधानों में बहुत सोच समझकर बदलाव लाई है और सबकी सहमति से लाई है। मेरा विश्वास है कि इसका लाभ देश के सामान्य व्यक्ति को, जो माननीय तिवाड़ी जी, बिप्लब जी, सुजीत जी, बीडा जी से लेकर सभी ने कहा कि देश के सामान्य लोगों को इसका लाभ होगा।

अंत में, मैं खुद का एक अनुभव बताकर अपनी बात को विराम दूंगा। सर, मैं जब 17 वर्ष का था, तब मैंने एक छोटी फैक्टरी लगाने का काम शुरू किया। वह 1980 का दशक था, तब एक ऐसी सरकार थी, जिसके 400 से अधिक सांसदों को चुनकर देश की जनता ने भेजा था। उस समय मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, बड़े उत्साह से एक युवा प्रधान मंत्री ने बड़ी-बड़ी बातें कही थीं, युवा प्रधान मंत्री ने of course यह भी कहा था कि मैं तो इतना निहत्था हूँ कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ, तो सिर्फ 15 रुपये गरीब तक पहुंचते हैं और 85 रुपये तो दलाल, भ्रष्टाचारी और बिचौलिए ले जाते हैं। उस समय की यह बात आपको याद होगी। तब मैंने साहस किया कि अगर एक युवा प्रधान मंत्री कह रहा है कि मैं देश के लिए कुछ अच्छा करने वाला हूँ, तो मैंने भी एक छोटी सी फैक्टरी 19 लाख, 80 हजार रुपये की लगाई थी। सर, यह अलग बात है कि 2,930 वर्गमीटर की जमीन खरीदने के लिए 93-94 टाइम्स मुझे एमआईडीसी के ऑफिस के धक्के खाने पड़े। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वहां पर 1982-83 में एमआईडीसी (महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) काम करता था। मुझे 93 या 94 टाइम्स जाना पड़ा, मैं भी भूल रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी उम्र हो गई है। मैंने 17-18 साल की आयु में एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए 93-94 बार धक्के खाये थे। उसी समय की मुझे यह बात भी याद है, मुझे पता भी नहीं था कि कोई Collection of Statistics Act होता है। तीन-चार साल तक वह statistics नहीं भरे थे, तो मुझे याद है कि उस समय जिस तरह से मेरा हरैसमेंट हुआ था, जिस प्रकार से मुझे तंग किया गया था, जिस प्रकार से बार-बार उस Collection of Statistics Act के अंतर्गत अधिकारी आते थे, taunt करते थे कि आपने statistics नहीं दिया है। अब statistics नहीं देने का तो हमारे पास कोई पर्याय नहीं है, आपको तो अब जेल जाना पड़ेगा। आप सोचिए, छोटी आयु में जेल का डर कितना होता होगा। यह बात अलग है कि आज एक नेता जो अपने आपको परमानेंटली युवा नेता मानते हैं, वे एक पूरे समाज की इन्सल्ट कर देते हैं, लेकिन एक छोटी माँफी मांगने में उनको ऐंठ आती है। वह मानसिकता अलग है, परंतु हम माफी तो क्या, उसके पैर छूने के लिए तैयार थे कि साहब गलती हो गई, मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे statistics देनी हैं। लेकिन मुझे उस समय जलील किया गया, harass किया गया, जेल की धमकी के नाते उस समय मुझसे गलत काम भी करवाए गए थे। मैं समझता हूँ कि मुझे आज Collection of Statistics Act में वह प्रावधान निकालने का यह सौभाग्य प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने दिया, इसके लिए मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। Now, the question is :

"That the Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there is one Amendment (No. 1) by Dr. V. Sivadasan. He is not present. Amendment not moved.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Schedule, there is one Amendment (No. 2) by Dr. V. Sivadasan. Not present. Amendment not moved.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Som Parkash to move that the Bill be passed.

SHRI SOM PARKASH: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Thursday, the 3rd August, 2023.

The House then adjourned at thirteen minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 3rd August, 2023.

